बिहार सरकार

विजय कुमार चौधरी

वित्त मंत्री, बिहार

का

बजट भाषण

2023-24

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए राज्य का वार्षिक आय–व्ययक (बजट) अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

देश के विकास में बिहार राज्य के आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है और बिहार के आर्थिक विकास के बिना देश के अपेक्षित विकास की कल्पना अधूरी है।

महोदय, यह प्रसन्नता की बात है कि विगत 10 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था लगभग तीन गुनी हो गई है। इसका आकार यानि राज्य सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011–12 में 2.47 लाख करोड़ रूपये था जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 6.75 लाख करोड़ रूपये हो गया है।

मैं सदन के साथ यह साझा करना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था के आकार की सूची में बिहार का स्थान देश में वर्ष 2018–19 में 16वाँ था, जो राज्य सरकार के निरंतर प्रयास से वर्ष 2021–22 में 14वें स्थान पर आ गया है। हमारे लिए यह बड़ी उपलब्धि है। साथ ही, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आकलन के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 2021–22 में औसत आर्थिक वृद्धि दर 6.0 प्रतिशत रहा है। इसी वर्ष देश की औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत रही है जबकि मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसी अवधि में **बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98 प्रतिशत रही है, जो कि राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28 प्रतिशत अधिक है। यहाँ मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आर्थिक नीतियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के फलस्वरूप हमारा राज्य वर्ष 2021–22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है।**

महोदय, आप अवगत होंगे कि संपूर्ण विश्व कोरोना प्रकोप एवं अन्य कारणों से आर्थिक मंदी एवं मंहगाई के दौर से गुजर रहा है। इस प्रभाव से बिहार सहित पूरा देश अछूता नहीं है। वर्ष 2022–23 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि तथा भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि इस वर्ष बिहार की आर्थिक वृद्धि दर दहाई अंक में ही रहने का अनुमान है। यह राज्य की नीतियों एवं विकासमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है।

महोदय, राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के जरिये अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को पूर्ण करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। हालांकि, हमारी उपलब्धियों के कारण लोगों की अपेक्षाएँ भी उसी अनुपात में बढ़ी हैं, जो स्वाभाविक है। सच्चाई यह है कि राज्य को और तेज गति से विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकता है। **उपलब्ध सीमित संसाधनों एवं अनेक मानकों के राष्ट्रीय औसत के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार की उपलब्धियाँ पिछले 10 वर्षों में प्रशंसनीय रही है। हमारी प्रगति की रफ्तार देश में औसत से काफी अच्छी होने के बावजूद हमें विकसित प्रदेश बनने हेतु अतिरिक्त संसाधन एवं सहयोग की आवश्यकता है जिसके लिए हम लगातार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं।**

राज्य सरकार द्वारा आम लोगों पर बिना कर का बोझ बढ़ाये यथोचित तरीके से राजस्व संग्रह बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य की कुल कर प्राप्ति, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 15.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 18.7 प्रतिशत हो गयी है। परन्तु राजस्व प्राप्ति की अपनी सीमाएँ भी हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू होने के बाद से कर लगाने की हमारी स्वायत्तता सीमित हो गयी है तथा राज्य के लिए तय क्षतिपूर्त्ति (Compensation) भी जून, 2022 के बाद बंद हो गयी है। ऐसे में, राजस्व की चुनौतियाँ और भी बढ़ेंगीं। हालांकि बिहार सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति योजना अभी कुछ वर्षों तक जारी रखने की मांग की गयी है। राज्य सरकार प्राथमिकताओं का निर्धारण एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन से इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास करती रही है एवं आगे भी करती रहेगी।

आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ राज्य के राजस्व प्राप्ति और व्यय में भी वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने बढ़े हुए राजस्व का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए राजकोषीय घाटे को न केवल नियंत्रण में रखा है बल्कि इसमें कमी भी आयी है। कोविड–19 से प्रभावित वर्ष 2020–21 के राजस्व घाटा 11,325 करोड़ रुपये को कम करते हुए वर्ष 2021–22 में 422 करोड़ रुपये पर लाया गया है। राज्य के पूँजीगत व्यय में भी वृद्धि की गयी है जिससे विकास के लिए जरूरी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा सके। साथ ही, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय में बढ़ोतरी की गयी है।

आर्थिक विकास के साथ बिहार में सामाजिक विकास के प्रतिमान भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। राज्य सरकार जनता के सुख एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। विभिन्न लक्षित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के कारण राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2012 में 43 प्रति 1,000 जीवित जन्म से घटकर वर्ष 2020 में 27 हो गई है। राष्ट्रीय औसत वर्ष

2012 में 42 एवं वर्ष 2020 में 28 रहा है, **अर्थात् बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम हो चुका है।**

शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2021–22 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक में बच्चों का नामांकन 2.14 करोड़ रहा है, जिसमें लड़कों का नामांकन 1.09 करोड़ तथा लड़कियों का 1.05 करोड़ है। सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) शिक्षा का एक महत्वपूर्ण मानक है। वर्ष 2021–22 में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 8 तक में विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात 96.2 प्रतिशत था जिसमें लड़कियों के लिए यह अनुपात 97.4 प्रतिशत रहा। यह राज्य के समावेशी विकास के मॉडल का एक नमूना है। सामाजिक क्षेत्र में वंचित समुदायों के कल्याण के लिए हमारा व्यय निरंतर बढ़ता रहा है। पिछले (लगभग) डेढ़ दशक में सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगभग 11 गुना बढ़ा है, जिसका प्रमाण सभी बढ़े हुए सामाजिक संकेतकों यथा– शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, कुल प्रजनन दर एवं सकल नामांकन अनुपात आदि में दिखता है।

महोदय, सरकार के सात निश्चय–2 के विभिन्न अवयवों यथा– युवा शक्ति–बिहार की प्रगति, सशक्त महिला–सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव, स्वच्छ शहर–विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एवं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से समेकित विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है।

मुझे सदन को बताने में हर्ष हो रहा है कि बिहार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनुकरण आज देश में हो रहा है। उदाहरणस्वरूप, **'हर घर नल का जल' योजना (सितम्बर, 2016) की तरह ही राष्ट्रीय स्तर पर 'जल जीवन मिशन' (अगस्त, 2019) का पूरे देश में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी प्रकार, 'जीविका' (अक्टूबर, 2007) की तर्ज पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2011)/'दीनदयाल अन्त्योदय योजना' (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) (नवम्बर, 2015) एवं 'मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना' के तहत 'हर घर बिजली' योजना (नवम्बर, 2016) के अनुरूप 'सौभाग्य–प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' (सितम्बर, 2017) एवं जल–जीवन–हरियाली (अक्टूबर, 2019) के तहत् तालाबों के पुनरूद्धार एवं सौंदर्यीकरण की तर्ज पर 'अमृत सरोवर योजना' (अप्रैल, 2022) केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया है।**

महोदय, विगत वर्षों में हमारी सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय बढ़ाने के हरसंभव प्रयास हुए हैं। राजस्व और पूँजीगत लेखे के व्ययों को विकासमूलक और विकासेत्तर व्ययों में भी वर्गीकृत किया जाता है। राज्य सरकार के कुल व्यय में विकासमूलक व्यय का हिस्सा वर्ष 2019–20 के 66 प्रतिशत

से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 69.4 प्रतिशत हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में विकासमूलक व्यय का बढ़ना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार कोविड–19 की तमाम चुनौतियों के बावजूद अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्राथमिकताओं पर व्यय बढ़ाने में सफल रही है।

राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) : कोविड–19 महामारी और वैश्विक तनाव के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक मंदी के कारण भारत सहित पूरी दुनिया के साथ, बिहार की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हुई है। जहाँ एक ओर सार्वजनिक राजस्व में अपेक्षित बढ़ोत्तरी दर्ज नहीं हो पाई, वहीं सार्वजनिक व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। फलस्वरूप, राजकोषीय घाटा सहित, राजस्व घाटा दर्ज किया गया। फिर भी उल्लेखनीय है कि यह घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम की सीमा के अंदर ही रहा। इस क्रम में **मुझे सदन को यह विशेष रूप से** बताना है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संबंधित नियमावली तैयार कर ली गयी है जिसके तहत वर्ष 2023–24 के बजट को व्यापक, पारदर्शी एवं दूरदर्शी बनाते हुए राजकोषीय समेकन एवं उच्च आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट होगा। इस बजट में निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैंः

- राजकोषीय घाटा को 3.0 प्रतिशत की सीमा के अन्दर रखना,
- राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना,
- कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे–धीरे कम करना,
- वर्ष 2023–24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मुख्यमंत्री के मंत्र 'न्याय के साथ विकास' की यात्रा को और तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प इस बजट के केन्द्र में है। सरकार द्वारा पूर्व से चलाये जा रहे योजनाओं/कार्यक्रमों के अतिरिक्त वर्ष 2023–24 के बजट में कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है जिस पर मैं बिन्दुवार चर्चा करूंगा, परन्तु इससे पहले मैं राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली एक योजना का विशेष रूप से जिक्र करना वाजिब समझता हूँ।

सरकार द्वारा राज्य में जाति आधारित गणना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य की पूरी आबादी के जातिगत आंकड़ों के साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कराया जाना है। अभी तक जातिगत जनसंख्या के मामले में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जातिगत आबादी के अनुरूप एवं उनके आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास हेतु लक्षित योजनाएं

तैयार कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से और सशक्त एवं समृद्ध बनाना ही इसका लक्ष्य है। इससे सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाते हुए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आनुपातिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस कार्य को मई, 2023 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। उक्त कार्य हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी सौंपते हुए जिला पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रूपए राशि प्रावधानित की जा चुकी है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का प्रथम चरण 21 जनवरी, 2023 को पूर्ण कर लिया है और द्वितीय चरण भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत समय में पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य है।

महोदय, अब मैं बिन्दुवार प्राथमिकताएँ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. युवा एवं रोजगार

राज्य सरकार के सात निश्चय–2 का प्रथम अवयव 'युवा शक्ति–बिहार की प्रगति' है। राज्य की 32 प्रतिशत से अधिक आबादी युवाओं की है। युवा भविष्य के आधार होते हैं। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है, इस हेतु युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा उनमें स्वावलंबन एवं आत्मविश्वास पैदा कर स्वरोजगार सृजन की ओर उन्नमुख करने हेतु सरकार प्रयासरत है। इसके तहत् सरकारी स्तर पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता बढ़ाने के साथ पूँजी की सहज उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत् राज्य के युवाओं के सर्वागींण विकास के लिए 2023–24 के बजट में 'युवा एवं रोजगार' को प्राथमिकता दी गई है।

सरकारी नियोजन

- राज्य के विभिन्न पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को लगभग 49,000, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लगभग 2,900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12,000 अर्थात कुल लगभग 63,900 पदों की अधियाचना भेजी गयी है।

- बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति हेतु पुलिस कर्मियों के कुल 75,543 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है।

- राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 90,762 विज्ञापित पदों के विरूद्ध 42,000 (बयालीस हजार) **शिक्षकों की नियुक्ति** की गई है, शेष 48,762 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

- राज्य के मध्य विद्यालयों में **शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक** के नवसृजित 8,386 (आठ हजार तीन सौ छियासी) पद के विरूद्ध अब तक 2,500 (दो हजार पाँच सौ) अनुदेशक की नियुक्ति की गई है, शेष 5,886 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

- राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में **प्रधान शिक्षक** हेतु 40,506 सृजित पदों के संबंध में अग्रतर कार्यवाई की जा रही है।

- राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार अपेक्षित संख्या में **शिक्षकों की नियुक्ति** हेतु छठे चरण अन्तर्गत कुल विज्ञापित 32,714 रिक्तियों में से 2,716 की नियुक्ति की जा चुकी है। 7वें चरण के लिए माध्यमिक शिक्षकों के 44,193 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों हेतु 89,734 पदों पर नियुक्ति की कारवाई प्रक्रियाधीन है।

- राज्य के उत्क्रमित एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया गया है जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित 369 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षक के 7,360 एवं विशेष शिक्षक के 270 पद सृजित किये गये हैं।

- अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षकों के लिए स्वीकृत कुल 3,021 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। गत एक वर्ष में विभिन्न विषयों में अलग–अलग अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में कुल 522 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्ष 2022–23 में अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में नये पाठ्यक्रम के संचालन हेतु क्रमशः 99 एवं 118 अर्थात कुल 217 नये शिक्षकों एवं कर्मियों के पद सृजित किए गए हैं।

- वर्ष 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुल 48 अभ्यर्थियों की सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिसे संबंधित विश्वविद्यालयों को नियुक्ति हेतु भेजा जा चुका है। राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 2022 में 356 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई है।

• राज्य के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में 165 नर्सिंग अनुशिक्षक (Tutor) की नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई की गई है। लगभग 10,550 ए.एन.एम. की नियमित नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

रोजगार सृजन :

राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के अलावे अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु अलग से कार्रवाई की जा रही है।

• **स्व–रोजगार** : युवाओं को स्व–रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को 5 लाख रूपये अनुदान एवं 5 लाख रूपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में लगभग 8 हजार लाभुकों का चयन कर प्रशिक्षण के उपरांत लाभान्वित किया जा रहा है। **वर्ष 2023–24 में 800.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

• **स्टार्ट–अप प्रोत्साहन** : नए विचारों एवं नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने के लिए नई स्टार्ट–अप नीति, 2022 लागू की गई है। इस नीति के तहत स्थानीय युवाओं की क्षमता का लाभ उठाकर बिहार को स्टार्ट–अप और उद्यमियों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरने हेतु सक्षम बनाना है। इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक के कैपिटल सीड फंड जो महिलाओं के मामले में 5 प्रतिशत अधिक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग के मामले में 15 प्रतिशत अधिक है, का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 19 नवचयनित स्टार्ट–अप को 84 लाख रुपये का सीड फंड प्रदान किया गया है।

• **मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना** : इस योजना के अन्तर्गत प्रति पंचायत 07 लाभुक (4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं 3 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) को यात्री वाहन, ई–रिक्शा एवं एम्बुलेंस के क्रय पर अनुदान दिया जाता है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन के साधन उपलब्ध हुए हैं एवं युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है।

• **युवाओं को प्रशिक्षण** : बिहार कौशल विकास मिशन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्षेत्र में अब तक कुल 19,778 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है एवं वर्त्तमान में 171 कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से कम्प्युटर संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 6,468 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। **वर्ष 2023–24 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल सीटों की संख्या 8,774 से बढ़ाकर 10,965 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 96 से बढ़ाकर 126 की गयी है। राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में डिप्लोमा स्तर पर नवीनतम विधाओं यथा– Drone Technology, Electrical Vehicle, Artificial Intelligence, Internet of Things, 3-D Printing, Robotics, Industrial Automation आदि में पाठ्यक्रम का संचालन प्रारंभ किया गया है। साथ ही, दो नये पोलिटेकनिक संस्थानों की भी स्थापना की गई है, जिसके उपरान्त सीटों की संख्या 11,211 से बढ़कर 12,321 हो गयी है।

- अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर Artificial Intelligence, Internet of Things, Machine Learning, Data Science, Cyber Security, Block Chain Technology इत्यादि नवीनतम विधाओं में पाठ्यक्रम का संचालन वर्त्तमान सत्र 2022–23 से प्रारंभ किया गया है।

- **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना** के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग में उत्तीर्ण होने वाले अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियों को अग्रत्तर तैयारी हेतु एकमुश्त क्रमशः 50,000/– रुपये एवं 1,00,000/– रुपये का लाभ दिया जाता है। **अब तक संघ लोक सेवा आयोग के 113 एवं बिहार लोक सेवा आयोग के 3,394 अर्थात कुल 3,507 अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है।**

- **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना** के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रत्तर तैयारी हेतु एकमुश्त क्रमशः 50,000/– रुपये एवं 1,00,000/– रुपये का लाभ दिया जाता है। **अब तक संघ लोक सेवा आयोग के 143 एवं बिहार लोक सेवा आयोग के 5,518 अर्थात कुल 5,661 अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है।**

- **राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना :** वर्तमान में प्रशिक्षण हेतु कुल 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा 20 औद्योगिक भागीदार (Industry Partners) को चिह्नित किया गया है। प्रथम चरण में चयनित 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 20 संस्थानों में 9 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण माह अप्रैल, 2023 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

- **बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना :** राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं

विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

- **बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना** : बिहार में खेल–कूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी, राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

- **समग्र गव्य विकास योजना** : राज्य के सभी वर्गों के कृषकों, दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों, बेरोजगार युवाओं के लिए ऋण एवं अनुदान पर समग्र गव्य विकास योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जायेंगे। राज्य के 7,000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाना है जिसमें 40 प्रतिशत महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया जायेगा। **इस योजना के तहत वर्ष 2023–24 में 113.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

2. अनवरत महिला सशक्तिकरण

सात निश्चय–2 के अवयव 'सशक्त महिला–सक्षम महिला' को अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में वर्ष 2023–24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है।

पंचायती राज संस्थाओं में वर्ष 2006 में एवं नगर निकायों में वर्ष 2007 में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया। इसका नतीजा है कि वर्तमान में 4,209 मुखिया, 5,982 पंचायत समिति सदस्य, 654 जिला पार्षद महिलायें निर्वाचित हैं एवं नगर निकायों में 16 मुख्य पार्षद एवं 6 उप मुख्य पार्षद महिलायें सहित कुल 2,858 महिला पार्षद निर्वाचित हैं।

- **जीविका** : बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ''जीविका'' बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास का नजीर बन चुकी है। इसके अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं (जीविका दीदियों) के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनके जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन एवं अन्य बिन्दुओं पर उनके प्रशिक्षण–सह–सम्पोषण हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। जीविका के माध्यम से किये गये सरकारी प्रयासों का प्रतिफल है कि महिलाओं में आत्मबल एवं आत्मसम्मान का संचार हुआ है एवं सामाजिक स्तर पर उनकी सशक्त उपस्थिति हो सकी है।

जीविका द्वारा अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 01 करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। 62 अस्पतालों में

'दीदी की रसोई', अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में 14 'दीदी की रसोई' का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है। कोईलवर के मानसिक आरोग्यशाला में दीदी की रसोई का संचालन कराये जाने की योजना है। इसके अलावा इन संस्थानों की साफ–सफाई, मरीजों के परिधान की आपूर्ति भी जीविका द्वारा कराये जाने की योजना है।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना अंतर्गत 40 जीविका दीदी को उद्यमी के रूप में चयनित कर मुजफ्फरपुर में बैग क्लस्टर विकसित किया गया है। राज्य बागवानी मिशन के सहयोग से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 7,728 महिलाएं मधुमक्खी पालन का कार्य कर रही हैं। अब तक 2418.7 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग से समन्वय कर 519 जीविका दीदियों ने पौधशालाएँ (दीदी की नर्सरी) विकसित किया है जिसमें 319 नर्सरी मनरेगा के तहत तथा 200 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के समन्वय से विकसित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा जीविका संपोषित ग्राम संगठनों के माध्यम से जल–जीवन–हरियाली मिशन के तहत तालाबों का रख–रखाव, विद्यालयों में पोशाक की सिलाई एवं आपूर्ति, सभी जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में दीदी की रसोई का विस्तार के साथ रख–रखाव आदि कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी सतत् जीविकोपार्जन योजना का क्रियान्वयन कराने का निर्णय लिया गया है।

- **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना** : इस योजना के तहत बी०पी०एल० परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000/– रुपये से कम हो, को कन्या के विवाह के समय 5,000/– रुपये मात्र का भुगतान प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण (DBT) के माध्यम किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना तथा घरेलू हिंसा एवं बाल विवाह रोकना है। **वर्ष 2023–24 में 100.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

- **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि** : इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उतीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी हेतु क्रमशः 1,00,000/– रुपये तथा 50,000/– रुपये की राशि प्रदान की जाती है। **वर्ष 2023–24 में 60.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

- **अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय :** पूर्व से स्वीकृत 17 आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त वर्ष 2022–23 में राज्य के 12 जिलों कैमूर, सुपौल, पूर्वी चम्पारण, सीवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर एवं बक्सर में 520 आसन वाले एक–एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- वर्ष 2022–23 में **मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना** अन्तर्गत 6,75,125 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। **वर्ष 2023–24 में इस हेतु 50.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।**

- वर्ष 2022–23 में **मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना/बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना** अंतर्गत 18,08,534 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। **वर्ष 2023–24 में इस हेतु 100.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।**

- वर्ष 2022–23 में **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत बालिका (इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना** के तहत 5,21,078 अविवाहित बालिकाओं को 25,000/– रुपये की दर से प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण (DBT) के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जा रही है। **वर्ष 2023–24 में इस हेतु 400.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।**

- **मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन** योजनान्तर्गत स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000/– रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2022–23 में 33,843 छात्राओं के बीच 84.60 करोड़ रुपये वितरित किया जा चुका है। **वर्ष 2023–24 में इस हेतु 200.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।**

- **मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना** अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण (सामान्य, BC-II) छात्राओं को प्रति छात्रा 10,000/– रुपये की दर से प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण (DBT) के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2023–24 में इस हेतु 94.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

- **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना** अंतर्गत छात्राओं को 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रूपये एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 8,000 रूपये दिया जाता है।

- **मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना/मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति**

योजना अंतर्गत 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होनेवाली छात्राओं को 10,000 रूपये दिया जाता है।

- **महिलाओं को वाहन कर में छूट** : यदि कोई तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, महिला के नाम पर निबंधित होता है और उसका चालन स्वयं उस महिला या अन्य महिला, जिसके पास व्यावसायिक चालन अनुज्ञप्ति है, के द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए वाहन कर में शत–प्रतिशत छूट दिया गया है।

- **मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना** : राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू किया गया है। **इस योजना हेतु वर्ष 2023–24 में 250.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

- **क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी** : क्षेत्रीय प्रशासन यथा– पुलिस थाना, प्रखण्ड, अनुमंडल एवं जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

3. अल्पसंख्यक कल्याण

- मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में अब तक 63,586 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु 83.40 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।

- राज्य कोचिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु 1,210 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- वर्ष 2018–19 से अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रति माह प्रति छात्र/छात्रा को 1,000/– रुपये अनुदान राशि तथा उन छात्रावासों में प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है।

- अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना के तहत 46 बालक एवं बालिका छात्रावास निर्मित एवं संचालित है तथा 07 छात्रावास निर्माणाधीन है।

- तलाकशुदा/परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजनान्तर्गत सहायता राशि 10,000/– रुपये से बढ़ाकर 25,000/– रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह राशि इनके आत्मनिर्भरता हेतु सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

•	सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। दरभंगा एवं किशनगंज में निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

•	बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत नए एवं जीर्ण–शीर्ण मदरसों का निर्माण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना है। वर्ष 2023–24 में मदरसों के सुदृढ़ीकरण हेतु 39 करोड़ रूपये कर्णांकित की गई है। मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु 4,000 शिक्षकों एवं 2,000 प्रधान मौलवियों का प्रशिक्षण तथा 200 मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाना है।

मदरसों का प्रबंधन एवं इसमें उपयुक्त पठन–पाठन हेतु तीन नियमावलियाँ लागू की गई है– (i) बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली, 2022 (ii) बिहार राज्य गैर–सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2022 एवं (iii) बिहार राज्य गैर–सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा (मौलवी स्तर तक) शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2022। उम्मीद है कि इससे मदरसों के प्रबंधन एवं नियुक्तियों में पारदर्शिता एवं सुधार आयेगा।

4. स्वास्थ्य प्रक्षेत्र

सात निश्चय–2 के अवयव **'सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा'** को वर्ष 2023–24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है।

•	**चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना** : राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है एवं इसके भवन निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में जगह उपलब्ध कराया गया है।

•	राज्य के 9 जिलों पूर्णियाँ, छपरा, पश्चिमी चम्पारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सीवान, जमुई एवं सीतामढ़ी में नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, **भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय** का निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है।

•	राज्य के 21 सदर अस्पतालों को लगभग **580.09 करोड़ रूपये** की लागत से मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 19 सदर अस्पतालों में विभिन्न स्तर पर निर्माण कार्य जारी है। शेष 2 अस्पतालों में निर्माण कार्य आरंभ किया जा रहा है।

•	इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में 1,200 बेड का अतिरिक्त अस्पताल भवन का निर्माण **513 करोड़ रूपये** की लागत से कराया जा रहा है।

• पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विश्वस्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन हेतु 250 नामांकन क्षमता एवं 5,462 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु **5,540 करोड़ रूपये** की परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है एवं निर्माण कार्य आरंभ है।

• राज्य में मानसिक आरोग्यशाला की कमी को देखते हुए कोईलवर (भोजपुर) में 272 बेड का आधुनिक अस्पताल 16 सितम्बर, 2022 को क्रियाशील कर दिया गया है।

• राज्य में दंत चिकित्सा एवं शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, रहुई (नालन्दा) का निर्माण कर 12 दिसम्बर, 2022 को उपकरणों से सुसज्जित कर क्रियाशील कर दिया गया है।

• राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक–एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ 5–5 स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र यथा, कुल 1,379 स्वास्थ्य संस्थान के निर्माण हेतु **1,754.99 करोड़ रूपये** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

• ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 122 Pressure Swing Adsorption (PSA) संयंत्र अधिष्ठापित कर क्रियाशील किया गया है।

• **गाँव–गाँव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता** : स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़ कर लोगों को गाँव में ही स्तरीय चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत अब तक 25 लाख से अधिक व्यक्तियों को परामर्श दिया गया है।

• **बाल ह्रदय योजना** : राज्य में ह्रदय में छेद के साथ जन्में बच्चों के इलाज के लिए **बाल ह्रदय योजना (नन्हें दिलों की मुस्कान)** लागू है। इसके तहत 562 बच्चों के हृदय का शल्य चिकित्सा द्वारा सफल निःशुल्क ईलाज अहमदाबाद से कराया गया है।

5. पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण :

बिहार सरकार राज्य में कानून का शासन स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में पुलिस प्रणाली को आधुनिक तकनीक से लैस और सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में प्राथमिकता दी गई है।

• **पुलिस बल का आधुनिकीकरण एवं कानून व्यवस्था का ढ़ाँचागत सुदृढ़ीकरण**: राज्य

में कानून व्यवस्था को मजबूत करने तथा कानून का राज कायम रखने के लिए पुलिस बल को सशक्त बनाया गया है। पुलिस बल में **35 प्रतिशत** महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। राज्य सरकार द्वारा महिला थाना का निर्माण लगातार किया गया है। पुलिस भवन निर्माण कार्य हेतु **वर्ष 2023–24 में 315.63 करोड़ रूपये** कर्णांकित किया गया है। पुलिस प्रशासन के ढाँचागत सुदृढ़ीकरण हेतु थाना/ओ०पी० में सी०सी०टी०वी० कैमरा, Safe City Surveillance, Crime and Criminal Tracking Network & System (CCTNS) आदि के लिए वर्ष 2023–24 में 155 करोड़ रूपये कर्णांकित किया गया है। Emergency Response Support System (ERSS) अंतर्गत 112 पर कॉल/वाट्स ऐप करने पर सहायता उपलब्ध करायी जाती है। ई–गवर्नेंस के अन्तर्गत सभी डाटा को सुरक्षित रखने एवं महत्वपूर्ण आई०टी० इन्फ्रास्ट्रक्चर को संरक्षित रखने हेतु सिक्योरिटी ऑपरेशन सेन्टर (SOC) परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है। वर्ष 2023–24 में बिहार अग्निशमन सेवा के भवन निर्माण मद अन्तर्गत 35 अग्निशमन केन्द्रों हेतु **30.00 करोड़ रुपये कर्णांकित किया गया है।**

- विभिन्न स्थानों पर कारा/उपकारा के भवन निर्माण हेतु **वर्ष 2023–24 में 100.00 करोड़ रुपये** तथा नये काराओं के निर्माण हेतु भू–अर्जन मद में **30.00 करोड़ रुपये कर्णांकित किया गया है।**

6. कृषि एवं ग्रामीण विकास

राज्य सरकार के सात निश्चय–2 के अवयव 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' एवं 'स्वच्छ गांव–समृद्ध गांव' को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 2023–24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, किसानों को खुशहाल बनाने तथा ग्रामीण जीवन को सुविधाजनक बनाने की दिशा में राज्य सरकार प्रयासरत है। सदन को यह बताना है कि कृषि रोड मैप में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2011–12 में चावल, वर्ष 2012–13 में गेहूं, वर्ष 2015–16 में मक्का (मोटे अनाज), वर्ष 2016–17 में मक्का (मोटे अनाज) तथा वर्ष 2017–18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल पांच कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। गुणवत्ता उत्पाद के रूप में पहचान बनाने वाले बिहार के कृषि धरोहरों **कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान एवं मिथिला मखाना** को राज्य सरकार के प्रयास से **भौगोलिक सूचकांक पंजीकरण (जी० आई० टैग) किया गया है।**

वर्ष 2018 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 178.02 लाख MT था जो वर्ष 2022 में बढ़ कर 184.86 लाख MT हो गया है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं।

- **कृषि रोड मैप** : कृषि क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में प्रथम कृषि रोड मैप लागू किया गया। वर्त्तमान में तृतीय कृषि रोड मैप की अवधि दिनांक–31.03.2023 तक निर्धारित है। इसके आगे 05 वर्षों के लिए कृषि रोड मैप बनाने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 से चतुर्थ कृषि रोड मैप प्रारम्भ करने की योजना है। इस संबंध में अभी हाल में 21 फरवरी (सोमवार) को राज्य भर के प्रतिनिधि किसानों से विमर्श किया गया है।

चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन एवं तेलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे। पौधा संरक्षण सेवाओं को किसानों तक सहजता से पहुँचाने के लिए विशेष पहल किया जायेगा। इसके लिए अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया जायेगा। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत फसल पद्धति में बदलाव के साथ–साथ फसल अवशेष के प्रबंधन एवं पुआल का उपयोग पशु चारा के लिए करने के संबंध में कार्य किया जा रहा है। बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में निम्बू घास (Lemon Grass) की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जायेगी। गंगा नदी के किनारे अवस्थित जिलों में ऑरगेनिक कॉरिडोर का विस्तार किया जा रहा है।

- **कृषि विपणन** : राज्य में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बाजार प्रांगणों को आधुनिक बनाकर इसके तहत नये आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है।

- जैविक खेती अंतर्गत 92,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में तथा टपकन सिंचाई अंतर्गत लगभग 13,000 एकड़ क्षेत्र में खेती की जा रही है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु विशिष्ट उत्पादों को बाजार से जोड़ने हेतु प्रयास किया जा रहा है ताकि किसानों को लागत के अनुरूप समुचित कीमत प्राप्त हो सके। परम्परागत फसलों के अलावा अब नगदी खेती के क्षेत्र में हल्दी, मिर्च आदि के साथ स्ट्राबेरी, शिमला मिर्च, फूलगोभी के नीले एवं पीले प्रभेद आदि का उत्पादन अच्छी मात्रा में शुरू हो चुका है। इसके साथ–साथ वैकल्पिक फसलों, मौसम अनुकूल खेती एवं अन्य नई तकनीकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

- **बागवानी विकास** : वर्ष 2022 में राज्य में बागवानी विकास के उद्देश्य से सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, चण्डी के द्वारा 9.40 लाख सब्जियों का पौध एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, देसरी के द्वारा 2.30 लाख फलों का पौध किसानों को उपलब्ध कराया गया। राज्य में बागवानी के विकास के तहत

मखाना एवं मधु के सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित किये जायेंगे। पौध सामग्री के उत्पादन एवं इसके गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए समग्र कार्य योजना लागू की जायेगी।

- **बिहार मिलेट मिशन** : संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। राज्य में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार मिलेट मिशन की शुरूआत की जायेगी। राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन का इतिहास रहा है। स्वास्थ्यवर्धक अनाज जैसे मडुआ, कोदो, सांवा, कौनी आदि के उत्पादन पर जोर दिया जायेगा। मक्का उत्पादन में दो बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है।

- **दलहन एवं तेलहन मिशन** : चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन एवं तेलहन फसलों के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा। इसके लिए राज्य में दलहन एवं तेलहन विकास मिशन की स्थापना की जायेगी। इसके तहत क्षेत्रवार उपयुक्त फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।

समुन्नत कृषि की कल्पना बिना उपयुक्त सिंचाई व्यवस्था के नहीं की जा सकती है। सिंचाई के क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा एवं सरकार हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने को संकल्पित है।

- **कुण्डघाट जलाशय योजना** : जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु **कुण्डघाट जलाशय योजना** का निर्माण 185.21 करोड़ रुपये की राशि से किया जा रहा है। इस योजना के निर्माण से जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड में कुल 2,035 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। **वर्ष 2023–24 में 70.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।**

- **नदी जोड़ योजना** : राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना अन्तर्गत कोसी–मेची लिंक योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के पूर्ण होने के उपरांत कुल 2.14 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

- **उत्तर कोयल नहर परियोजना** : परियोजना के अवशेष कार्य को क्रियान्वित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिससे औरंगाबाद एवं गया जिला में कुल 95,521 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस योजना की कुल लागत राशि 3,199.85 करोड़ रुपये है। इस योजना को मार्च, 2025 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। **इस परियोजना हेतु वर्ष 2023–24 में 67.91 करोड़ रुपये का प्रावधान है।**

- **जल संसाधन विभाग** द्वारा वर्ष 2022–23 में कुल 156 योजनाओं का क्रियान्वयन कर

45,194 हे० भूमि को सिंचित किया गया है। **वर्ष 2023–24 में 200.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

- **लघु जल संसाधन विभाग** द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए 120 योजना का कार्य प्रारंभ कर 56 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। 13 चेक डैम योजना का कार्य प्रारंभ कर 9 को पूर्ण कर लिया गया है। 54 उद्वह सिंचाई योजना का कार्य प्रारंभ कर 15 को पूर्ण कर लिया गया है। अब तक कुल पुनर्स्थापित सिंचित क्षेत्र 18,602 हे० है। वर्ष 2022–23 के लिए 186 आहर पईंन, 11 चेक डैम तथा 50 उद्वह सिंचाई की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है। **वर्ष 2023–24 में 340.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

- **कृषि फीडर** : राज्य में कृषि उपभोक्ताओं को समुचित विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 7,488.78 करोड़ रुपये की लागत से 33/11 के०वी० के **291** विद्युत उपकेन्द्र तथा कृषि कार्य हेतु **1,354** पृथक फीडरों का निर्माण किया गया है।

- **मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना** : राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु प्राथमिकता पर विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु 1,329.61 करोड़ रुपये की योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा इस वर्ष इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। अब तक लगभग **3.54 लाख** कृषि विद्युत संबंध दिये जा चुके हैं। साथ ही, कृषि कार्य हेतु मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर पर किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

- **पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास** : राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। **वर्ष 2023–24 में इस हेतु 525.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

- **बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं** : इसके तहत प्रत्येक 8–10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था, पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जानी है। कॉल सेन्टर में फोन कर अथवा मोबाईल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही टेली–मेडिसिन के माध्यम से भी पशु अस्पताल जुड़े रहेंगे। वर्तमान में 1,137 पशु अस्पताल विभाग द्वारा संचालित है, जिसमें सभी 1,137 में टीकाकरण एवं कृमिनाशन तथा 566 में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है।

- राज्य के सभी जिलों में मछुआरों / मत्स्य पालकों को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (Group Accidental Insurance Scheme) से आच्छादित करने की योजना लागू की गई है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना** : इस योजना के तहत 01 अप्रैल, 2010 के पूर्व इंदिरा आवास योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनका आवास अधूरे / अपूर्ण अवस्था में है, उन्हें पूर्ण कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत 50 हजार रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

- **सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट** : इस निश्चय के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु चरणबद्ध रूप से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य आरम्भ है। **वर्ष 2023–24 में 392.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

- **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन** : इसके तहत गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 2022–23 तक लक्षित 4,250 ग्राम पंचायतों के 57,028 वार्डों के विरूद्ध 2,235 पंचायतों के 30,933 वार्डों में कार्य प्रारंभ हो चुका है।

7. हरित विकास

राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने हेतु सक्रिय, समन्वित तथा ठोस प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जल–जीवन–हरियाली अभियान सरकार की एक दूरदर्शी नीति है, जो सतत् विकास हेतु जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करता है।

जल–जीवन–हरियाली

- बिहार को हरित और स्वच्छ बनाने तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से कारगर ढंग से निपटने, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, वन आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग एवं ऊर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते जलवायु परिवेश के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए 11 अवयवों वाली कार्य योजना तैयार कर दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 से राज्य में **जल–जीवन–हरियाली** अभियान की शुरूआत की गई।

- **जल संचयन** : दक्षिण बिहार के जिलों में भूमि एवं मिट्टी संरक्षण के उद्देश्य से जलछाजन विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जलछाजन विकास के तहत वर्षा जल के संग्रह के लिए वर्ष 2022–23 में 400 पक्का चेक डैम, 694 अवरोधक बांध, 1,684 यूनिट आहर की

मरम्मति, 440 हेक्टेयर में मेढ़बंदी, 103 सिंचाई कूप का जीर्णोद्धार, 174 चापाकल, 12 सामुदायिक तालाब का निर्माण, 69 फार्म पौंड एवं 146 जल संचयन तालाब का निर्माण कराया गया है। इन संरचनाओं के निर्माण से कुल 12,920 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

- इस अभियान के अंतर्गत अतिक्रमित जल संचयन संरचनाओं यथा–तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों में से 18,269 संरचनाओं तथा 11,525 कुँओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। कुल 11,236 तालाबों/पोखरों, 8,307 सार्वजनिक आहरों, 21,052 सार्वजनिक पईनों, 24,852 (शहरी एवं ग्रामीण) कुँओं के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,35,937 सार्वजनिक कुँओं/चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण/अन्य जल संरचनाओं का निर्माण कार्य किया गया है। छोटी–छोटी नदियों/नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में चेकडैम एवं जल संचयन की 12,642 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। नए जल स्रोतों के सृजन अंतर्गत कुल 23,409 संरचनाओं (पोखर) का निर्माण किया गया है। भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचना निर्माण अंतर्गत कुल 13,672 कार्य किये गए हैं।

- **होल्डिंग टैक्स में 05 प्रतिशत की छूट** : वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराये जाने पर होल्डिंग टैक्स में 05 प्रतिशत की छूट का प्रावधान बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर नियमावली, 2013 के नियम– 11(3) में किया गया है।

- सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत हेतु 2,216 सरकारी कार्यालयों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है। साथ ही, सभी सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा की बचत पर जोर दिया जा रहा है। राज्य के सभी प्रखण्ड कार्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, आई०टी०आई० एवं पंचायत सरकार भवनों पर कुल 12 मेगावाट पीक (MWp) क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य कराया जा रहा है जिसके तहत 10 मेगावाट पीक (MWp) क्षमता का अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका है।

जल–जीवन–हरियाली अभियान फेज–2 अंतर्गत ब्रेडा द्वारा 1,200 सरकारी भवनों पर लगभग 20 मेगावाट क्षमता का 'ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट' अधिष्ठापन की कार्रवाई की जा रही है एवं 50 भवनों पर लगभग 01 (एक) मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष भवनों पर अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है।

सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **कजरा (लखीसराय) एवं पीरपैंती (भागलपुर)** में उपलब्ध भूमि, जिसे पूर्व में ताप विद्युत परियोजना हेतु अधिग्रहण किया गया था, पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों स्थलों पर बैटरी स्टोरेज के साथ लगभग **450 मेगावाट** क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की कार्रवाई की जा रही है।

नीचे मछली उपर बिजली योजना के तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट पीक (MWp) क्षमता का तथा सुपौल जिले में 0.525 मेगावाट पीक (MWp) क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य पूर्ण कर ऊर्जान्वित कर दिया गया है।

सौर ऊर्जा के उपयोग के कारण एक तरफ ताप विद्युत की खपत में कमी होने से वायु एवं जल प्रदूषण में कमी आयेगी, वहीं दूसरी तरफ सस्ते दर पर विद्युत उपलब्ध होगी।

- **भूमि जल संरक्षण** : भूमि एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जायेगी। भूगर्भ जल के अनुश्रवण के लिए राज्य के जिला मुख्यालयों तथा प्रखण्डों में कुल 562 'टेलिमेट्री' सिस्टम लगाये गये हैं, जिससे भूगर्भ जल स्तर के आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। सुपौल जिलान्तर्गत वीरपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स में 108.93 करोड़ रूपये की लागत से भौतिकीय प्रतिमान केन्द्र (Physical Modelling Centre) की स्थापना का कार्य प्रगति में है। यह केन्द्र Central Water and Power Research Station (CWPRS), पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा अति आधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होगा। इसमें नदी के विभिन्न अवयवों का मॉडल तैयार कर अध्ययन किया जायेगा। इस अध्ययन से न केवल बिहार बल्कि निकटवर्ती राज्यों के बाढ़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी तथा बाढ़ जोखिम प्रबंधन (Flood Risk Management) में सुधार होगा।

- **गयाजी डैम** : गया के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गू नदी में पूरे वर्ष पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा 334.38 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकतम तकनीक द्वारा **गयाजी डैम (रबर डैम)** योजना का कार्यान्वयन निर्धारित समय से लगभग एक वर्ष पूर्व सितंबर, 2022 में पूर्ण कर लिया गया जिसे देखने के लिए प्रतिदिन हजारों पर्यटक आ रहे हैं। यह भूगर्भ जल पुनर्भरण में भी प्रभावकारी है। इस योजना से पेय जल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मोक्ष प्राप्ति के क्षेत्र में पवित्र गंगाजल उपलब्ध होने से यहाँ का धार्मिक महत्व भी कई गुना बढ़ गया है। केन्द्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल (Central Board of Irrigation and Power) द्वारा गंगाजल आपूर्ति योजना एवं फल्गू नदी पर निर्मित रबर डैम को CBIP Award, 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है।

- **गांगेय डॉल्फिन** जिसको बोल–चाल की भाषा में सोंस भी कहते हैं, वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–1 में शामिल है। गांगेय डॉल्फिन मुख्यतः गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में पायी जाती है। यह मीठे पानी में पाये जाने वाला स्तनधारी जलीय जीव है जिसका मुख्य आहार छोटी–छोटी मछलियॉ है। इसकी उपस्थिति नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करती है। International Union for Conservation of Nature (IUCN) की लाल सूची में गांगेय डॉल्फिन को

विलुप्त होने के कगार पर मानते हुए (Endangered) श्रेणी में रखा गया है। गांगेय डॉल्फिन को मुख्यतः प्रदूषण, River Dredging, पानी जहाज, शिकार आदि से खतरा होता है। इसके संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 30.52 करोड़ रुपये की लागत पर पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र की स्थापना की जा रही है जिसका कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए वर्ष 1990 में भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज से कहलगाँव तक गंगा को विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी घोषित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा 05 अक्टूबर, 2009 को गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया और प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

वर्ष 2019 में Zoological Survey of India (ZSI), तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर तथा Wildlife Trust of India (WTI) द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में बिहार राज्य में गांगेय डॉल्फिन की संख्या 1,464 पायी गयी है, जो भारत के कुल गांगेय डॉल्फिन की संख्या की आधी है।

- **राज्य का हरित आवरण** : वर्ष 2000 में झारखण्ड–बिहार बँटवारे के पश्चात् राज्य में हरित आवरण मात्र 9 प्रतिशत था। बिहार सरकार द्वारा लगातार इसे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। वर्ष 2012 में 'हरियाली मिशन' एवं वर्ष 2019 में जल–जीवन–हरियाली अभियान प्रारम्भ किया गया ताकि हरित आवरण में वृद्धि कर जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव को सीमित किया जा सके। इसके लिए वन भूमि एवं वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण कार्य को विशेष महत्व दिया गया। हरित आवरण को बढ़ाने हेतु कृषि रोड मैप–II (2012–17) में कुल 18.47 करोड़ एवं कृषि रोड मैप–III (2017–23) में अद्यतन 16.10 करोड़ वृक्षारोपण किया गया है।

- **हरित आच्छादन में वृद्धि** : बिहार सरकार द्वारा राज्य के हरित आवरण का आकलन High Resolution Satellite data (Liss- IV, 5.8 m) के माध्यम से भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा कराया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का हरित आवरण लगभग 15 प्रतिशत हो गया है। इसे 17 प्रतिशत तक किए जाने का लक्ष्य है।

वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ (वन विभाग एवं मनरेगा) पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य का वन क्षेत्र सीमित है और वृक्षारोपण की अधिक सम्भावना किसानों की निजी भूमि पर ही है। इसलिए वृक्षारोपण कार्य में ग्रामीणों एवं जीविका दीदियों की भागीदारी अति महत्वपूर्ण

है। इसके लिए कृषि वानिकी योजना अन्तर्गत उत्तरजीविता के आधार पर प्रोत्साहन के रूप में 60/– रुपये प्रति पौधा किसानों को दिया जा रहा है। राज्य में हरित आच्छादन बढ़ाने हेतु जीविका दीदियों और किसानों को पौधशाला कार्यों में भी जोड़ा गया है। वर्ष 2023–24 में जीविका दीदियों एवं किसानों द्वारा कुल 500 पौधशालाओं में 1.00 करोड़ पौधा उगाने का लक्ष्य है।

- जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत मनरेगा से वित्तीय वर्ष 2022–23 में 1.47 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण अवयव अंतर्गत लगभग 10.70 करोड़ पौधे लगाये गए हैं। विगत तीन वर्षों में जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत कुल 4.20 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। वर्ष 2022–23 में मनरेगा अंतर्गत राज्य के सभी प्रखंडों में जीविका के सहयोग से ''दीदी की पौधशाला'' का निर्माण प्रारंभ किया गया है। यह अभियान वर्ष 2023–24 में भी जारी रहेगा।

- **बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019** के तहत वाहनजनित प्रदूषण के नियंत्रण एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु पेट्रोल/डीजल चालित आटो रिक्शा को सी०एन०जी० चालित आटो रिक्शा से प्रतिस्थापन/रेट्रोफिटिंग हेतु अनुदान दिया जाता है। इसके तहत कुल 1,505 वाहन स्वामियों को 4.01 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में भुगतान किया गया है। गया एवं मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध एवं इन शहरों में बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019 का विस्तार किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

- **डीजल चालित बसों का सी०एन०जी० बसों से प्रतिस्थापन हेतु अनुदान** : पटना नगर बस सेवा अन्तर्गत परिचालित 50 निजी डीजल चालित बसों को सी०एन०जी० चालित बसों से प्रतिस्थापित करने हेतु अनुदान स्वरूप कुल 3.75 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है। शेष निजी बसों को भी सी०एन०जी० बसों से प्रतिस्थापन कराने की योजना है।

8. आधारभूत संरचना

स्थायी विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। सात निश्चय–2 के अवयव 'सुलभ सम्पर्कता' को भी वर्ष 2023–24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है।

- **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में कुल 1,757.87 करोड़ रूपये व्यय करते हुए 3,238.12 कि० मी० पथ एवं 57 पुलों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सभी जिलों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी टोलों/बसावटों को वर्ष 2023–24 तक बारहमासी एकल

सड़क सम्पर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 7,408 कि०मी० लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। **वर्ष 2023–24 में 2,374.98 करोड़ रूपये का प्रावधान है।**

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम** के अन्तर्गत **वर्ष 2023–24 में 3,500.00 करोड़ रूपये का प्रावधान है।**

- **ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना** अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की 100 से 249 तक की आबादी वाले 4,643 अनजुड़े सर्वेक्षित ग्रामीण टोलों को बारहमासी सड़क सम्पर्कता प्रदान करने हेतु 3,977.30 कि०मी० पथों का निर्माण कराया जाना है। अब तक कुल 4,609 बसावटों/टोलों को संपर्कता प्रदान करते हुए 3,961.91 कि०मी० का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा शेष पथों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। **वर्ष 2023–24 में 185.00 करोड़ रूपये का प्रावधान है।**

- **पटना मेट्रो रेल परियोजना** : प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पटना में दो कोरिडोर का चयन किया गया है। इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा 1,670.59 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है। **वर्ष 2023–24 में इस मद में 100.00 करोड़ रुपये कर्णांकित हैं।**

- प्रमुख राष्ट्रीय उच्च पथों के 4–लेनिंग के तहत पटना–गया–डोभी, आरा–मोहनियाँ, रजौली–बख्तियारपुर, नरेनपुर–पूर्णियाँ, मुंगेर–मिर्जा चौकी, गलगलिया–अररिया आदि का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही, अन्य राष्ट्रीय उच्च पथों के मेगा परियोजनाओं यथा आमस–दरभंगा, राम जानकी मार्ग (सीवान जिलान्तर्गत मेहरौना–सीतामढ़ी जिलान्तर्गत भिठ्ठा मोड़), दीघा–बेतिया इत्यादि के क्रियान्वयन हेतु कार्य किया जा रहा है।

- बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा प्रमुख मेगा परियोजनाएँ यथा– पटना जिलान्तर्गत कारगिल चौक, गाँधी मैदान से सायंस कॉलेज भाया अशोक राजपथ में Elevated Corridor (**422.00 करोड़ रुपये**), रोहतास जिलान्तर्गत सोन नदी पर पण्डूका के पास पहुँच पथ सहित दो लेन उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल (**210.13 करोड़ रुपये**), भागलपुर जिलान्तर्गत अगुवानीघाट–सुल्तानगंज गंगा सेतु परियोजना के 4 लेन पहुँच पथ का विस्तारीकरण (**209.32 करोड़ रुपये**) एवं गंडक नदी पर सत्तरघाट पुल में अतिरिक्त वाटर वे का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

- **शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाई ओवर का निर्माण** : सुलभ सम्पर्कता हेतु बाईपास निर्माण योजना अंतर्गत वर्तमान में कुल 36 बाईपास का निर्माण होना है। **वर्ष 2023–24 में 200.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

• **ऊर्जा विभाग** द्वारा विद्युत उपकेन्द्र निर्माण (33 / 11 KVA) अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 291 के विरुद्ध उपलब्धि 291, ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन (25 / 63 KVA) अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 95,916 के विरुद्ध उपलब्धि 93,420, पृथक फीडर निर्माण अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 1,354 के विरुद्ध उपलब्धि 1,354 तथा विद्युत पम्प संबंधन अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 2,76,332 के विरुद्ध उपलब्धि 2,71,207 है। **वर्ष 2023–24 में 300.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

• **मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना** : निजी उद्यमियों द्वारा मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु प्रति संस्थान लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 20 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में अभी तक कुल 62 स्कूलों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। 21 संस्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे राज्य में कुशल वाहन चालक उपलब्ध होंगे एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।

9. औद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास अर्थव्यवस्था की नींव होती है। यह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ–साथ राज्य के विकास में सहायक होती है। विगत 10 वर्षों में बिहार के औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 9.5 प्रतिशत एवं अन्य सेवाओं में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है। इस बार के बजट में औद्योगिक विकास के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव है।

• **राज्य सिंगल विण्डो पोर्टल** : निवेश प्रोत्साहन पर्षद को प्रभावशाली बनाते हुए 07 दिनों के अन्दर आवेदनों / समस्याओं के समाधान / निष्पादन की व्यवस्था की गई है और इस वर्ष 95.38 प्रतिशत मामले निष्पादित किए गये है। राज्य के नये सिंगल विण्डो क्लियरेन्स पोर्टल को नेशनल सिंगल विण्डो पोर्टल के साथ जोड़ा भी गया है।

• **इथेनॉल नीति एवं राज्य में इथेनॉल प्लांट की स्थापना** : बिहार में निवेश अनुकूल वातावरण निर्माण तथा निवेश को सुगम बनाने, एवं रोजगार उत्पन्न करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद, सिंगल विन्डो क्लियरेंस, अनुज्ञप्तियों एवं स्वीकृतियों का समयबद्ध अनुमोदन इत्यादि की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में उद्योग विशेषज्ञों, उद्योग संघों, निवेशकों एवं विषय विशेषज्ञों से विमर्शोपरान्त इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 तैयार की गई है। इस नीति से इथेनॉल प्रक्षेत्र में निवेश को अधिक आकर्षक बनाया गया है, जो सफल हो रहा है। इसके अलावा पूर्णियाँ में देश का पहला ग्रीन फील्ड इथेनॉल प्लांट प्रारंभ हुआ। बिहार में 17 इथेनॉल इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।

- इसके अलावा, राज्य सरकार के प्रयासों से बरौनी में 550.00 करोड़ रुपये के निवेश से पूर्वी भारत के सबसे बड़े एल०पी०जी० बॉटलिंग प्लांट की शुरूआत की गई।

- मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ में खादी मॉल की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए 16.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- **पर्यटनः** बिहार की प्राकृतिक, पौराणिक, सांस्कृतिक संपदा न केवल बहुआयामी बल्कि एक समृद्ध वैश्विक विरासत के रूप में है। पर्यटन उद्योग के अंतर्गत आवासन परियोजनाओं, खाद्य उन्मुखी परियोजनाओं, मनोरंजन पार्कों के साथ जलक्रीड़ा तथा परिवहन इत्यादि के क्षेत्र में निवेश से रोजगार की वृहत सम्भावनाएँ हैं। राज्य सरकार इस क्षेत्र में निवेश हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है।

- पर्यटन राज्य के लिए राजस्व अर्जक क्षेत्र है। राज्य में पर्यटन प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई संरचनागत एवं विकासात्मक कार्य किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि दर्ज की गई है।

- 6 रोपवे परियोजनाओं में गया में प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत तथा ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद में वणावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत एवं रोहतास में रोहतासगढ़ किला का कार्य आरंभ कर योजना को पूर्ण किया जायेगा।

- गया जिला के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जायेगा।

10. शहरी विकास

राज्य सरकार के सात निश्चय–2 के अवयव 'स्वच्छ शहर विकसित शहर', को भी 2023–24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है।

राज्य के आर्थिक विकास में गतिशील शहरी अर्थव्यवस्था की अपनी भूमिका है। राज्य सरकार अपने संसाधनों के अन्तर्गत राज्य के नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए सतत् प्रयत्नशील है। शहरों को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि–

- सुपौल को Garbage Free Cities (GFC) Certification Category में वन स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है।

- वर्ष 2021 में ODF+ शहरों की संख्या 24 थी जबकि वर्ष 2022 में पटना नगर निगम सहित बिहार के 32 शहरों को ODF+ Certified घोषित किया गया है।

- राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकायों में हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुलतानगंज को टॉप 10 रैकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है।

- **सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास** : सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित की जानी है, जिससे जल जमाव की कोई समस्या न हो। इसके तहत सर्वप्रथम नगर निगम क्षेत्रों में योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों (खगौल, दानापुर एवं फुलवारीशरीफ सहित) से जल निकासी के लिए 9 Catchment area में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम हेतु कुल 957.51 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है। जल–जमाव की समस्या को दूर करने हेतु 42 नगर निकायों में बड़े Outfall Drain के निर्माण की योजना एवं सहरसा, सासाराम, मधुबनी, सुपौल, छपरा, कटिहार, एवं दरभंगा शहरों में Storm Water Drainage की योजना प्रस्तावित है। इन सबके लिए **वर्ष 2023–24 में 276.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

- **सम्राट अशोक भवन निर्माण** : राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तर के आयोजन हेतु बहुद्देशीय नगर भवन के रूप में सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके अंतर्गत कुल कार्यरत 141 नगर निकायों में से अब तक 103 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण की योजना की स्वीकृति दी गयी है।

- **बस स्टैंड का निर्माण** : राज्य में कुल 38 बस स्टैंड निर्माण की योजना स्वीकृत है, जिसमें से 27 बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 04 बस स्टैंड निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पटना में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल (अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, ISBT) से वाहनों का परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा पाटली बस स्टैंड का निर्माण पटना जिला के बिहटा अंचल में किया जाना प्रस्तावित है।

- **व्यक्तिगत शौचालय** की सुलभता तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान हेतु प्रखंड स्तर पर एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र बनाये जाने का प्रावधान है।

- भूमिहीन परिवारों, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों एवं अस्थायी आबादी को शौचालय की सुलभता उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2023–24 में बचे हुए ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार **सामुदायिक स्वच्छता परिसर/कलस्टर शौचालय** का निर्माण किया जाएगा।

• **वृद्धजन हेतु आश्रय स्थल :** राज्य के 38 जिला मुख्यालयों में वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु वर्ष 2023–24 में 20.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• **शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन :** शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन की नीति निर्धारण की कार्रवाई की जा रही है एवं इस हेतु **वर्ष 2023–24 में 35.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

• **सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण :** सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृहों सहित मोक्षधाम का निर्माण कराया जाना है, जहां लोगों को दाह संस्कार हेतु जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। प्रस्तावित कुल 43 विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम में से 35 की स्वीकृति प्राप्त है। इसके लिए **वर्ष 2023–24 में 120.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

सरकार की प्राथमिकता है कि सभी राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएँ यथाः– पेयजल, शौचालय एवं बिजली उपलब्ध हो, बल्कि आधारभूत संरचनाओं यथाः– सड़क, गली–नाली, पुल आदि का भी विस्तार हो। इसके साथ ही, युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाने तथा उनके लिए उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था का विस्तार करना भी प्राथमिकताओं में शामिल है।

विभागवार बजट प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य सरकार के विभागों के लिए प्रस्तावित राशि एवं महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी सदन के पटल पर रखता हूँ।

कृषि विभाग

- राज्य की **76 प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित** है। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य को **05 कृषि कर्मण पुरस्कार** प्राप्त हुआ है।

- अनियमित मानसून से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए **आकस्मिक फसल योजना** के तहत वर्ष 2022 में **3.31 लाख किसानों को 17,125 क्विंटल निःशुल्क बीज की आपूर्ति** की गयी।

- आधुनिक खेती में बीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2022–23 में खरीफ मौसम में 4,87,000 किसानों को 94.43 हजार क्विंटल बीज तथा रबी मौसम में 7.56 लाख किसानों के बीच 2.66 लाख क्विंटल बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसमें से खरीफ मौसम में 96,179 किसानों के बीच 18,493 क्विंटल तथा रबी मौसम में 2,44,772 किसानों के बीच 18,696 क्विंटल बीज की होम डिलिवरी की गयी।

- राज्य में **बागवानी के विकास** के लिए वर्ष 2022–23 में **2,292 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों** के नये बगीचे की स्थापना की गयी। 1.57 लाख मशरूम किट का वितरण, 7,500 एकड़ में ड्रीप सिंचाई पद्धति की स्थापना एवं 761 सामूहिक नलकूप स्थापित किये गये।

- **आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान कार्यक्रम** के तहत वर्ष 2022 में किसानों से 1,26,886 आवेदन प्राप्त हुए। किसानों से प्राप्त आवेदन का विहित प्रक्रिया से जाँच एवं परमिट निर्गत करने तथा कृषि यंत्रों के वास्तविक क्रय के बाद 5.17 करोड़ रुपये अनुदान राशि का भुगतान किया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारे के जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गयी है। जैविक कॉरिडोर में 188 किसान उत्पादक संगठन बनाया गया है। वर्ष 2022 में 186 किसान उत्पादक संगठन के **17,229 एकड़ रकबा को जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र** प्राप्त हुआ है। किसानों को जैविक इनपुट के व्यवहार के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण के साथ–साथ 11,500 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

- 38 जिलों के 190 गाँव में **जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक का प्रत्यक्षण** के तहत वर्ष 2022 के गरमा मौसम में 11,880 एकड़, खरीफ मौसम में 22,901 एकड़ तथा रबी मौसम में 23,600 एकड़ में आधुनिक कृषि तकनीक का प्रत्यक्षण आयोजित किया गया।

- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, पटना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्ष 2022 में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा एवं कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर में छात्रों के नामांकनोपरांत पठन–पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

- किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी देने के लिए वर्ष 2022 में 16,810 किसान चौपाल का आयोजन कर 16 लाख से अधिक किसानों तथा 678 किसान पाठशाला का आयोजन कर 16,975 किसानों को प्रशिक्षित किया गया एवं 66,577 किसानों का परिभ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1,205 कृषक हितकारी समूह एवं 702 महिला खाद्य सुरक्षा समूह का गठन किया गया तथा 38 किसान मेला का आयोजन किया गया।

- कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यान्वन किया गया है। **दिनांक– 31.03.2023 के बाद से आगे 05 वर्षों के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप बनाने का कार्य किया जा रहा है** जिसके तहत कृषि से किसानों की आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन तथा कृषि संबंधित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सेकेण्ड्री कृषि से संबंधित शिक्षा एवं शोध संस्थान की स्थापना की जायेगी।

- जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अनियमितता के बढ़ने से होने वाले खतरे एवं इसके समाधान से परिचित कराने के लिए राज्य में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को स्थायी कार्यक्रम के रूप में चलाते हुए प्रत्येक जिला में कृषि वैज्ञानिकों की देख–रेख में जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक का प्रत्यक्षण आयोजित किया जायेगा।

- चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन एवं तेलहन फसलों के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा। इसके लिए राज्य में दलहन एवं तेलहन विकास मिशन तथा आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जायेगी। साथ ही बीज की समग्र योजना, बीज रॉलिंग प्लान कार्यान्वित किया जायेगा। बीज के उत्पादन से लेकर बीज की उपलब्धता किसानों के बीच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ायी जायेगी।

- जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद धान एवं गेहूँ पर हो रहे कुप्रभाव को देखते हुये राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए **क्रॉप डायवर्सीफिकेशन मिशन** की स्थापना की जायेगी।

- किसानों को घोड़परास एवं अन्य जंगली पशुओं से फसलों की हो रही क्षति के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। राज्य में पौधा संरक्षण की परामर्श सेवा तथा पौधा संरक्षण दवाओं को किसानों तक पहुँचाने के लिए कदम उठाये जायेंगे ताकि जलवायु परिवर्तन के कारण नये–नये कीट व्याधि से फसलों की क्षति को कम किया जा सके।

- राज्य में बागवानी के विकास के तहत मखाना एवं मधु के सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित किये जायेंगे। पौध सामग्री के उत्पादन एवं इसकी गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए समग्र कार्य योजना लागू की जायेगी।

- भूमि एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जायेगी। भूमि एवं जल संरक्षण कार्यों का विस्तार उत्तर बिहार के जिलों में किया जायेगा।

- डिजिटल कृषि के तहत किसानों को कृषि संबंधी परामर्श के लिए एक सिंगल विण्डो सुविधा प्रदान की जायेगी ताकि किसान फसलों में लगने वाले कीट व्याधि आदि के संबंध में यथासमय वैज्ञानिकों का परामर्श प्राप्त कर सकेंगे।

- राज्य में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बाजार प्रांगणों में नये आधारभूत संरचनाओं का विकास कर इसे आधुनिक बनाया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 2,781.99 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 857.79 करोड़ रुपये कुल 3,639.78 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

- वर्ष 2022–23 में अब तक 20.52 लाख पशुओं की चिकित्सा, 64 हजार पशुओं का बधियाकरण एवं 10,182 नमूनों की पैथोलॉजिकल जाँच की गयी तथा कुल 1,055 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 1.30 लाख पशुओं की चिकित्सा एवं 3,793 नमूनों की पैथोलॉजिकल जाँच की गयी है।

- वर्ष 2022–23 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित पशुओं के लिए पशु शिविर लगाकर 5,337 पशुओं की चिकित्सा एवं 377.48 क्विंटल चारा का वितरण किया गया।

- **पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम** के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के तकनीकी सहयोग से 84.2748 करोड़ रुपये की लागत से मरंगा, पूर्णियाँ में नया फ्रोजेन सिमेन स्टेशन स्थापित किया गया है। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022–23 में अब तक 30.00 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया है।

- वर्ष 2022–23 में अब तक 4,64,668 चूजों का वितरण किया गया है। जीविका के माध्यम से 17.4186 लाख चूजों का वितरण 45,836 परिवारों के बीच किया गया है।

- **राष्ट्रीय पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम** के तहत गोजाति एवं भैंसजाति के अब तक 201.58 लाख पशुओं को ईयर टैगिंग किया गया है। 132.13 लाख पशुओं का FMD रोग के विरूद्ध टीकाकरण एवं अक्टूबर, 2022 से प्रारम्भ हुए HSBQ टीकाकरण कार्यक्रम में अब तक 168.89 लाख पशुओं का HSBQ टीकाकरण किया गया है।

- बिहार में उत्पादित 34,820 टन मछली राज्य से बाहर ब्रिक्री हेतु **नेपाल एवं सिल्लीगुड़ी, लुधियाना, अमृतसर, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, कप्तानगंज, राँची तथा गोड्डा** आदि प्रमुख शहरों में जा रही है।

- **सात निश्चय–2** के तहत वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास की योजना, समग्र अलंकारी मात्स्यिकी योजना, खुली जल–स्त्रोत में पेन/Resources For the Future (RFF) से मछली पालन, "बायोफ्लॉक" एवं ''Recirulatory Aquaculture System (RAS)'' आधारित तकनीक से मत्स्य पालन की योजना, निजी तालाबों का जीर्णोद्धार की योजना, जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना स्वीकृत एवं कार्यान्वित है।

- विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 43,943 मत्स्य कृषकों को **आधुनिक मत्स्य पालन** विषय में निःशुल्क मत्स्य प्रशिक्षण दिया गया।

- सात निश्चय–2 के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक चार वर्षों में 7,000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जायेगा। वर्ष 2022–23 में 14.00 करोड़ रुपये के लागत व्यय पर 1,000 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन एवं 7.525 करोड़ रुपये के लागत व्यय पर 150 नये विपणन केन्द्र की स्थापना कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जा रहा है।

- कुल 38.05372 करोड़ रुपये की लागत व्यय पर **समग्र गव्य विकास योजना** अन्तर्गत 2 दुधारू मवेशी की 3,229 डेयरी इकाई तथा 4 दुधारू मवेशी की 374 डेयरी इकाई अर्थात कुल 3,603 डेयरी इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी है।

- कॉल सेंटर एवं मोबाईल ऐप की मदद से डोर स्टेप सेवा की व्यवस्था, प्रत्येक 8–10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था, पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं को डोर स्टेप डिलिवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जायेगी ताकि लोग कॉल सेंटर में फोन कर अथवा मोबाईल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे।

- देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अन्तर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के आधारभूत संरचना का निर्माण, अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों में पैथोलॉजिकल जाँच, पशु चिकित्सा सेवा, पशु स्वास्थ्य का विकास, भैंस विकास कार्यक्रम, पशु नस्ल सुधार, भेड़ एवं बकरी विकास कार्यक्रम, गोशाला विकास एवं सूकर विकास से संबंधित योजनाएं लागू की जायेगी ।

- राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों एवं बेरोजगार युवाओं के लिए **समग्र गव्य विकास योजना** के तहत ऋण–सह अनुदान पर रोजगार के अवसर सृजित किए जायेंगे।

- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट–2 के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना/जलाशय मात्स्यिकी विकास की योजनाएँ/राज्य के मछुआरों के लिए नाव, जाल एवं मछली बिक्री कीट की योजना/समग्र अलंकारी मात्स्यिकी योजना/आर०एफ०एफ० से मछली पालन की योजना/मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना/तालाब

मात्स्यिकी प्रत्यक्षण एवं प्रसार संवर्द्धन योजना/राज्य के गंगा नदी तंत्र में नदी पुनर्स्थापन कार्यक्रम/निजी तालाबों का जीर्णोद्धार की योजना तथा राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना एवं पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन आदि की योजना मुख्य रुप से प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 1,093.01 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 416.01 करोड़ रुपये कुल 1,509.02 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

सहकारिता विभाग

- राज्य के किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के उद्देश्य से धान/गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य E-Procurement प्रणाली अन्तर्गत मोबाईल ऐप एवं वेब पोर्टल द्वारा ऑन लाईन व्यवस्था के माध्यम से निष्पादन किया जा रहा है।

- खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में 7,104 समितियों द्वारा 6.42 लाख किसानों से 44.90 लाख मीट्रिक टन एवं 2022–23 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति में दिनांक 15.02.2023 तक 7,117 समितियों द्वारा 5.77 लाख किसानों से 42.05 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है।

- वर्ष 2022–23 में अब तक 118 गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिससे 0.656 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हुई है एवं 542 गोदाम निर्माणाधीन है जिसके पूर्ण होने पर 3.25 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि होगी।

- खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन हेतु चावल मिल की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् कुल 506 चावल मिल में से 469 मिल की स्थापना हो चुकी है तथा 37 चावल मिल निर्माणाधीन/प्रक्रियाधीन है। सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति ससमय सुनिश्चित कराने हेतु क्रय किये गये धान को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप नमी प्रबंधन (17%) करने हेतु ड्रायर की स्थापना की जा चुकी है तथा पूर्व से स्थापित 116 चावल मिलों के साथ 116 ड्रायर की स्थापना निर्माणाधीन है। सहकारी क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत् पैक्स एवं व्यापार मंडलों में अब तक 6,766 गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिससे 13.8895 लाख मीट्रिक टन क्षमता की अभिवृद्धि हुई है।

- मुख्यमंत्री हरित कृषि सयंत्र योजनान्तर्गत राज्य के सभी 8,463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित की जानी है। कुल 2,723 पैक्सों द्वारा 11,363 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए GeM Portal पर क्रय आदेश निर्गत कर पैक्सों को 10,147 प्रकार के कृषि यंत्रों की आपूर्ति की गयी है।

- **बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना** का विस्तार कर राज्य के सभी जिलों में सब्जी उत्पादक किसानों को गठित समितियों का सदस्य बनाकर योजना का लाभ प्रदान कराना है। अधिक से अधिक ग्राहकों को गुणवत्तायुक्त सब्जी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु बड़े पैमाने पर शहरों में सब्जी बिक्री केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

- बिहार राज्य फसल सहायता अंतर्गत खरीफ 2021 मौसम में कुल 3,19,354 लाभान्वित किसानों को 207.23 करोड़ रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। रबी 2021–22 मौसम में अब तक 1,55,936 लाभार्थी किसानों को 101.28 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2022 मौसम हेतु कुल 16,64,950 किसानों का निबधंन हो चुका है। रबी 2022–23 मौसम में दिनांक 10.01.2023 तक कुल 1.11 लाख किसानों का निबंधन कराया गया है। निबंधन की अंतिम तिथि मार्च 2023 तक निर्धारित है।

- **पैक्स कम्प्यूटरीकरण** : सभी पैक्सों को चरणबद्ध रूप से वर्ष 2022–23 से 2026–27 की अवधि में कम्प्यूटरीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

- **सहकारी ऋण वितरण** : वर्ष 2021–22 में वार्षिक क्रेडिट प्लान अंतर्गत निर्धारित कुल लक्ष्य 4,066 करोड़ रूपये के विरूद्ध 10,233 करोड़ रूपये का वित्त पोषण किया गया, जो लक्ष्य का 251.65 प्रतिशत है। वर्ष 2022–23 में दिनांक–02.01.2023 तक कुल 38,636 कृषकों को 131.86 करोड़ रूपये का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है।

- एक परिसर में सारी सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक सहकार भवन बनाने की योजना के आलोक में **13 सहकार भवन का निर्माण** हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 969.94 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 220.71 करोड़ रुपये कुल 1,190.65 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

लघु जल संसाधन विभाग

'जल–जीवन–हरियाली अभियान' के अंतर्गत परम्परागत जलस्त्रोत यथा 01 एकड़ से बड़े आहर–पईन, 05 एकड़ से बड़े रकबा वाले तालाब, छोटी–छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों

के जल ग्रहण क्षेत्रों में चेकडैम बनाकर जल संचयन एवं सिंचाई उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में अब तक 1,644 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है। इन योजनाओं से 1,54,022 हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता तथा 865 लाख घन मी0 जल संचयन क्षमता सृजित हुई है। इसके अतिरिक्त 178 योजनाओं का इस वित्तीय वर्ष में 348.71 करोड़ रुपये की लागत पर 263 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें 81 आहर पईन, 154 पोखर, 13 चेक डैम एवं 15 गारलैंड ट्रेंच हैं।

- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अंतर्गत **'हर खेत तक सिंचाई का पानी'** कार्यक्रम के तहत् 26,652 योजनाएँ असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित की गयी है जिसमें 3,758 आहर–पईन, 758 चेक डैम, 812 उद्वह सिंचाई योजना एवं 21,273 नलकूप योजना हैं। इन योजनाओं को अगले पाँच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। वर्ष 2022–23 में 247 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं 80 योजनाएँ पूर्ण कर ली गई हैं जिससे 18602, हे0 सिंचाई क्षमता एवं 17.198 घन मीटर जल संचयन हुआ है।

- राजकीय नलकूपों के प्रबंधन, रख–रखाव एवं संचालन का दायित्व ग्राम पंचायतों को दिया गया है। वर्त्तमान में 4,500 राजकीय नलकूप क्रियाशील हैं तथा वर्ष 2021–22 से 2022–23 में 2,249 बंद नलकूपों की मरम्मति हेतु स्वीकृति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 826.87 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 193.84 करोड़ रुपये कुल 1,020.71 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

जल संसाधन विभाग

- **''हर खेत तक सिंचाई का पानी''** कार्यक्रम के तहत् संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर राज्य में कुल 29,952 योजनाओं का चयन किया गया है। तकनीकी सर्वेक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कुल चयनित 661 योजनाओं में से 433 योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार कर 423 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। निविदा के पश्चात् प्रारंभ किये गये कुल 363 योजनाओं पर कार्य कर 156 योजनाएँ पूरी की जा चुकी है। अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन प्रगति में है।

- **''जल–जीवन–हरियाली अभियान''** के तहत् **गंगा जल आपूर्ति योजना** के अंतर्गत मानसून अवधि के अधिशेष जल को गंगा नदी से उद्वह कर पाईप लाईन के माध्यम से लगभग

4,175 करोड़ रुपये की योजना के अन्तर्गत राजगीर, गया एवं बोधगया शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है। राज्य में इस तरह की यह पहली योजना है। इस योजना के माध्यम से इन शहरों के लिए वर्ष 2051 तक की जनसंख्या के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। नवादा शहर में पेयजलापूर्ति हेतु पौरा के निकट जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति में है।

- **पश्चिमी कोसी नहर परियोजना** का अवशेष कार्य तथा पूर्व से निर्मित नहरों एवं संरचनाओं का पुनर्स्थापन कार्य 810.00 करोड़ रुपये की लागत राशि से प्राथमिकता के आधार पर मार्च, 2023 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। इससे मधुबनी जिला के 19 प्रखंडों एवं दरभंगा जिला के 5 प्रखंडों के कृषक लाभान्वित होंगे।

- गंडक फेज–2 के तहत् 1.22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का कार्य प्रगति में है। योजना का लाभ मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले के कृषकों को प्राप्त होगा।

- वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से राज्य में कुल संभावित सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध मार्च, 2022 तक कुल 37.22 लाख हेक्टेयर क्षमता का सृजन किया गया है। वर्ष 2022–23 में 25 अदद् योजनाओं का कार्य कार्यान्वित किया जा रहा है।

- वर्ष 2022–2023 खरीफ सिंचाई के लिए 21.58 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य, जिसमें खरीफ, रबी और गरमा सिंचाई शामिल है, के विरूद्ध 18.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। रबी सिंचाई 2022–23 के लिए 7.21 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- वर्ष 2022–23 खरीफ अवधि में सुखाड़ की विषम परिस्थिति में अनेक नहरों के अंतिम छोर तक एवं बहुत सारे नदियों के तटबंधों पर निर्मित एंटी फ्लड स्लूईस गेटों को खोलकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- कैमूर जिलान्तर्गत **तियरा पम्प हाउस** का निर्माण एवं इसके वितरण प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य 56.53 करोड़ रुपये तथा **ढड़हर पम्प हाउस** का निर्माण कार्य एवं लिंक नहर का निर्माण 57.71 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। इस कार्य के फलस्वरूप क्रमशः 2,065 हे० एवं 2,716 हे० में सिंचाई क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है।

- 64.22 करोड़ रुपये की लागत से बक्सर जिलान्तर्गत कर्मनाशा नदी पर **निकृष पम्प नहर**

योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप 2,786.10 हे० में सुनिश्चित सिंचाई प्राप्त करने के कार्य को अगस्त, 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- **नदी जोड़ योजना** के तहत् राज्य सरकार द्वारा कोसी—मेची लिंक योजना के पूर्ण होने के उपरांत कुल 2.14 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

- बाढ़ 2023 पूर्व 243 अदद् बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को 434.36 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण करने का लक्ष्य है जिससे आगामी बाढ़ अवधि में तटबंधों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी।

- सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए **मृत नदियों को पुनर्जीवित** किया गया है। साथ ही, पटना जिला अंतर्गत घोसवरी घाट से रवाइच, सीढ़ीघाट, मुक्तिधाम होते हुए रामनगर दियारा तक गंगा की धारा को पुनर्जीवित किया गया है।

- कोसी नदी के दायें एवं बायें तटबंधों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण का कार्य, महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना, बागमती बाढ़ प्रबंधन की योजना, झीम—जमुरा नदी के किनारे बायें एवं दायें तटबंधों के निर्माण का कार्य, टाल विकास योजना एवं कमला बलान के बायें एवं दायें तटबंधों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण का कार्य प्रगति में है।

वित्तीय वर्ष 2023—24 में स्कीम मद में 3,212.63 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,166.12 करोड़ रुपये कुल 4,378.75 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पंचायती राज विभाग

- राज्य सरकार द्वारा सभी 8,058 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से **पंचायत सरकार भवन** निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। अब तक राज्य के कुल 3,200 पंचायत सरकार भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 1,485 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं अवशेष निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों को जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना** के तहत सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग को आवंटित 58,003 वार्डों में से 57,721 वार्डों

में जल की आपूर्ति की जा रही है। अवशेष बचे हुए गृहों में भी शत–प्रतिशत जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य है जिसे जल्द ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

- **पंचायत निश्चय सॉफ्ट** : पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं यथा– मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना, पंचायत सरकार भवन, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र एवं स्वास्थ्य उप–केन्द्र का निर्माण आदि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का सतत् अनुश्रवण **पंचायत निश्चय सॉफ्ट** के माध्यम से किया जा रहा है।

- **15वाँ वित्त आयोग (Tied एवं Untied)** : 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए Tied एवं Untied के रूप में भारत सरकार से कुल 19,561.00 करोड़ रुपये अनुदान की राशि प्राप्त होने वाली है। इसे राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों) के बीच क्रमशः 70:15:15 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। वर्ष 2022–23 में Untied अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की कुल 1,536.00 करोड़ रुपये की राशि तथा Tied अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की कुल 2,305.20 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से प्राप्त है, जिसे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध करा दी गई है।

- **15वाँ वित्त आयोग (Health Sector Grant)** : स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक के लिए कुल 48,02.88 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होना प्रस्तावित है। वर्ष 2023–24 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से स्वास्थ्य प्रक्षेत्र अनुदान की कुल 949.52 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होनी है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाईट** : ''स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव'' निश्चय के अंतर्गत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाना है। इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर ब्रेडा द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जाएगी जिनका रख–रखाव पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

- वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग मद से प्रत्येक पंचायत के 4 वार्डों में पूर्ण रूप से सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु कुल 247.13 करोड़ रुपये जिलों को उपलब्ध कराई गई है।

- **क्षमतावर्द्धन :** त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को सूचना तकनीक से आच्छादित करते हुए सभी नव–निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का उन्मुखीकरण एवं उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। नवनियुक्त प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों एवं पंचायत सचिवों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

- **मानव बल की व्यवस्था :** सभी ग्राम पंचायतों में एक–एक कार्यपालक सहायक का नियोजन किया गया है। प्रत्येक चार पंचायत पर एक–एक तकनीकी सहायक एवं लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक का नियोजन किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं हेतु अलग से पंचायत राज अभियंत्रण संवर्ग का गठन किया जा रहा है। इस हेतु कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता का पद चिन्हित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 1,294.05 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 9,125.15 करोड़ रुपये कुल 10,419.20 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास विभाग

- **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना** के तहत वर्ष 2022–23 के लिए स्वीकृत 25 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 16 जनवरी 2023 तक कुल 19.68 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया है जिसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की भागीदारी क्रमशः 56.78 प्रतिशत एवं 17.98 प्रतिशत है। मनरेगा अंतर्गत कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य में व्यय का प्रतिशत 74.54 है जो विगत वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत मनरेगा से वर्ष 2022–23 में 1.47 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। विगत तीन वर्षो में जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत अब तक कुल 4.20 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा अंतर्गत राज्य के सभी प्रखंडों में जीविका के सहयोग से **''दीदी की पौधशाला''** निर्माण प्रारंभ किया गया है जिसके विरूद्ध 397 प्रखण्डों में पौधशाला निर्माण की आवश्यक औपचारिकता पूरी कर MoU किया गया है तथा 269 पौधशाला सक्रिय है।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के अंतर्गत वर्ष 2016–17, 2017–18, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के लिए आवास निर्माण हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य 37,35,491 के विरूद्ध दिनांक 17.01.2023 तक कुल 36.93 लाख लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 33,74,311 पूर्ण किया गया है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना** : वर्ष 2018–19 से संचालित इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु सामान्य जिलों में प्रति लाभुक 1.20 लाख रुपये एवं राज्य के 11 समेकित कार्य योजना (Integrated Action Plan) वाले जिलों यथा – अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास एवं सीतामढ़ी में प्रति लाभुक 1.30 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत 17.01.2023 तक 30,876 लाभुकों का निबंधन, 17,808 लाभुकों को आवास की स्वीकृति, 12,824 लाभुकों को तृतीय किस्त की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है, इनमें से 12,953 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है।

- **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान** : विकसित बिहार के सात निश्चय–1 के तहत **'शौचालय निर्माण–घर का सम्मान'** के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं राज्य वित्त सम्पोषित 'लोहिया स्वच्छता योजना' को समेकित करते हुए 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' अंतर्गत 122.15 लाख परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान की गयी।

- **व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता** के अंतर्गत वर्ष 2022–23 में अब तक 3.67 लाख लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का स्वनिर्माण किया गया है जिसमें से दिनांक 17.01.2023 तक 1.97 लाख लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है तथा शेष लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

- **सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण** के तहत वर्ष 2022–23 में 665 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया गया है।

- **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन** के तहत वर्ष 2021–22 में 1,671 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन किया गया एवं वर्ष 2022–23 में 2,543 ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को क्रियान्वित किया जा रहा है।

- गोबर, पशु जनित एवं कृषि अपशिष्ट के निपटान हेतु जिला स्तर पर गोबर–धन (GOBAR-dhan) इकाई प्रावधानित है। वर्ष 2022–23 में 03 जिलों में 03 गोबरधन इकाई का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2023–24 में 10 जिलों में गोबरधन इकाई का निर्माण लक्षित है।

- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा सभी गांवों को 'ओडीएफ–प्लस' गांव बनाया जाना लक्षित है। इसके तीन

चरण क्रमशः **''उदयमान'' (Aspiring) ''उज्ज्वल'' (Rising) एवं ''उत्कृष्ट'' (Model)** हैं। राज्य के 5,623 गांव ''उदयमान'', 829 गांव ''उज्ज्वल'' एवं 167 ''उत्कृष्ट'' गांव समुदाय द्वारा स्वघोषित किये गये हैं।

- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण अंतर्गत वर्ष 2023–24 में लगभग 3,65,000 नये परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य है।
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण अंतर्गत वर्ष 2023–24 में 15 जिलों में एक–एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लक्षित है।
- जीविका परियोजना अंतर्गत अब तक कुल 10.42 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत 01 करोड़ 28 लाख से अधिक परिवारों को समूहों से जोड़ा गया है। साथ ही, 68,407 ग्राम संगठन तथा 1,418 संकुल स्तरीय संघ गठित हो चुके हैं। वर्ष 2022–23 में अब तक कुल 2 लाख समूहों का क्रेडिट लिंकेज किया गया है जिन्हें 5,634 करोड़ रुपये बैंक ऋण प्राप्त हुए हैं।
- कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कृषि विभाग के साथ समन्वय कर निरंतर कार्य किया जा रहा है। अब तक 24.56 लाख महिला किसानों द्वारा कृषि की नयी तकनीक को अपनाया गया है। महिलाओं द्वारा 85 जैविक खेती का चयन कर कलस्टर विकसित किया जा रहा है।
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सहयोग से समेकित मुर्गी विकास एवं एकीकृत बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत 4.65 लाख परिवारों को मुर्गीपालन एवं बकरीपालन से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से कोसी प्रमंडल में 'कौशिकी दुग्ध उत्पादक कंपनी' की स्थापना की गयी है। सीमांचल बकरी उत्पादक कंपनी की स्थापना अररिया में की गई है।
- राज्य बागवानी मिशन के सहयोग से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 7,728 महिलाएं मधुमक्खी पालन का कार्य कर रही हैं। अब तक 2,418.7 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया है।
- "जल–जीवन–हरियाली मिशन" के तहत प्रोत्साहित "तालाबों का रख–रखाव" जीविका संपोषित ग्राम संगठनों से कराया जा रहा है एवं इसके माध्यम से समूह सदस्यों का आजीविका संवर्धन किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के माध्यम से विद्यालयों के "पोशाक

की सिलाई और आपूर्ति" की जा रही है। सभी जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में **"दीदी की रसोई"** का विस्तार किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023—24 में स्कीम मद में 14,986.45 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 465.73 करोड़ रुपये कुल 15,452.18 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

नगर विकास एवं आवास विभाग

राज्य के आर्थिक विकास में गतिशील शहरी अर्थव्यवस्था की महती भूमिका है। राज्य में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद एवं 154 नगर पंचायत कार्यरत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों को बेहतर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

- **Storm Water Drainage OutFall नाला निर्माण** : राज्य के शहरी क्षेत्रों में जल—जमाव की समस्या को दूर करने हेतु 42 नगर निकायों में बड़े OutFall Drain के निर्माण की योजना एवं सहरसा, सासाराम, मधुबनी, सुपौल, छपरा, कटिहार, दरभंगा एवं फुलवारीशरीफ शहरों में Storm Water Drainage की योजना स्वीकृत की गई है।

- **शवदाह गृह** : पटना के बाँसघाट, गुलबीघाट एवं खाजेकलाँ घाट तथा कोनहाराघाट, (वैशाली) भागलपुर, मोकामा, पहलेजाघाट एवं मुंगेर में अवस्थित विद्युत शवदाह गृहों के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सीतामढ़ी में 01 विद्युत शवदाह गृह एवं पारंपरिक शवदाह गृह निर्माण की योजना स्वीकृत की जा चुकी है तथा नगर पंचायत, रिविलगंज में पारंपरिक शवदाह गृह निर्माण योजना की स्वीकृति दी गयी है।

- **मोक्षधाम योजना (Mokshdham Yojana)** के प्रथम चरण में जिला मुख्यालय में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु 35 जिला मुख्यालयों / महत्वपूर्ण नदी घाटों पर शवदाह गृह निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति दी गई है।

- राज्य के छः छोटे—बड़े शहरों मुजफ्फरपुर नगर निगम, बिहारशरीफ नगर निगम, मुंगेर नगर निगम, राजगीर नगर पंचायत, बोधगया नगर पंचायत एवं सुपौल नगर परिषद को मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानक के रूप में विकसित किया जा रहा है।

- 35 नगर निकायों में 51 Material Recovery Facility (MRF) क्रियाशील अवस्था में है जिसमें ठोस अपशिष्ट के गीले एवं सूखे कचरे को प्रसंस्करण के लिए अलग किया जाता है।

- 79 नगर निकायों में 181 खाद्य ईकाई क्रियाशील है जिसमें गीले कचरे से खाद बनाया जा रहा है।

- **नमामि गंगे योजना** : पटना शहर के अतिरिक्त तीन शहर सुल्तानगंज, बाढ़ एवं सोनपुर में कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 12 शहरों मोकामा, बख्तियारपुर, मुंगेर, बेगूसराय, नवगछिया, छपरा, फतुहा, दानापुर, फुलवारीशरीफ, भागलपुर, हाजीपुर एवं मुंगेर में परियोजनाओं का कार्य कराया जा रहा है। नालों के प्रवाह को जैविक उपचार (Bio-remediation) पद्धति से शोधन के उपरांत ही शोधित जल को गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में प्रवाहित किया जाता है।

- **मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना** अंतर्गत प्रत्येक परिवार को निःशुल्क नल जल संयोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। निश्चय योजना के पूर्व 3,26,332 घरों में एवं निश्चय योजना के अंतर्गत अब तक लक्षित 15,85,400 घरों में से 14,63,116 घरों में अर्थात् कुल 17,89,448 घरों में नल जल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है।

- **मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना** : इस योजना के तहत् सभी नगर निकायों के कुल 3,398 वार्डो में से 3,359 वार्डों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस योजना के तहत अब तक कुल 22,589 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है, जिससे 8,36,287 घर पक्की नाली गली से आच्छादित हो चुकी है।

- **शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना** अंतर्गत कुल 4,08,795 शौचालय बनाया जाना है। अब तक 4,07,978 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 817 इकाई निर्माणाधीन है।

- नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन नवगठित 117 नगर निकायों के लिए 4,387 अतिरिक्त पदों, नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय का गठन एवं 62 पदों तथा प्रमंडल स्तर पर नगरपालिका प्रशासन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय का गठन एवं 54 पदों को सृजित किया गया है।

- नगर नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2021, बिहार लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबन्धन संवर्ग नियमावली 2021, बिहार नगरपालिका नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक संवर्ग नियमावली 2021, बिहार नगर पालिका राजस्व सेवा लेखा संवर्ग नियमावली 2021, बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग नियमावली 2021, एवं बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2021 का गठन किया गया है।

- नगर कार्यपालक पदाधिकारी के कुल 110 एवं निम्न वर्गीय लिपिक के सृजित 2,039 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजा गया है। सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबन्धन पदाधिकारी के कुल 286 पदों पर एवं सहायक नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक के कुल 107 रिक्त पदों पर पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा संपादित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2023—24 में स्कीम मद में 4,045.10 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 5,664.05 करोड़ रुपये कुल 9,709.15 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

- राज्य का प्राकृतिक वन क्षेत्र 7,381 वर्ग कि० मी० है तथा हरित आवरण में वृद्धि हेतु वन क्षेत्र के बाहर वृहत पैमाने पर सतत वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरित आवरण वर्ष 2019 में भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 15 प्रतिशत है। राज्य के हरित आवरण को 17 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

- कृषि वानिकी योजना द्वारा राज्य के कृषकों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। जीविका समूहों को वन विभाग से पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं जिन्हें उनके द्वारा स्वयं की भूमि पर रोपित किया जाता है।

- कृषि वानिकी अन्तर्गत काष्ट उद्योग में उपयोग किये जाने वाले प्रजातियों यथा पॉपलर एवं यूकेलिप्टस के रोपन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- बाँस वृक्षारोपण को अत्यधिक महत्व देते हुए बाँस रोपण का कार्य वन क्षेत्र एवं वन क्षेत्र के बाहर निजी भूमि पर, नहर तट और नदी तट पर किया जा रहा है।

- राज्य के विभिन्न कोटि के हितधारकों को सम्मिलित करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 3.00 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है।

- ड्रोन (Hyperspectral sensor mounted) की मदद् से राज्य में पाये जाने वाले औषधीय पौधों का सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा।

- विभाग द्वारा दक्षिण बिहार के जिलों में जल संग्रहण हेतु गारलैंड ट्रेचिंग (Garland

Trenching) की योजना की शुरूआत की गयी है। प्राकृतिक वनों के अंदर भू–जल संरक्षण एवं Garland Trench से 6.69 लाख घन मी० से अधिक वर्षा जल संग्रहित करने की क्षमता विकसित की गई है।

- वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में जल स्त्रोतों के विकास, सुरक्षा एवं संरक्षण तथा अधिवास प्रबंधन एवं चारागाह के विकास के फलस्वरूप बाघों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में गंडक तटीय क्षेत्र में गैंडे के पुनर्स्थापन की Indian Rhino Re-Introduction की परियोजना प्रगति पर है। पश्चिम चंपारण के मंगुराहा प्रक्षेत्र में गज परियोजना के तहत् Elephant Rescue & Rehabilitation Centre स्थापित किया गया है।
- राजगीर जू सफारी में पर्यटकीय सुविधाओं को विस्तारित किया जा रहा है तथा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष हेतु टूर पैकेज शुरू किये गये हैं।
- राज्य में इको–टूरिज्म नीति उद्घोषित की गयी है तथा सभी इको पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है।
- विभाग में सहायक वन संरक्षक, वन संरक्षक, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल तथा वनरक्षी, लिपिक, आशुलिपिक एवं अमीन की नियुक्ति की गयी है।
- राज्य में वानिकी शिक्षा हेतु **मुंगेर जिला में वानिकी महाविद्यालय का निर्माण** कराया गया है जिसमें सत्र प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।
- वायु प्रदूषण के अनुश्रवण हेतु अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
- संपूर्ण राज्य की परिसीमा में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- बिहार राज्य में जलवायु परिवर्तन लर्निंग लैब की स्थापना की गयी है।
- राज्य के लिये जलवायु अनूकूल एवं न्यून कार्बन मार्ग की कार्य नीति के लिये United Nations Environment Programme (UNEP) के साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के द्वारा समझौता किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 517.82 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 263.93 करोड़ रुपये कुल 781.75 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

उद्योग विभाग

- राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2022 लागू किया गया जिसके तहत 10 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस नीति के तहत मुजफ्फरपुर और फतुहा में बैग क्लस्टर का निर्माण किया गया है और जीविका की दीदियों को बैग क्लस्टर से जोड़ा गया है।

- बियाडा के 9 औद्योगिक क्षेत्रों में 24 लाख वर्गफीट को प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक शेड के रूप में विकसित किया गया जो औद्योगिक इकाइयों को 4–8 रुपये प्रति वर्गफीट प्रति माह की दर से दिया जा रहा है। साथ ही, औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन हेतु 3 हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि का प्रावधान किया गया है।

- बुनकरों को रोजगार प्रदान करने हेतु वर्ष 2022–23 में राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम के तहत बुनकर अंशदान की 10 प्रतिशत राशि को राज्य योजना से प्रतिपूर्ति करने हेतु 2 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गयी है।

- युवाओं के बीच खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए **लोक गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर** को बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का **ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया।**

- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में नवचयनित लगभग 8 हजार लाभुकों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके बीच राशि का वितरण किया जा रहा है।

- राज्य के युवाओं को स्टार्ट–अप हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए पटना के मौर्यालोक कॉम्पलेक्स में 64 स्टार्ट–अप को 104 सीटें तथा फ्रेजर रोड के वित्तीय निगम भवन में 200 से अधिक सीटों के लिए आधुनिक कार्यालय विकसित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 1,545.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 103.82 करोड़ रुपये कुल 1,648.82 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

गन्ना उद्योग विभाग

- वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत प्रजनक बीज, आधार बीज एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया है एवं गन्ना कृषकों के बीच 6.60 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण कार्य प्रगति पर है।

- वर्ष 2022–23 में **मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम** के तहत गन्ना फसल के साथ मसूर/मूंग की अंतरवर्ती खेती की योजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।
- पेराई सत्र 2021–22 में गन्ना का आच्छादन 2.40 लाख हे0 तथा रिकवरी 9.64 प्रतिशत हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 100.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 23.36 करोड़ रुपये कुल 123.36 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

समाज कल्याण विभाग

महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं समाज के अन्य वंचित वर्गो के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है।

- **पूरक पोषाहार योजना** अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं में 1,14,718 आँगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से कुल 1,11,21,124 बच्चों, गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।
- **आँगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना** : सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3–6 वर्ष आयु के सभी बच्चों को पोशाक हेतु 400/– रुपये वार्षिक लागत की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
- **पेंशन योजनाएं** : राज्य के विभिन्न लाभुक वर्गों यथा–वृद्धजन, विधवा एवं दिव्यांगजनों हेतु सभी छः पेंशन योजनाओं में कुल 92.04 लाख पेंशनधारियों को माह दिसम्बर, 2022 तक के पेंशन का भुगतान उनके बैंक खाता में किया गया है।
- **कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना** अन्तर्गत वितीय वर्ष 2022–23 में अब तक कुल 30,123 शोक–संतप्त परिवार को लाभ पहुंचाया गया है।
- **बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना** अन्तर्गत Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु 1,500/– रुपये प्रतिमाह प्रति कुष्ठ रोगी की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक 13,094 लाभुकों को ई–सुविधा पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

- **बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना** के तहत एड्स रोगियों को मुफ्त भोजन हेतु 1,500/– रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2022–23 में 48,715 लाभुकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

- **ओल्ड एज होम (सहारा)** : माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2012 के अन्तर्गत राज्य के 05 जिलों में यथा पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, भागलपुर एवं पश्चिम चम्पारण में वृद्धाश्रम (सहारा) संचालित है, जिन्हें गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। इन 05 वृद्धाश्रम की आवासन क्षमता 300 है, जिसमें 210 वृद्धजन आवासित हैं। भवन निर्माण विभाग के माध्यम से पटना (गुलजारबाग), गया तथा पूर्णियाँ में 100 बेड वाले वृद्धाश्रम का निर्माण कराया गया है।

- **मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना** : इस योजना के तहत निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना तथा अन्तर्जातीय विवाह योजना के तहत अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा के माध्यम से 1,00,000/– रुपये की राशि दी जाती है। वर्ष 2022–23 में 195 दिव्यांगजन लाभुकों को तथा अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के 319 लाभुकों को भुगतान किया गया है।

- **बुनियाद केन्द्र** : वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के कल्याणार्थ राज्य के 101 अनुमण्डलों में बुनियाद केन्द्र संचालित हैं। इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में कुल 1,60,516 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है।

- **परवरिश योजना** अंतर्गत चयनित 0–18 वर्षों तक के बच्चों को पालन–पोषण हेतु 1,000/– रुपये प्रति माह की दर से डी०बी०टी० के माध्यम से राशि दी जाती है। वर्तमान में कुल 12,573 लाभुकों को इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है।

- **बाल सहायता योजना** : कोरोना महामारी के कारण अनाथ एवं बेसहारा 0–18 वर्ष आयु समूह के बच्चे, जिनके माता–पिता दोनों की मृत्यु (जिसमें कम–से–कम किसी एक की मृत्यु कोरोना से) हो गई हो, इस योजना के पात्र माने जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत योग्य बच्चे जो गैर संस्थानिक व्यवस्था में अपने अभिभावक के साथ रह रहे हों, को 18 वर्ष की आयु तक पालन–पोषण हेतु अनुदान राशि 1,500/–रुपये प्रतिमाह देय है। इस योजना अंतर्गत अब तक कुल 71 बच्चों को लाभ दिया जा रहा है।

- **समेकित बाल संरक्षण योजना** : इस योजना अन्तर्गत राज्य में विभिन्न लाभुक वर्ग के प्रयोजनार्थ कुल 85 विभिन्न गृह यथा 23 बाल गृह, 11 बालिका गृह, 18 पर्यवेक्षण गृह, 26 विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, 06 विशेष गृह, 1 सुरक्षित स्थान संचालित है।

- **दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 'सम्बल'** : इस योजना अन्तर्गत अब तक कुल 17,275 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के तहत वर्तमान में 8 विशेष विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जिसमें 3 नेत्रहीन एवं 5 मूक–बधिर विद्यालय हैं।

- वर्ष 2022–23 में 4879 चलंत (Locomotor) दिव्यांगजनों को बैट्री संचालित मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल वितरित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 8,136.74 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 74.12 करोड़ रुपये कुल 8,210.86 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कक्षा I से IV 600/– रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति की दर, कक्षा V से VI 1200/– रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति की दर, कक्षा VII से X 1800/–रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति की दर एवं कक्षा I से X (छात्रावासी) 3,000/– रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति की दर पर एकमुश्त भुगतान किया जा रहा है।

- **अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना** के अंतर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति प्राप्त करने हेतु पारिवारिक वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये को बढ़ाकर वर्ष 2020–21 के प्रभाव से 2.50 लाख रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2021–22 में कुल 6,79,760 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके विरूद्ध जाँचोपरान्त अब तक 4,78,062 छात्र/छात्राओं के बीच कुल 194.53 करोड़ रुपये वितरित की जा चुकी है।

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना** : वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित 2.50 लाख रुपये से अधिक एवं 3.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय अधिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति प्रदान

करने हेतु प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना** के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के प्रति छात्र/छात्राओं 10,000/– रुपये की दर से एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है। वर्ष 2021–22 में 99,067 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना** के अतंर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले वैसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000/– रुपये तक या इससे कम हो, को प्रति छात्र 10,000/– रुपये एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है। वर्ष 2021–22 में 73,185 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।

- **जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना :** वर्तमान में 32 जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास संचालित हैं। शेष जिलों में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

- **अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय :** वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित है जिनमें वर्ग 6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित की जाती हैं। सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अब तक 28 जिलों में 29 आवासीय विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

- **प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना** अतंर्गत वर्तमान में 36 जिलों में केन्द्र का संचालन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुल 3,618 छात्र/छात्राएँ प्रशिक्षणरत् हैं।

- **मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना** अंतर्गत वर्तमान में चाणक्य विधि विश्वविद्यालय अवस्थित केन्द्र में 41, चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान में 36 तथा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना में 120 छात्र/छात्राएँ प्रशिक्षणरत् हैं।

- **निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन :** निदेशालय स्तर पर कुल 26 पद तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 420 पद सहित कुल 446 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी

है। पदाधिकारी संवर्ग के मूल कोटि के पद अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु चयन की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 1,676.63 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 110.52 करोड़ रुपये कुल 1,787.15 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

- श्रम संसाधन विभाग अन्तर्गत दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न व्यवसायों में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति परिवार के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। वर्त्तमान में कुल 8 बैच संचालित हैं।

- **नये आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास की स्थापना** : राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक की अवधि में 50,000 से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले 40 प्रखंडों में एक–एक 720 आसन वाले डॉ० भीम राव अम्बेदकर 10+2 आवासीय विद्यालयों की स्थापना एवं निर्माण एवं 30,000 से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले 131 प्रखंडों एवं अनुसूचित जनजाति आबादी वाले 5 प्रखंडों अर्थात कुल 136 प्रखंडों में एक–एक 100 आसन वाले राजकीय कल्याण छात्रावास की स्थापना एवं निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2022–23 में 4 प्रखंड उजियारपुर, कल्याणपुर (समस्तीपुर), बिहारशरीफ (नालन्दा), मोहनियां (कैमूर) में आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

- **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना** : इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत प्रति छात्र/छात्राओं को 1,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना से लगभग 5,600 छात्र/छात्राएँ लाभान्वित हुए हैं।

- **थरूहट क्षेत्र विकास** : थरूहट क्षेत्र के विकास के लिए पश्चिम चम्पारण के थरूहट क्षेत्र में कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अब तक 272 योजनाओं में से 252 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। थरूहट क्षेत्र में 49 पुस्तकालय भवनों का निर्माण किया गया है। थरूहट क्षेत्र में अवस्थित मध्य विद्यालय/उच्च विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए खेल सामग्री का वितरण किया गया है।

- **बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना :** जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शिका के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा बिहार में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभिन्न कोटि के कुल 24 पदों का सृजन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 1,485.53 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 319.97 करोड़ रुपये कुल 1,805.50 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

- वर्ष 2018–19 से अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रति माह प्रति छात्र/छात्रा को 1,000/– रुपये अनुदान राशि तथा उन छात्रावासों में प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजनान्तर्गत 13,807 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए 138.07 लाख रूपये तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खाद्यान्न योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक छात्रावासों में आवासित 2,114 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न योजना से लाभान्वित किया गया है।

- **अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना :** वर्ष 2022–23 में अब तक 2,791 अल्पसंख्यक बेरोजगार युवक/युवतियों के बीच 65.85 करोड़ रूपये का ऋण वितरण किया गया है और लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण की कार्रवाई की जा रही है।

- **बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना** अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 03 मदरसों के सुदृढ़ीकरण हेतु 886.51 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा 746.50 लाख रूपये उपलब्ध कराये गये हैं। इस योजना के तहत 4,000 शिक्षकों एवं 2,000 प्रधान मौलवियों का प्रशिक्षण तथा 200 मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाना है।

- अल्पसंख्यक युवाओं के स्वरोजगार एवं नियोजन योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कामगारों/नव–युवकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर नियोजन का अवसर प्रदान करना है। वर्ष 2022–23 में इस योजनान्तर्गत अब तक 548 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया जिस पर कुल 77.77 लाख रूपये व्यय किया गया है।

- **बिहार राज्य वक्फ विकास योजना अन्तर्गत** : वर्ष 2022–23 में नालंदा में बहुद्देशीय भवन, विवाह भवन, पुस्तकालय एवं दुकान के निर्माण हेतु 19.04 करोड़ रूपये की 02 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पटना में बहुद्देशीय भवन के निर्माण हेतु 39.54 करोड़ रूपये तथा किशनगंज में मार्केटिंग कम्पलेक्स हेतु 4.58 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 583.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 52.90 करोड़ रुपये कुल 635.90 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- **ऑनलाईन दाखिल–खारिज** : राज्य के सभी 534 अंचलों में ऑन–लाईन दाखिल–खारिज याचिकाओं का निष्पादन किया जा रहा है। साथ ही सृजित जमाबंदी को डिजिटाईज्ड कर आमलोगों के अवलोकन हेतु विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अब तक ऑन–लाईन माध्यम से दाखिल–खारिज हेतु 96,25,437 याचिकाएँ दायर की गयी हैं जिनमें 86,44,877 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है, जो कुल निष्पादन का 89.81 प्रतिशत है।

- **ऑनलाईन भू–लगान भुगतान** : राज्य के सभी 534 अंचलों को ऑनलाईन भू–लगान भुगतान हेतु अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2022–23 में अब तक 41,73,768 भू–लगान रसीद निर्गत किये गये हैं जिसके तहत कुल संग्रहित राशि 89.88 करोड़ रुपये भू–लगान के रूप में सरकार को प्राप्त हुई है।

- **ऑनलाईन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र** हेतु अब तक कुल 6,52,700 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 6,45,690 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। शेष आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है।

- **अभियान बसेरा कार्यक्रम** अन्तर्गत दिनांक–31.03.2016 तक वासरहित सर्वेक्षित सभी 2,40,750 परिवारों को विभिन्न श्रोतों से वास भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है। सुयोग्य श्रेणी–यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग– अनुसूची–I एवं पिछड़ा वर्ग–अनुसूची–II के सर्वेक्षित कुल–1,16,603 परिवारों में से अभी तक 94,784 परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करायी गयी है। शेष 21,819 वासभूमि रहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

- **ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी :** पर्चाधारियों को आवंटित भूमि पर बेदखल किये जाने की स्थिति में दखल–कब्जा दिलाने के उद्देश्य से "ऑपरेशन भूमि दखल देहानी" कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। पंचायतवार विशेष शिविरों का आयोजन कर बेदखली के मामलों का पता लगाने तथा पुलिस बल की मदद से बेदखल पर्चाधारियों को उनके आवंटित भूमि पर दखल दिलाने का कार्य किया जा रहा है।

- **भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण (विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम) :** भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण कार्य हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 संशोधन 2017 अधिनियमित किया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 संशोधन 2019 में आधुनिक तकनीक के उपयोग से अद्यतन सर्वे मानचित्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

- **भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण :** बिहार राज्य के सभी 38 जिलों का अद्यतन आंशिक भू–अभिलेख डाटा विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है, जिसे रैयत कहीं भी कभी भी अपनी भूमि का विवरण विभागीय वेबसाईट lrc.bih.nic.in पर देख सकते है। शेष जिलों का अद्यतन डाटा शीघ्र विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का लक्ष्य है। भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु सभी अंचलों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर प्रतिनियुक्त किये गये हैं तथा सभी अंचल कार्यालयों में Internet connectivity की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

- **राजस्व अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन :** विभिन्न राजस्व अभिलेख यथा राजस्व मानचित्र एवं चकबंदी अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन कार्य तथा जमाबंदी पंजी का डिजिटाईजेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं वेबसाइट पर प्रकाशित है। शेष महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन कार्य अगले 02 वर्षों में पूर्ण कर लिया जायेगा।

- **सर्वे / री–सर्वे :** मार्च 2020 में नियोजन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात राज्य के 20 जिलों यथा लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ, कटिहार, जहानाबाद, शिवहर, अरवल, सीतामढ़ी, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, बांका, जमुई एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण में कार्य प्रारम्भ किए जाने वाले बीस जिलों में हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा हवाई फोटोग्राफी से सभी राजस्व ग्रामों का मानचित्र तैयार कर उपलब्ध करा दिया गया है।

- **राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान :** राज्य के राजस्व पदाधिकारियों / कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों एवं आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शास्त्रीनगर, पटना में राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान का छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूरा कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया में प्रशिक्षण भवन का जीर्णोद्धार एवं विस्तारीकरण के उद्देश्य से नये भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कर्मियों एवं पदाधिकारियों को प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्त कर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। वर्ष 2022–23 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नवनियुक्त अमीनों, ग्रामीण विकास पदाधिकारियों तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नवनियुक्त राजस्व पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 403.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1145.51 करोड़ रुपये कुल 1,548.51 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

- राज्य के नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राज्य में 01 अप्रैल, 2016 से देशी शराब एवं 05 अप्रैल, 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाकर सम्पूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

- अवैध शराब की खरीद बिक्री की रोकथाम के लिए मुख्यालय एवं जिला स्तर पर आसूचना केन्द्र खोले गये हैं, जिसमें अवैध शराब से संबंधित सूचना देने के लिए टॉल फ्री नं०–15545 एवं 18003456268 स्थापित किये गये हैं। इस दूरभाष संख्या का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है। कानूनी सख्ती के साथ–साथ शराब की बुराईयों से अवगत कराने एवं इसके विरूद्ध जन चेतना जागृत करने के लिए गाँव से मुख्यालयों तक सरकारी तथा गैर–सरकारी तन्त्र के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है।

- अवैध शराब के संचालन को रोकने हेतु 84 चेक पोस्ट बनाये गये है। सभी चेक पोस्टों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा की व्यवस्था की गई है।

- नशामुक्त बिहार बनाने हेतु 27 नवम्बर, 2022 को पटना में हॉफ मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
- वैसे लोगों को जो शराब और ताड़ी के व्यवसाय से अपना जीवन यापन कर रहे थे मद्यनिषेध लागू होने के उपरान्त उनके लिये सतत् जीविकोपार्जन योजना लागू की गई है। सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत रोजगार हेतु 60,000 / – रुपये से 1,00,000 / – रुपये तक आर्थिक मदद् राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।
- उत्पाद अभियोगों का त्वरित निष्पादन हेतु 74 अनन्य विशेष न्यायालय प्रत्येक जिले में स्थापित किया गया है। सभी विशेष न्यायालय जनवरी, 2022 से पूरी तरह कार्यरत है।
- सभी निबंधन कार्यालयों में दस्तावेजों के निबंधन तथा अभिलेखागार से संबंधित सभी कार्य हेतु Online Appointment की सुविधा आम जनता को प्रदान की गई है।
- आई०डी०ए० / बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि तथा औद्योगिक भू–खण्ड / शेड एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्र से बाहर निजी निवेशकों द्वारा उद्योग स्थापित करने के प्रयोजनार्थ भूमि के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में शत प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।
- पैतृक / पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारा विलेखों के निबंधन पर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की देयता कम करते हुए स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क 50 / – रुपये निर्धारित किया गया है।
- निबंधन पक्ष से संबंधित समस्त शुल्कों को संग्रहित करने के लिये निःशुल्क Payment Gateway की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। आम जन बैंकों में चालान के माध्यम से भी Credit Card/Debit Card/Net Banking से अपेक्षित शुल्क जमा कर सकते हैं। वित्त विभाग के पोर्टल OGRAS के माध्यम से विलेख निबंधन की राशि सीधे सरकार के खाते में जमा कराया जा सकता है।
- वर्ष 2022 में आम–जनता की सुविधा हेतु कुल 11 नये निबंधन कार्यालय बिहटा, सम्पतचक, फतुहां, पातेपुर, बनमंखी, चनपटिया, लौरिया, शाहपुर पटोरी, मनिहारी एवं डुमराँव का सृजन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 20.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 580.62 करोड़ रुपये कुल 600.62 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

वाणिज्य–कर विभाग

- विभाग द्वारा जीएसटी के साथ–साथ विद्युत शुल्क, पेशाकर एवं कतिपय पेट्रो उत्पादों पर मूल्यवर्द्धित कर का प्रशासन किया जा रहा है।
- वाणिज्य–कर विभाग के कुल राजस्व संग्रहण में जीएसटी का योगदान लगभग 78%, बिहार मूल्य वर्द्धित कर (VAT) का योगदान लगभग 20% एवं विद्युत शुल्क का लगभग 1.5% एवं पेशा कर का 0.50% है।
- राज्य के अन्दर जीएसटी के अन्तर्गत निबंधित करदाताओं की कुल संख्या 6,27,044 है जिसमें लगभग 3.35 लाख करदाताओं का कर प्रशासन वाणिज्य–कर विभाग के द्वारा की जा रही है।
- विभाग के कुशल और प्रभावी कर प्रशासन एवं राज्य के सभी करदाताओं, व्यवसायिक संगठनों एवं अन्य हितधारकों के सकारात्मक सहयोग के फलस्वरूप विगत पाँच वर्षों में कर–संग्रह लगभग दोगुना हो गया है। जीएसटी लागू होने के पूर्व वर्ष 2016–17 में जहाँ कर–संग्रहण 18,751 करोड़ रुपये था वह वर्ष 2021–22 मे बढ़कर 35,903 करोड़ रुपये हो गया।
- प्रशिक्षण के क्रम में Indian Institute of Technology (IIT), Patna द्वारा Artificial Intelligence, Machine Learning & Encryption पर विभाग के चालीस पदाधिकारियों को पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण माह नवम्बर, 2022 में दिया गया है।
- पटना में कर भवन (भूतल +5) का निर्माण पूर्ण हो चुका है जिसमें आधुनिक भूकम्परोधी संरचना के अलावा लगभग 300 लोगों के बैठने की क्षमता वाले सभागार के साथ Roof top solar power system की व्यवस्था की गयी है।
- **Best Practices :** विभाग के सभी कार्यालयों के पुराने अभिलेखों, कागजातों का सुरक्षित रख–रखाव डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (DMS) के अन्तर्गत सुनिश्चित किया गया है जो आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों को Online Portal पर उपलब्ध है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (DMS) के अन्तर्गत किए गए कार्य हेतु विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
- जीएसटी के अन्तर्गत Audit Procedure को सरल एवं सुगम बनाने के लिए विभाग द्वारा तैयार किए गए ''ऑडिट मैनुअल'' को राष्ट्रीय स्तर पर जी०एस०टी० काउन्सिल के द्वारा सराहते हुए "Good Practices by State" के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023—24 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 177.30 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

परिवहन विभाग

- **राजस्व संग्रहण** : राज्य में वाहनों की बिक्री एवं निबंधन में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्ष 2020—21 में कोविड—19 महामारी के बावजूद 2,500 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व 2,208.00 करोड़ रूपये राजस्व संग्रहण किया गया है। वर्ष 2021—22 में 2,475.09 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 12.09 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2022—23 में जनवरी तक 2321.04 करोड़ रुपये के राजस्व का संग्रहण किया गया है।

- **करों में छूट (महिलाओं, निःशक्तजनों एवं बैट्री ऑपरेटेड वाहनों के करों में छूट)** : यदि कोई तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, महिला के नाम पर निबंधित होता है और उसका चालन स्वयं उस महिला या अन्य महिला, जिसके पास व्यावसायिक चालन अनुज्ञप्ति है, के द्वारा किया जाता है; तो उसके लिए वाहन कर में शत—प्रतिशत छूट दी गई है। साथ ही, निःशक्तजनों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों पर लगने वाले कर को पूर्ण रुप से विलोपित कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैट्री चालित यान/इलेक्ट्रिक वाहन को कुल कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

- **ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण** : सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभ्यर्थियों को चालन अनुज्ञप्ति निर्गत करने से पूर्व चालन दक्षता की जाँच हेतु प्रत्येक जिला में ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना की जा रही है। सम्प्रति 7 जिलों में ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है एवं 15 जिलों में निर्माण प्रक्रियाधीन है।

- **सिमुलेटर आधारित प्रशिक्षण** : उन्नत चालन प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सिमुलेटर आधारित ट्रेनिंग को अनिवार्य किया गया है। राज्य में 31 मोटर ट्रेनिंग ड्राईविंग स्कूलों में सिमुलेटर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया रहा है।

- **गुड सेमेरिटन** : सड़क दुर्घटनाओं मे घायलों की मदद करने वाले कुल 818 गुड सेमेरिटन की पहचान कर सम्मानित किया गया है। गुड सेमेरिटन को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,000/— रुपये देय है तथा अब तक 73 गुड सेमेरिटनों को 3,37,500/— रुपये का भुगतान किया गया है।

- **चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान, औरंगाबाद में प्रशिक्षण योजना** : औरंगाबाद में स्थापित चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान में 2,000 भारी मोटर वाहन चालकों के निःशुल्क प्रशिक्षण की योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत अब तक 44 बैच में कुल 455 प्रशिक्षु चालकों को वाहन चालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही 98 बैच में कुल 2,391 यातायात पुलिस कर्मियों को छः दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है।

- **प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण** : मोटरवाहन अधिनियम के प्रभावी प्रवर्त्तन के लिए प्रवर्त्तन तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के 62 पद और एत्द संबंधित प्रोन्नति के 53 पद, मोटरयान निरीक्षक के 128 पद, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक के 250 पद, परिवहन हवलदार के 48 पद तथा चलन्त दस्ता सिपाही के 500 पदों का सृजन किया गया है। चलन्त दस्ता सिपाही के 350 पदों पर विभाग द्वारा नियुक्ति कर ली गयी है। प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 209 पदों एवं मोटरयान निरीक्षक के 88 पदों पर विभाग द्वारा नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के मूल कोटि के 30 पदों पर नियुक्ति कर ली गई है।

- **बिहार राज्य पथ परिवहन निगम** : वर्त्तमान में निगम के बस बेड़े में कुल 540 बसें है जिसमें AC Delux एवं Semi Delux बसें भी शामिल हैं। पटना नगर बस सेवा अन्तर्गत कुल 135 बसों का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें महिला यात्रियों के लिए एक स्पेशल बस भी संचालित है। सभी बसों में महिला यात्रियों के लिए 65% सीटें आरक्षित रखी गयी है। निगम द्वारा 25 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन पटना नगर बस सेवा तथा पटना–राजगीर, पटना–मुजफ्फरपुर एवं पटना–दरंभगा मार्ग पर किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 235.50 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 198.59 करोड़ रुपये कुल 434.09 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

खान एवं भूतत्व विभाग

- बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि0 द्वारा 12 जिलों में पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप बालू खनन हेतु संवेदकों के माध्यम से 155 बालूघाटों/कलस्टरों का संचालन किया जा रहा है, जिससे लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। सभी जिलान्तर्गत आगामी 05 वर्ष के लिए बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है, जिससे 609.03 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है।

- राज्य में अवैध खनन की रोकथाम एवं विधिसम्मत् खनन कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2021 प्रवृत्त किया गया है।

- बिहार पहला राज्य है, जिसने अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण को रोकने एवं इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु सख्त दण्डात्मक प्रावधान किया हैं। इस क्रम में अवैध खनन/परिवहन में संलिप्त वाहनों के लिए शमन शुल्क–25 हजार रुपये से 4.00 लाख रुपये एवं खनिज मूल्य स्वामित्व का 25 गुना जुर्माना के रूप में लिए जाने का प्रावधान किया गया है।

- अवैध उत्खनन की रोक–थाम के लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स गठित है। वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 16,185 छापेमारी, 3,295 प्राथमिकी दर्ज एवं 1,881 अवैध उत्खननकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कुल 14,670 वाहनों की जब्ती की गई है तथा इस क्रम में दण्ड के रूप में न्यायालय एवं विभाग द्वारा 18,835.87 लाख रुपये की वसूली की गयी है।

- कोल वितरण नीति, 2007 के तहत लघु, मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति हेतु बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि0 को वर्ष 2024–25 तक राज्य नामित एजेंसी (SNA) नियुक्त किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 1.40 लाख टन कोयला विभिन्न कोल कम्पनियों से उपलब्ध कराया जा रहा है।

- बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा 19 उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिसमें कुल 16 खनिज विकास पदाधिकारियों द्वारा विभाग में सेवा दी गयी है। साथ ही खान निरीक्षकों के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कुल 92 उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त हुई, जिसमें कुल 90 खान निरीक्षकों द्वारा विभाग में सेवा दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 61.92 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

शिक्षा विभाग

- राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे–बच्चियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है।

- Integrated Scheme for School Education (ISSE) : समग्र शिक्षा के अन्तर्गत अब पूर्व बालपन शिक्षा (Early Childhood Education) से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को आच्छादित किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 21,291 नये प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के साथ–साथ 19,641 प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमण किया गया जिसके फलस्वरूप 98.63% टोले (Habitation) प्राथमिक विद्यालयों से एवं 99.19% टोले (Habitation) मध्य विद्यालयों से आच्छादित हैं।

- असैनिक कार्य अन्तर्गत 15,941 प्रारंभिक विद्यालयों के विद्यालय भवन के विरूद्ध 15,662 विद्यालय भवन का निर्माण किया जा चुका है एवं प्रारंभिक विद्यालयों के 2,85,773 वर्ग कक्षों के विरूद्ध 2,80,248 वर्ग कक्षों का निर्माण किया जा चुका है।

- राज्य के कक्षा I से V के बच्चों में निर्धारित दक्षता के लिए **निपुण भारत–निपुण बिहार** कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। इसके अन्तर्गत 69,243 विद्यालयों को कक्षा–I से V का स्कूल किट एवं कक्षा I से III के लगभग 57.5 लाख विद्यार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध कराया गया है।

- शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए राज्य के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा I से VIII तक में नामांकित सभी बच्चों को **निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक** उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से बच्चों के बैंक खाते में 466.67 करोड़ रुपये हस्तांतरित की गयी है।

- विद्यार्थियों के Digital शिक्षा के लिए e-LOTS (e-Library of Teachers & Students) पर कक्षा 1 से 12 के सभी पाठ्यपुस्तक, पाठ आधारित वीडियो, संदर्भ वीडियो, बच्चों के स्वमूल्यांकन के लिए प्रश्नोत्तरी एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी सामग्री को अपलोड किया गया है।

- प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों में विषयगत जानकारी के अलावे उनके कौशल विकास को विकसित करने हेतु प्रत्येक शनिवार को **''Bagless शनिवार''** की शुरूआत की गई है, जिसमें बच्चे पाठ्य–पुस्तकों के बोझ से मुक्त होकर विभिन्न रचनात्मक तथा रूचिकर गतिविधियों में भाग लेंगे।

- **बिहार बाल भवन किलकारी** : बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए पाँच प्रमण्डलों– पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर एवं पूर्णियाँ में पूर्णरूपेण संचालित है। 08 से 16 वर्ष के बच्चों

को 26 प्रकार की गतिविधियों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में लगभग 60 हजार बच्चों तक किलकारी ने पहुँच बनायी है।

- IIT, Bombay में आयोजित 'Witblox Young Inventor TechFest' 2022 में हर्ष कुमार की परियोजना Pesticides Detection In Food के लिए एग्रीकल्चर सेगमेंट में प्रथम स्थान मिला। Centre For Cultural Resources And Training (CCRT), नई दिल्ली द्वारा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के तहत किलकारी के चयनित 25 बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।

- समाज के कमजोर वर्ग की शिक्षित बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कक्षा 6 से 8 तक के लिए राज्य में 535 **कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय** संचालित हैं जिसमें विभिन्न कोटि के कुल 50,483 बालिकाएँ नामांकित हैं। कक्षा 1 से 12 तक के 134 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित हैं जिसमें विभिन्न कोटि के कुल 9,112 बालिकाएँ नामांकित हैं। कुल 518 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- प्रत्येक जिले के एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के साथ–साथ 12 अन्य विद्यालयों (कुल 50) को चिह्नित कर उसे अनुकरणीय **मॉडल विद्यालय** के रूप में विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। उक्त चिह्नित 50 अनुकरणीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के सहयोग से **मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला** की स्थापना की जा रही है।

- राज्य में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में 6,421 उत्क्रमित/उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसमें 2,948 माध्यमिक विद्यालय वर्ष 2020 से नवस्थापित हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व से 81 राजकीय, 2,786 राजकीयकृत एवं 72 अल्पसंख्यक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 9,360 है। राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **''उन्नयन बिहार''** कार्यक्रम के अन्तर्गत स्मार्ट क्लास रूम निर्माण की कार्रवाई पूर्ण हो गयी है एवं स्मार्ट क्लास संचालित हो रहा है।

- वर्ष 2022–23 में **मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना** अन्तर्गत 6,75,125 बालिकाओं को, **मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना** अन्तर्गत 6,59,022 बालकों को एवं **मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना** अन्तर्गत 18,08,534 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

- वर्ष 2022–23 में **मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना** अन्तर्गत मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण (सामान्य बालक अल्पसंख्यक सहित जिनकी वार्षिक आय 1,50,000 है) 35,449 छात्रों को प्रति छात्र 10,000/– रुपये की दर से DBT के माध्यम से 35.44 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है।

- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2022 में भी पूर्व के वर्षों की तरह इंटरमीडियट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन कर परीक्षाफल **देश में सबसे पहले रिकार्ड समय में** माह मार्च, 2022 में ही प्रकाशित कर कीर्तिमान स्थापित किया है।

- महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की NAAC Grading में सुधार हेतु संबंधित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में इस हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

- प्रत्येक जिला में कम–से–कम एक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई की सुविधा के क्रम में सुपौल एवं जमुई जिलों में हाल में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई की सुविधा प्रारंभ की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 22,200.35 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 18,250.56 करोड़ रुपये कुल 40,450.91 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य विभाग

आमजन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं एवं संरचनाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं विकसित करने के निरंतर प्रयास के अंतर्गत कई कार्य किये जा रहे हैं।

- विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता के क्रम में वर्तमान में 313 दवाओं की आपूर्ति का अनुबंध किया गया है एवं आवश्यक दवाओं की सूची (Essential Drugs List) में औषधियों की कुल संख्या 611 की गई है।

- सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) Mode में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में और 29 जिला अस्पतालों में CT Scan मशीन कार्यरत है। अन्य जिलों में इसके अधिष्ठापन की कार्रवाई चल रही है। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में भी Dental Chair का अधिष्ठापन अनुमंडलीय अस्पताल सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर तक कराया जा चुका है।

- स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु कुल 1,000 Ambulance (534 Advanced Life Support एवं 466 Basic Life Support) का क्रय कर सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

- आयुष चिकित्सा पद्धति अंतर्गत नवाब मंजिल, पटना सिटी में 50 शय्या वाला Integrated Hospital स्थापित किया जा रहा है।

- राज्य में कुल 268 के लक्ष्य के विरूद्ध 175 आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर संचालित किया जा चुका है।

- अब तक कुल 35.95 लाख परिवारों एवं 77.29 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2022 तक राज्य में लगभग 5.45 लाख पात्र लाभार्थियों को 618 करोड़ रुपये का ईलाज प्रदान किया गया है।

- रक्त सुरक्षा प्रभाग अन्तर्गत गत वर्ष राज्य में छः नए रक्त केन्द्र यथा – शिवहर, मधेपुर, बेनीपुर (दरभंगा), मोतिहारी, गुरू गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी, जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया में स्थापित किये गये है। वर्तमान में राज्य में 49 सरकारी तथा 59 अनुज्ञप्ति धारक प्राईवेट अर्थात कुल 108 रक्त केन्द्र कार्यरत हैं।

- PMCH, पटना में डेंगू एवं कैंसर तथा अन्य मरीजों के उपचार हेतु राज्य के पाँचवे Apheresis मशीन की स्थापना की गयी है। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति अंतर्गत PMCH, पटना में जनवरी, 2022 में स्थापित राज्य का पहला Viral Load प्रयोगशाला है। इसके द्वारा अब तक कुल 1,257 एच०आई०वी० संक्रमित व्यक्तियों के शरीर में Anti Retro Viral (ARV) दवाओं के असर को देखने के लिए प्रत्येक 6 माह में Viral Load की जाँच कर उनका ईलाज किया गया है। पूर्व में इसके जाँच हेतु रक्त नमूने की जाँच के लिए मुम्बई भेजा जाता था।

- यक्ष्मा बीमारी को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास जारी है।

- दूर–दराज निवासियों को घर बैठे चिकित्सीय परामर्श एवं घर के समीप ओ०पी०डी० की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **ई–संजीवनी** के माध्यम से सामान्य तथा विशेषज्ञ चिकित्सीय परामर्श की सुविधा जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही है।

- जनता को विशिष्ट चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के राजेन्द्र नगर नेत्र अस्पताल, पटना, लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना, मानसिक आरोग्यशाला (बिमहास), कोईलवर, भोजपुर, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को

अतिविशिष्ट अस्पताल के रूप में स्वायत्तता प्रदान करने हेतु स्वायत्त सोसाइटी गठित करने की कार्रवाई की जा रही है। राजेन्द्र नगर स्थित सुपर स्पेशियलिटी नेत्र अस्पताल में अतिरिक्त 106 शय्या का स्थापन कराया गया है जिसका लाभ मरीजों को प्राप्त हो रहा है।

- इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में मरीजों की सुविधा हेतु न सिर्फ बेड की संख्या बढ़ाई गयी बल्कि नये भवन में Turnkey basis पर हृदय रोग के सभी प्रकार के ईलाज से संबंधित 148 प्रकार के उपकरणों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

- पटना के जय प्रभा अस्पताल, परिसर में अवस्थित सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत नवनिर्मित जय प्रभा मेदान्ता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में ओ०पी०डी० सेवाओं के अतिरिक्त सुपर स्पेशियलिटी इनडोर और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को प्रारंभ किया जा चुका है। इस अस्पताल में BPL कार्ड धारकों की सुविधा के लिए 25 प्रतिशत बेड का केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दर पर संचालित करने की व्यवस्था है तथा सरकारी कर्मचारी यदि यहाँ ईलाज कराते हैं तो अन्य सरकारी अस्पताल की भाँति यहाँ करायी गयी चिकित्सा के विरूद्ध भी प्रतिपूर्त्ति अनुमान्य है।

- फार्मासिस्ट के मूल कोटि के 12 पदों पर कार्मिकों को पदस्थापित कर दिया गया है एवं 1,539 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। 1,772 प्रयोगशाला प्रावैधिक, 29 स्वच्छता निरीक्षक की नियुक्ति एवं शल्य कक्ष सहायक के 1,096 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त ई०सी०जी० टेक्निशियन के 163 पदों पर, एक्स–रे टेक्निशियन के 803 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दी गयी है।

- फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत कीट संग्रहकर्ता के कुल 53 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गयी है।

- ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों (आई०जी०आई०एम०एस०, पटना सहित) से एम०बी०बी०एस० उत्तीर्ण एवं इन्टर्नशिप पूर्ण किए हुए छात्रों को राज्य सरकार की सेवा में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संविदा पर नियोजित किया जाता है।

- विगत वर्षों में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा मिशन मोड में विभिन्न संविदागत पदों यथा चिकित्सक / विशेषज्ञ चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, ए०एन०एम०, स्टाफ नर्स, काउंसलर, वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक इत्यादि पदों पर कुल 22,451 अभ्यर्थियों का चयन कर

मिसाल कायम की गई है। इनमें से 9,469 ए०एन०एम० काउंसलर, वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड लेखापाल इत्यादि पदों पर अक्टूबर, 2022 में एवं दिसम्बर, 2022 में 2,185 नये सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी का भी नियोजन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 7,116.55 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 9,849.87 करोड़ रुपये कुल 16,966.42 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पथ निर्माण विभाग, बिहार

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में अब तक 82.00 कि०मी० राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इसी प्रकार 35.74 कि०मी० राज्य उच्च पथों एवं 1,453.38 कि०मी० वृहद जिला पथों का निर्माण/नवीकरण कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022–23 में अब तक कुल 34 अदद् पुल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

- मुंगेर रेल–सह–सड़क परियोजना एवं जे०पी० गंगा पथ परियोजना के दीघा से पी0एम0सी0एच0 तक का कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किया गया है।

- **सात निश्चय–2** : सुलभ सम्पर्कता के तहत राज्य के सभी शहरों एवं सघन बसावटों से होकर गुजरने वाले मार्गों में आवश्यकतानुसार बाईपास पथ/फ्लाईओवर के निर्माण योजना के तहत कुल 14 (चौदह) बाईपासों के निर्माण हेतु कुल 195.38 करोड़ रुपये की लागत राशि से स्वीकृति प्रदान कर क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है।

- राज्य में रोड नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना अन्तर्गत कुल 20 पथों (लम्बाई 259.43 कि0 मी0 एवं लागत 718.69 करोड़ रुपये) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा कुल 18 अदद् पुल/पुलिया के निर्माण के लिए 103.42 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका क्रियान्वयन प्रगति में है।

- केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत कुल 12 योजनाओं की स्वीकृति 1097.51 करोड़ रुपये की लागत से प्रदान की गई, जिसमें निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

- निर्बाध एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के निमित्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 6 ROB के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है एवं 9 ROB स्वीकृति की प्रक्रिया में

है। स्वीकृत ROB में भागलपुर में मिरजानहाट, बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नजदीक, हरनौत रेल फैक्ट्री, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत जीवधारा एवं बापूधाम रेलवे स्टेशन के बीच, सारण जिलान्तर्गत खैरा–पटेढ़ी रेलवे स्टेशन के बीच एवं दरभंगा जिलान्तर्गत लहेरियासराय में ROB का निर्माण कार्य सम्मिलित है।

- राज्य के सभी राज्य उच्च पथों को न्यूनतम 2–लेन में विकसित करने के लक्ष्य के अन्तर्गत 6 राज्य उच्च पथों (95, 98, 99, 105, 101 और 103) में से राज्य उच्च पथ संख्या 99 (बायसी – बहादुरगंज दिघल बैंक), 103 (मंझवे–गोविन्दपुर पथ) एवं 105 (बेतिया–नरकटियागंज पथ) का कार्य संवेदक को आवंटित किया जा चुका है। शेष तीन का निविदा निष्पादन प्रक्रियाधीन है। इसके अतरिक्त दस राज्य उच्च पथों/वृहद जिला पथों (कुल लम्बाई–461 कि०मी०) का ADB से स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया है।

- दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये पथों का सड़क सुरक्षा अंकेक्षण (Road Safety Audit) के तहत अब तक कुल 159 ब्लैक स्पॉट का संरचनात्मक सुधार एवं परिमार्जन कर लिया गया है। वाहनों के तीव्र गति को नियंत्रित करने के लिए Speed Radar Gun की व्यवस्था की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 4,420.99 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,497.88 करोड़ रुपये कुल 5,918.87 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

भवन निर्माण विभाग

- 145.00 करोड़ रुपये की लागत से बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण, 115.41 करोड़ रुपये की लागत से मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय के भवन का निर्माण, 88.44 करोड़ रुपये की लागत से ओ०पी० साह समुदायिक भवन, मालसलामी, पटना सिटी का निर्माण, 41.191 करोड़ रुपये की लागत से बेतिया एवं 41.223 करोड़ रुपये की लागत से मोतिहारी में 2,000 क्षमता का प्रेक्षागृह का निर्माण एवं 16.29 करोड़ रुपये की लागत से गर्दनीबाग में वित्त भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

- 92.80 करोड़ रुपये की लागत से दरभंगा में तारामंडल–सह–विज्ञान संग्रहालय का (फेज–1) निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- सात निश्चय–1 के अन्तर्गत कुल 950.69 करोड रुपये की लागत से 13 जिलों अरवल,

नवादा, मुंगेर, लखीसराय, मधुबनी, औरंगाबाद, जहानाबाद, वैशाली, शेखपुरा, खगड़िया, शिवहर, समस्तीपुर एवं सीवान में अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- सात निश्चय–1 के अन्तर्गत कुल 1,096.95 करोड़ रुपये की लागत से 15 जिलों यथा पटना (बख्तियारपुर), सुपौल, जमुई, बांका, सासाराम, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णियाँ, कैमूर, बेगूसराय, गोपालगंज, अररिया, किशनगंज एवं पश्चिम चम्पारण में अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- सात निश्चय–1 के अन्तर्गत कुल 268.04 करोड़ रुपये की लागत से 15 अद्द पुरूष आई०टी०आई० एवं 96.53 करोड रुपये की लागत से 06 अद्द महिला आई.टी.आई. का निर्माण पूर्ण हो चुका है। कुल 326.21 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के विभिन्न जिलों में कुल 19 अद्द पुरूष आई०टी०आई० एवं 89.60 करोड़ रुपये की लागत से 6 अद्द महिला आई०टी०आई० का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- 169.50 करोड़ रुपये की लागत से पटना उच्च न्यायालय के विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। 61.00 करोड़ रुपये की लागत से बहुद्देशीय प्रकाशपुंज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- सात निश्चय–1 के अन्तर्गत कुल 489.13 करोड़ रुपये की लागत से 12 जिलों यथा–अररिया, सिवान, मधेपुरा, मुंगेर, समस्तीपुर, शेखपुरा, नवादा, बक्सर, औरंगाबाद, किशनगंज, खगड़िया, एवं पश्चिम चम्पारण में राजकीय पॉलिटेकनिक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- 164.31 करोड़ रुपये की लागत से पटना के फुलवारीशरीफ में परिवहन परिसर का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की स्थिति में है।

- 88.01 करोड़ रुपये की लागत से पटना के शास्त्रीनगर में वरीय पदाधिकारियों के आवास का निर्माण कार्य, 32.98 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई भवन का आधुनिकीकरण कार्य एवं 43.76 करोड़ रुपये की लागत से पटना में ''कर भवन'' का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

- सात निश्चय–1 के अन्तर्गत कुल 277.97 करोड़ रुपये की लागत से 3 जिलों– आरा, कटिहार एवं बक्सर में अभियंत्रण महाविद्यालय का कार्य, कुल 109.05 करोड़ रुपये की लागत से 3 जिलों– भोजपुर, अरवल एवं जहानाबाद में राजकीय पॉलिटेकनिक का कार्य एवं कुल 33.18 करोड़ रुपये की लागत से सिवान एवं नालंदा में दो अद्द महिला आई०टी०आई० का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

- 889.26 करोड़ रुपये की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के भवन का निर्माण कार्य, 740.82 करोड़ रुपये की लागत से राजगीर में राज्य खेल अकादमी–सह–अन्तर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य एवं 640.55 करोड़ रुपये की लागत से पटना में ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- 57.97 करोड़ रुपये की लागत से गर्दनीबाग आवासीय परिसर में 20 डुप्लेक्स सेट, 518.63 करोड़ रुपये की लागत से पदाधिकारियों के आवासन (752 युनिट्स) का निर्माण, 281.62 करोड़ रुपये की लागत से तृतीय श्रेणी के कर्मियों हेतु टाईप–बी आवासन (752 युनिट्स) का निर्माण एवं 135.43 करोड़ रुपये की लागत से चतुर्थ श्रेणी हेतु टाईप–ए (432 युनिट्स) आवास का निर्माण योजना का कार्य प्रगति पर है।

- 314.09 करोड़ रुपये की लागत से वैशाली में बुद्धा सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह– स्तूप का निर्माण कार्य, 250.00 करोड़ रुपये की लागत से बिहटा में विकास प्रबंधन संस्थान का निर्माण कार्य, 186.42 करोड़ रुपये की लागत से पटना समाहरणालय भवन का निर्माण कार्य एवं 158.00 करोड़ रुपये की लागत से पटना संग्रहालय का उन्नयन कार्य प्रगति पर है।

- 136.15 करोड़ रुपये की लागत से राज्य अतिथि गृह बोधगया का निर्माण कार्य, 120.00 करोड़ रुपये की लागत से वाल्मीकिनगर (बेतिया) में वाल्मीकि सभागार का निर्माण कार्य, 84.49 करोड़ रुपये की लागत से पटना में बापू टावर का निर्माण कार्य एवं 30.52 करोड़ रुपये की लागत से पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- सात निश्चय–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 224.64 करोड़ रुपये की लागत से 7 अद्द पुरूष आई०टी०आई० एवं 2 अद्द महिला आई०टी०आई० के विरूद्ध बाढ़, पटना सिटी, बेलसण्ड (सीतामढ़ी) एवं समस्तीपुर में 4 पुरूष आई०टी०आई० का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा बखरी (बेगूसराय), अरेराज (पूर्वी चम्पारण), एवं महनार (वैशाली) में कुल 3 पुरूष आई०टी०आई० एवं जमुई, खगड़िया में कुल 2 महिला आई०टी०आई० का निर्माण निविदा प्रक्रिया में है।

- 267.24 करोड़ रुपये की लागत से राज्य आपदा मोचन केन्द्र का निर्माण हेतु निविदा निष्पादित हो चुका है तथा कार्य शीघ्र प्रारंभ होने वाला है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 3,762.75 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 958.73 करोड़ रुपये कुल 4,721.48 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

ग्रामीण कार्य विभाग

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए 100 या उससे अधिक आबादी वाले सभी असंबद्ध बसावटों/टोलों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु नये पथों के निर्माण के साथ–साथ पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य सरकार कृत–संकल्पित है।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–II** अंतर्गत 2,456.47 कि०मी० ग्रामीण पथों के उन्नयन के लक्ष्य से 2,425.70 कि०मी० का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 19.91 कि०मी० का कार्य प्रगति में है। **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III** अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 6,162.50 कि०मी० के आलोक में 6,000.66 कि०मी० लम्बाई के पथों के उन्नयन की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से 281.55 कि०मी० का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 3,113.20 कि०मी० का कार्य प्रगति में है एवं 2,605.91 कि०मी० निविदा की प्रक्रिया में है। वर्ष 2023–24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 3,300 कि०मी० लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 7,950.27 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 3,618.64 करोड़ रुपये कुल 11,568.91 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

योजना एवं विकास विभाग

- **वर्षापात सांख्यिकी** : राज्य के 400 प्रखंड मुख्यालयों में स्वचालित मौसम केन्द्र (Automatic Weather Station-AWS) 23.65 करोड़ रुपये की लागत से अधिष्ठापित किया जा चुका है। स्वचालित वर्षामापी यंत्र (Automatic Rain Gauge - ARG) राज्य के 33 जिलों के 7,230 ग्राम पंचायतों में 14,434.00 लाख रुपये की लागत से अधिष्ठापन कराया जा रहा है।

- **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना** : मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत माननीय सदस्य विधान सभा एवं विधान परिषद की अनुशंसा पर वर्ष 2011–12 से 2022–23 तक अद्यतन अनुमान्यता राशि 7,723.86 करोड़ रुपये के विरूद्ध 6,065.82 करोड़ रुपये व्यय कर 1,65,429 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है एवं 7,817 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

- **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना** : 17वीं लोकसभा के माननीय सांसदों की अनुशंसा पर कुल स्वीकृत 5,956 योजना के विरूद्ध 4,885 योजना पूर्ण हो चुकी है जिस पर कुल

अद्यतन व्यय 15,996.06 लाख रुपये है। माननीय राज्य सभा सदस्यों की अनुशंसा पर कुल स्वीकृत 4,433 योजनाओं के विरूद्ध 4,001 योजना पूर्ण है तथा 432 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

- **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** : सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती 7 जिलों को वर्ष 2006–07 से वर्ष 2022–23 तक कुल 666.26 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध जिलों द्वारा कुल 611.11 करोड रुपये (91.72 प्रतिशत) व्यय करते हुए कुल 2,645 योजनाओं का कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा 68 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

- **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना** : राज्य सरकार के "सात निश्चय" में से एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अन्तर्गत 20–25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवकों एवं युवतियों, जो आगे की पढ़ाई नहीं किए हों अथवा नहीं कर रहे हों, को रोजगार की तलाश हेतु 1,000/– प्रतिमाह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक वित्तीय सहायता के रूप में 7,850.96 करोड़ रुपये DBT के माध्यम से आवेदकों के बैंक खाता में अंतरित की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 1,974.28 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 242.71 करोड़ रुपये कुल 2,216.99 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के बल पर 'हर घर नल का जल' संकल्प को पूरा किया है और सामुदायिक सहयोग से निर्बाध और सतत् जलापूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है।

- 'हर घर नल का जल' निश्चय अंतर्गत 56,447 वार्डों के कुल 84.46 लाख परिवारों को 'नल का जल' उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 31.12.2022 तक 55,900 वार्डों (99 प्रतिशत) में कार्य पूर्ण है और 82.87 लाख परिवारों (98.12 प्रतिशत) को जलापूर्ति की जा रही है।

- राज्य के 30,2077 ग्रामीण वार्ड भूजल गुणवत्ता से प्रभावित हैं। 4,709 वार्डों के भूजल में आर्सेनिक, 3789 वार्डों के भूजल में फ्लोराईड और 21,709 वार्डों के भूजल में आयरन की मात्रा निर्धारित अनुमान्य सीमा से अधिक है। इन वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) और अन्य योजना अंतर्गत जलशुद्धिकरण संयंत्र युक्त जलापूर्ति योजनाएं अधिष्ठापित की गई हैं और प्रभावित वार्डों में शोधित जलापूर्ति की जा रही है।

- आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में से 4,647 वार्डों (98.68 प्रतिशत) में 'नल का जल' उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण हो चुका है और 6.63 लाख परिवारों को आर्सेनिक मुक्त जलापूर्ति की जा रही है। फ्लोराईड प्रभावित वार्डों में से 3780 वार्डों (99.76 प्रतिशत) में 'नल का जल' उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण हो चुका है और 4.57 लाख परिवारों को शोधित जलापूर्ति की जा रही है। आयरन प्रभावित वार्डों में से 21,282 वार्डों (98.28 प्रतिशत) में कार्य पूर्ण हो चुका है और 35.07 लाख परिवारों को आयरन मुक्त पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

- राज्य के गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में 1,118 पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं में पाईप लाईन का विस्तार करते हुए लाभुक परिवारों को 'नल का जल' उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, पूर्व से स्वीकृत योजनाओं के माध्यम से आच्छादित क्षेत्र के सभी 8,148 वार्डों के 11.28 लाख परिवारों को 'नल का जल' उपलब्ध कराया जा रहा है।

- जलापूर्ति योजनाओं में मरम्मति एवं अनुरक्षण संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर 'मरम्मति दल' का प्रावधान किया गया है। पेयजल संबंधी जन शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण कोषांग स्थापित है। टोल फ्री नम्बर 18001231121 द्वारा कोई भी व्यक्ति पेयजल से संबंधित शिकायतों को निबंधित कराते हुए निर्धारित समय–सीमा पर निवारण करा सकता है।

- विभाग द्वारा वृहत आधारभूत संरचना की जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया गया है। गंगा नदी से पानी लेकर राज्य के बक्सर, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, पटना एवं भागलपुर जिलों के 1,070 आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई है।

- मुंगेर जिला के खड़गपुर झील का पानी शुद्ध कर 13 फ्लोराईड प्रभावित वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। नवादा जिला में फुलवरिया डैम के पानी को शुद्ध कर रजौली प्रखण्ड के 89 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। नदी में ट्यूबवेल अधिष्ठापित कर नालन्दा जिला के सिलाव एवं राजगीर प्रखण्ड के 102 वार्डों में जलापूर्ति, पश्चिम चंपारण जिला के बूढ़ी गंडक नदी में ट्यूबवेल अधिष्ठापित करते हुए चनपटिया प्रखण्ड के 44 ग्रामीण वार्डों में जलापूर्ति एवं बेगूसराय जिला के गंडक नदी के पानी को शुद्ध कर चेरिया बरियारपुर प्रखण्ड के 70 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। लखीसराय जिला में बुधौली बंकर बहुग्रामीय योजना से 22 वार्डों में जलापूर्ति हेतु योजना का कार्य किया जा रहा है।

- राज्य के वैसे ग्राम पंचायत जहाँ भूजल स्तर 40 फीट से अधिक हैं, में पेयजल की सतत्

उपलब्धता की निगरानी की जायेगी और सेंसर आधारित तकनीक से जलापूर्ति योजनाओं की क्रियाशीलता का अनुश्रवण किया जायेगा। जिन इलाकों में भूजल स्तर नीचे है, वहाँ भूजल स्तर को बरकरार रखने की दिशा में **'जल–जीवन–हरियाली अभियान'** के तहत गतिविधियाँ संपादित कराई जायेंगी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 1,947.65 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 392.38 करोड़ रुपये कुल 2,340.03 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

श्रम संसाधन विभाग

- कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से सात निश्चय योजना के अन्तर्गत राज्य के अनाच्छादित अनुमंडलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा अनाच्छादित जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है। राज्य के सभी 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान NCVT से संबंधन प्राप्त हैं, जिसमें 29,652 युवाओं के प्रशिक्षण की क्षमता है।

- राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 41 व्यवसायों (21 एक वर्षीय एवं 20 दो वर्षीय व्यवसाय) में प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है।

- राज्य के युवाओं को स्थानीय रोजगार/उद्योगों की उपलब्धता एवं भविष्य में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए तकनीकी प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से पूर्व से स्थापित 53 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 11 नये व्यवसाय एवं 11 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 4 नये व्यवसाय को प्रारम्भ किया गया है। साथ ही, उन व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए व्यवसाय अनुदेशकों के 146 पद सृजित किये गये है।

- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य के 09 जिलों में एक–एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यथा– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डुमरियॉ, गया/तुम्बा, रोहतास/ सोनभद्र बंशी, अरवल/गिद्धौर, जमुई/बभंडी, औरंगाबाद/मखदुमपुर, जहानाबाद /मीनापुर, मुजफ्फरपुर/कौआकोल, नवादा/बौंसी, बांका एवं 11 कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये गये है।

- सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशकों के 2,404 रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 239 निम्नवर्गीय लिपिकों के नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

- वर्ष 2022 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कुल 4,160 प्रशिक्षणार्थियों का विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्लेसमेंट कराया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 629 जॉब कैम्प/जॉब फेयर के माध्यम से कुल 51,171 अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा चयन किया गया है।

- बाल श्रम उन्मूलन अतंर्गत धावा दल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में बाल श्रमिकों की विमुक्ति जारी है। विमुक्ति के समय प्रत्येक बाल श्रमिक को वस्त्र एवं एक माह का राशन के रूप में प्रति बाल श्रमिक 3,000/–रुपये की राशि दिया जा रहा है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए बाल श्रम ट्रैकिंग सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर लॉंच किया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से अब तक 2,139 बाल श्रमिकों को 25,000/– रुपये की दर से कुल 5.34 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

- ''बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011'' अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 807 आश्रितों/लाभार्थियों को RTGS के माध्यम से उनके खाते में 4.76 करोड़ रुपये अंतरित की गई है।

- "आर्थिक हल, युवाओं को बल" निश्चय के अधीन राज्य के 15 से 28 वर्ष के कम से कम 10वीं उत्तीर्ण युवाओं को संवाद कौशल, हिन्दी एवं अंग्रेजी का भाषा ज्ञान, व्यवहार कौशल तथा कम्प्यूटर का मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु कुशल युवा कार्यक्रम राज्य के सभी प्रखंडों में सरकारी भवनों में प्रखण्ड कौशल विकास केन्द्र तथा निजी क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्र संचालित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 623.78 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 240.92 करोड़ रुपये कुल 864.70 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

उर्जा विभाग

- बिहार के बरौनी एवं कांटी स्थित ताप विद्युत केन्द्रों को एन०टी०पी०सी० को सौंप दिया गया है। साथ ही नवीनगर पावर जेनरेटिंग कम्पनी में बिहार के पूर्ण अंश पूँजी को भी एन०टी०पी०सी० को हस्तांतरित किया गया है। इन परियोजनाओं से उत्पादन प्रारंभ है एवं बिहार को इसका लाभ मिल रहा है। भविष्य में एन0टी0पी0सी0 के बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन

एवं सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बक्सर थर्मल पावर स्टेशन की दो–दो निर्माणाधीन इकाइयों से लगभग 2,640 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादित होगी।

- वर्तमान में राज्य में कार्यरत ग्रिड उपकेंद्रो की संख्या विगत एक वर्ष में 154 से बढ़कर **161** तथा संचरण लाईन की लम्बाई 17,120 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर **18,740** सर्किट किलोमीटर हो गयी है। इसके फलस्वरूप, कुल विद्युत निकासी क्षमता (Power Evacuation Capacity) 13,000 मेगावाट से बढ़कर **13,544 मेगावाट** हो गयी है। वर्ष 2023–24 तक ग्रिड सब–स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर 173 हो जाएगी।

- वर्तमान में राज्य के शहरी क्षेत्रों में औसत 23–24 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औसत 21–22 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। बिजली की अधिकतम मांग की आपूर्ति, जो **जुलाई, 2021 में 6,627** मेगावाट थी वह माह **अगस्त, 2022 में बढ़कर 6,738** मेगावाट तक पहुँच गई है।

- राज्य में कृषि उपभोक्ताओं को समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 7,488.78 करोड़ रुपये की लागत से **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** के अंतर्गत 33/11 के०वी० के **291** विद्युत उपकेन्द्र तथा कृषि कार्य हेतु **1,354** पृथक फीडरों का निर्माण किया गया है। अभी तक लगभग **3.54** लाख कृषि विद्युत संबंध दिये जा चुके हैं।

- राज्य सरकार द्वारा **''मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना'** के तहत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु 1,329.61 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति अगस्त, 2020 में दी गयी, जो सरकार के सात निश्चय–2 के तहत **हर खेत तक सिंचाई का पानी** के अनुपालन में सहायक है। योजना का कार्य अंतिम चरण में है तथा इसे मार्च, 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- **स्मार्ट प्री–पेड मीटर : बिहार देश का पहला राज्य है** जहाँ बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक लगभग 12 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाये जा चुके हैं। अक्टूबर 2022 में 1.48 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्री–पेड मीटर उपलब्ध कराने हेतु **15,074 करोड़ रुपये** की योजना की स्वीकृति दी गयी है।

- राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा राजस्व वसूली में भी उल्लेखनीय प्रगति की गयी है। वर्ष 2020–21 में राजस्व की वसूली 10,099 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 10,742 करोड़ रुपये हो गयी है।

- राज्य में 250 मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लान्ट अधिष्ठापन हेतु चयनित एजेंसियों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया जा चुका है। इसके अधिष्ठापन से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही राज्य के रिन्युएबुल परचेज ओबलिगेशन के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी।

- बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएँ उत्पादनरत हैं जिसकी कुल क्षमता 54 मेगावाट है। गंडक, बूढ़ी गंडक एवं महानंदा नदियों पर जल विद्युत क्षमता की संभावना का सर्वे कराया गया है तथा चिह्नित स्थानों पर कुल क्षमता 160 मेगावाट के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 1,586.52 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 9,950.32 करोड़ रुपये कुल 11,536.84 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

- सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत **''अवसर बढे, आगे पढ़े''** के तहत राज्य के सभी जिलों के लिए एक अभियंत्रण महाविद्यालय एवं एक पोलिटेकनिक संस्थान स्थापित एवं संचालित है।

- नेशनल इन्स्टीच्यूट रैकिंग फ्रेमवर्क में उच्च रैंकिग प्राप्त किये जाने तथा संस्थानों के नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के अन्तर्गत एक्रेडिटेशन (Accreditation) हेतु आवश्यक मापदंडों को पूरा करने की कार्रवाई की जाएगी।

- इन्डस्ट्री–4 की मांग के अनुरूप नवीनतम विधाओं में यथा–आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साईंस, 3–डी प्रिटिंग, ऑटोमेशन, इत्यादि के प्रयोगशाला की स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

- तारामंडल, पटना में विद्यालय/महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं सहित पर्यटकों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से खगोल एवं अंतरिक्ष विज्ञान (एस्ट्रोनोमी एण्ड स्पेस विज्ञान) गैलरी के निर्माण एवं परिसर तथा भवन का सौंदर्यीकरण सहित मरम्मति का कार्य पूरा किया जायेगा।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2 अदद नये पोलिटेकनिक संस्थानों (राजकीय पोलिटेकनिक, बाढ़/राजकीय पोलिटेकनिक टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी, भागलपुर) सहित वर्त्तमान में राज्य के

38 जिलों के लिए 46 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान तथा 38 अभियंत्रण महाविद्यालय संचालित हैं।

- अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षकों के लिए स्वीकृत कुल 3,021 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। गत एक वर्ष में विभिन्न विषयों में अलग–अलग महाविद्यालयों में कुल 518 एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में कुल 04 सहित कुल 522 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

- वर्श 2022–23 में अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में नये पाठ्यक्रम के संचालन हेतु क्रमशः 99 एवं 42 अर्थात कुल 141 नये शिक्षकों का पद सृजन किया गया है। साथ ही नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी), भागलपुर के लिए 29 शैक्षणिक तथा 31 तकनीकी तथा 16 गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 76 पदों का सृजन भी किया गया है।

- राज्य के छात्र/छात्राओं में विज्ञान के प्रति अभिरूचि पैदा करने तथा वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किये गए सिद्वांतों का आम जन–जीवन में हो रहे प्रयोगों को प्रदर्शित करने हेतु पटना में डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी के निर्माण से संबंधित असैनिक कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

- राज्य के छात्र/छात्राओं के साथ आमजनों में खगोलीय विज्ञान में अभिरूचि जागृत करने के उद्देश्य से दरभंगा में तारामंडल–सह–विज्ञान संग्रहालय के निर्माण कार्य अन्तर्गत तारामंडल संचालित हो चुका है।

- राज्य के प्रत्येक पोलिटेकनिक संस्थानों में नये एवं उभरते हुए तकनीक यथा–ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रीकल वेहिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स, 3डी० प्रिटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रीयल ऑटोमेशन, आदि में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के माध्यम से कुल 97.00 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है।

- नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13 में वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एवं राजकीय पोलिटेकनिक, वैशाली/सीवान में सोलर टेक्नोलॉजी में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में डिप्लोमा स्तर पर नवीनतम विधाओं तथा दो नये पोलिटेकनिक स्थापना के फलस्वरूप सीटो की संख्या 11,211 से बढ़कर 12,321 हो गई है।

- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शैक्षणिक/प्रशासनिक भवन में इलेक्ट्रोनिक नॉलेज नेटवर्क (100 Mbps इन्टरनेट कनेक्टीविटी, वाई–फाई एवं प्रति संस्थान दो अर्थात 164 स्मार्ट क्लास) की स्थापना के लिए 79.11 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 392.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 411.76 करोड़ रुपये कुल 803.76 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

आपदा प्रबंधन विभाग

- सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों के सभी प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता के रूप में 3,500/– रुपये प्रति परिवार की दर से आनुग्रहिक राहत की राशि 630.00 करोड़ रुपये DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया गया है।

- कोविड से मृत्यु होने की स्थिति में प्रति मृतक 4.50 लाख रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान मृतक के परिवार को उपलब्ध कराया गया है। अब तक कुल 13,106 मृतकों के परिजन को अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा चुका है।

- वर्ष 2022 में बाढ़ से 16 जिलों यथा– पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, भोजपुर, लखीसराय, बेगूसराय, पटना, बक्सर, वैशाली, प0 चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण के 69 प्रखंडों में 417 पंचायतों के अन्तर्गत लगभग 4.48 लाख आबादी प्रभावित हुई। बाढ़ के दौरान लगभग 801 ड्राई राशन पैकेट एवं 18,268 पॉलीथीन शीट्स का वितरण बाढ़ प्रभावितों के बीच किया गया। बाढ़ पीड़ित परिवारों के सहायतार्थ कुल 9 बाढ़ राहत शिविर एवं 16 सामुदायिक रसोई संचालित किये गये।

- राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) राज्य मुख्यालय, बिहटा (पटना) के परिसर में 25 एकड़ की भूमि पर 267 करोड़ रुपये की लागत से स्थायी भवन व अन्य सुविधाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिसे अगले दो वर्षों के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।

- राज्य में 38 स्थानों पर District Emergency Response Facility-cum-Training Centre स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक सेंटर पर राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की एक टीम को राहत एवं बचाव तथा संचार उपकरणों के साथ तैनात किया जाएगा।

- आपदा प्रबंधन विभागाधीन राज्य मुख्यालय स्तर पर सरदार पटेल भवन, पटना में क्रियाशील राज्य आपात कालीन संचालन केन्द्र (SEOC) का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 11.28 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 5,254.25 करोड़ रुपये कुल 5,265.53 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। राज्य में 01 फरवरी, 2014 से यह योजना लागू है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 85.12 प्रतिशत एवं 74.53 प्रतिशत जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध वर्तमान में 1.86 करोड़ पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी एवं अन्त्योदय परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

- अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (07 कि०ग्रा० गेहूँ एवं 28 कि०ग्रा० चावल) तथा पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी के प्रत्येक लाभुकों को 05 कि०ग्रा० खाद्यान्न (01 कि०ग्रा० गेहूँ एवं 04 कि०ग्रा० चावल) उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न माह जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक पूर्णतः निःशुल्क है।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत **बिहार खाद्य सुरक्षा शिकायत निवारण नियमावली–2017** हेतु आन्तरिक शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है जिसके अन्तर्गत प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा लाभुकों से प्राप्त शिकायतों/परिवादों का निष्पादन किया जाता है। साथ ही, आन्तरिक शिकायत निवारण प्रणाली अन्तर्गत लाभुकों हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का टॉल फ्री नं0–1800–3456–194 तथा Whats app No. 7301726485 सृजित की गयी है।

- वर्त्तमान में बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल तीन सेवायें यथा, नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन तथा राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्दीकरण के अन्तर्गत प्रखंड कार्यालय स्थित आर०टी०पी०एस० काउन्टर पर आवेदन प्राप्त किया जाता है एवं नियमानुसार जाँचोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नया राशन कार्ड निर्गत किया जाता है।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत वर्तमान में राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली

दुकानों में PoS मशीन का अधिष्ठापन किया गया है, जिसके माध्यम से लाभुकों के बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात् पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत करते हुए NIC के Aadhaar enabled public distribution system और Supply Chain Management System के माध्यम से आवंटन, उठाव, निर्गमण, वितरण एवं भंडारण की एकीकृत प्रणाली कार्यरत है। फलस्वरूप One Nation One Ration Card योजना भी राज्य के उपभोक्ताओं के लिए लागू है।

- अधिप्राप्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाये जाने हेतु प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करते हुए धान/चावल की अधिप्राप्ति की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत धान अधिप्राप्ति, किसानों के भुगतान, मिलरों को धान का प्रेषण तथा सी०एम०आर० प्राप्ति तक सभी कार्य ONLINE सम्पन्न की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 1,057.21 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 184.83 करोड़ रुपये कुल 1,242.04 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पर्यटन विभाग

- बिहार की प्राकृतिक, पौराणिक, सांस्कृतिक संपदा न केवल बहुआयामी बल्कि एक समृद्ध वैश्विक विरासत है। पर्यटन उद्योग के अंतर्गत आवासन परियोजनाओं, मनोरंजन पार्कों एवं जल क्रीड़ा तथा परिवहन इत्यादि के क्षेत्र में निवेश से रोजगार की वृहत सम्भावनाएँ हैं। राज्य सरकार पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है।

- बोधगया में सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण कुल 154.11 करोड़ रूपये की लागत से किया गया है एवं इसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

- राज्य में आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त गुणवत्तापूर्ण आवासन एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस परिसर की भूमि पर पाँच सितारा होटल का निर्माण किया जाना है।

- प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाले चिन्हित कुल 23 राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों पर पर्यटकों को यात्रा–भ्रमण के दौरान विश्राम एवं अन्य गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना, 2022 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस प्रोत्साहन योजना में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत अधिकतम

50 लाख, 35 लाख, 10 लाख एवं 20 लाख रुपये अनुदान की राशि लाभुकों को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

- गया जिले में पर्यटकों की सुविधा हेतु उच्च कोटि के विश्रामालय के निर्माण हेतु 136.15 करोड़ रुपये की योजना का कार्य अंतिम चरण में है।
- जहानाबाद जिलान्तर्गत बीबी कमाल का मकबरा का विकास एवं सौन्दर्यीकरण तथा वाणावर में धर्मशाला का निर्माण, कटिहार जिलान्तर्गत सर्वोदय आश्रम तथा कुर्सेला का विकास एवं सौन्दर्यीकरण, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुनौराधाम में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण, सिख हेरिटेज एवं रिसर्च सेन्टर, पटना का निर्माण, नवादा जिलान्तर्गत सोखोदेवरा सर्वोदय आश्रम में पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण और रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम में मार्गीय सुविधा का निर्माण योजना पूर्ण की गयी है।
- पटना जिलान्तर्गत पटना साहिब में स्थित प्रकाश पुंज के पास स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं चारों ओर पथ का निर्माण, बक्सर जिलान्तर्गत ब्रहमेश्वर स्थान, मंदिर का विकास तथा मुंगेर जिलान्तर्गत खड़गपुर झील का विकास हेतु योजना स्वीकृत की गयी।
- राजगीर में पर्यटकों हेतु 20 केबिन (08 सीट वाला) की क्षमता वाला नवनिर्मित केबिन रोपवे संचालित किया जा रहा है। साथ ही, बांका स्थित मंदार पर्वत पर 04 सीटों की क्षमता वाले 08 केबिन रोपवे का संचालन भी पर्यटन विकास निगम के माध्यम से कराया जा रहा है।
- गंगा महाआरती का आयोजन सप्ताह में दो दिन यथा, शनिवार एवं रविवार को संध्याकालीन किया जाता है। मंगल तालाब, पटना सिटी में पर्यटकों के लिए गुरूगोविन्द सिंह जी महाराज की जीवनी के बारे में लाईट एण्ड साउण्ड लेजर शो का आयोजन प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार से रविवार तक संध्याकालीन किया जाता है।
- **प्रसाद योजना** : मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत चामुण्डा स्थान का विकास, दरभंगा जिलान्तर्गत श्यामाकाली मंदिर का विकास, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत सोमेश्वर मंदिर, बाल्मिकीनगर का विकास एवं सौन्दर्यीकरण, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत कालीबाग मंदिर के पास पर्यटकीय सुविधाओं का सृजन एवं स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अन्तर्गत राज्य में नये गंतव्य स्थलों यथा, कैमूर, रोहतास, बाँका, भागलपुर तथा पूर्वी चम्पारण का चयन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 380.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 37.07 करोड़ रुपये कुल 417.07 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

गृह विभाग

- **भू–अर्जन** : वर्ष 2022–23 में कुल 29 थाना/ओ०पी०/अन्य पुलिस भवन के भवन निर्माण हेतु भू–अर्जन/सत्त लीज के निमित्त 52.19 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वार्षिक स्कीम 2023–24 में थाना/ओ०पी० एवं अन्य पुलिस भवन के निर्माण हेतु भू–अर्जन मद में 40.00 करोड़ रुपये कर्णांकित किया गया है।

- **भवन निर्माण** : पुलिस भवन निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 79 थाना/ओ०पी०, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में संयुक्त भवन, गोपालगंज पुलिस केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति एवं 91 थानों में आगंतुक कक्ष के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। थाना/ओ०पी० के भवन निर्माण, जिलों में पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय भवन का निर्माण एवं पूर्व से पुलिस भवन निर्माण मद में सृजित दायित्व के विरूद्ध बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को वर्ष 2023–24 में 315.63 करोड़ रुपये राशि कर्णांकित किया गया है।

- **पुलिस प्रशासन के ढाँचागत सुदृढ़ीकरण** मद में वर्ष 2022–23 में पुलिस मुख्यालय अन्तर्गत जिला/इकाईयों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण/उपस्करों के क्रय हेतु 4 योजनाओं की कुल लागत राशि 50.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। बिहार विधान सभा (एनेक्सी बिल्डिंग पुराना एवं नया सहित) में CCTV कैमरा अधिष्ठापित कराने हेतु 2.51 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

- **बिहार अग्निशाम सेवा** : बिहार में अग्निशाम सेवा के उपकरण मद में वर्ष 2022–23 में 3.46 करोड़ रुपये विमुक्त की गयी है। 77 अति अग्नि संवेदनशील थानों के लिए 77 अद्द बड़ी अग्निशमन वाहनों के क्रय हेतु 46.20 करोड़ रुपये एवं फायर कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के क्रय हेतु 2.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

- राज्य के काराओं में नये सिरे से अतिरिक्त सी०सी०टी०वी० कैमरा एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षात्मक उपकरणों के क्रय, राज्य के काराओं में अधिष्ठापित टेलीफोन बूथ के संचालन हेतु, काराओं में समुचित प्रकाश की व्यवस्था, अन्य सुरक्षात्मक इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के क्रय एवं कारा में Towers of the Harmonious Call Blocking System (T-HCBS) के अधिष्ठापन हेतु 50.00 करोड़ रुपये तथा कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु 2.00 करोड़ रुपये कर्णांकित किया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा 9,272 कब्रिस्तानों में से अब तक 7,647 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी की जा

चुकी है। वर्ष 2022–23 में 93.74 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्ष 2023–24 में कब्रिस्तानों की पक्की घेराबन्दी मद में 1.25 करोड़ रुपये कर्णांकित किया गया है।

- बिहार मंदिर चहारदीवारी योजनान्तर्गत अब तक कुल 538 मंदिरों के चहारदीवारी के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से 373 योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी है तथा शेष निर्माणाधीन है। वर्ष 2022–23 में मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना में 15.98 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्ष 2023–24 में इस योजना अन्तर्गत 25.00 करोड़ रुपये कर्णांकित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 894.53 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 13,371.99 करोड़ रुपये कुल 14,266.52 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

- **''न्याय के साथ विकास''** के सिद्धान्त के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए आगामी 5 वर्षों में बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम के तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (2020–2025) कार्यक्रम संपूर्ण राज्य में लागू है। निश्चय–2 के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग द्वारा निर्गत विस्तृत कार्य योजना के आलोक में कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण बिहार विकास मिशन के द्वारा कराया गया है।

- बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय द्वारा दिनांक–31.12.2022 तक कुल 11,60,484 पेजों का डिजिटाईजेशन कार्य सम्पन्न हो चुका है। राजभाषा निदेशालय द्वारा हिन्दी की त्रैमासिक पत्रिका ''राजभाषा'' का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है।

- बिहार देश का पहला राज्य है, जहाँ उर्दू भाषा–भाषियों के हित में तथा उन्हें भाषायी सुविधा प्रदान करने हेतु जिला समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय एवं प्रखण्ड कार्यालय में उर्दू भाषा कोषांग स्थापित है।

- सिविल विमानन निदेशालय हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत 01 (एक) नया हेलीकॉप्टर एवं 01 (एक) जेट इंजन विमान के क्रय की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पूर्णियाँ हवाई अड्डा पर सिविल इन्क्लेव का निर्माण एवं संयुक्त परिचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 52.18 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में माननीय प्रधानमंत्री, भारत के परिभ्रमण का सफल आयोजन, बिहार परिदर्शन पर आये कुल 397 अतिथियों के आतिथ्य का सफल प्रबंधन एवं श्रीलंका, बांग्लादेश, जर्मनी, भूटान, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया एवं जापान के महानुभावों का बिहार परिदर्शन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 290.80 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 211.44 करोड़ रुपये कुल 502.24 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

- सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार विभिन्न माध्यमों यथा, होर्डिंग–फ्लैक्स, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर पब्लिसिटी, विभिन्न विषयों पर वृत्तचित्र एवं फिल्म का निर्माण आदि के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, राज्य के प्रमुख मेलों एवं राजकीय महोत्सवों का आयोजन किया जाता है।
- **विशेष अंगीभूत योजना** के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र एवं **जनजातीय क्षेत्र उपयोजना** अंतर्गत अनुसूचित जन–जाति बाहुल्य क्षेत्रों में होर्डिंग–फ्लैक्स, फिल्म, लोकगीत, प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक के द्वारा सरकार की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने का कार्य किया जाता है।
- **बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना** : वर्ष 2022–23 में 785 पत्रकारों को चिकित्सकीय एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा से आच्छादित किया गया।
- **पत्रकार पेंशन योजना** : राज्य के 44 वरिष्ठ मीडिया कर्मी वर्त्तमान में लाभान्वित हो रहे हैं।
- सरकार द्वारा जनहित में चलाए जा रहे समाज सुधार अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। शराब के सेवन के दुष्परिणामों से संबंधित WHO की रिपोर्ट एवं महात्मा गाँधी के विचारों को समाहित करते हुए फोल्डर का वितरण राज्य के प्रत्येक घर–घर तक कराया गया। इससे नशा, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी बुराईयों के विरूद्ध समाज में नई चेतना फैल रही है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग का स्कीम मद में 101.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 148.09 करोड़ रुपये कुल बजटीय उपबंध 249.09 करोड़ रुपये है।

निर्वाचन विभाग

- बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानीय निर्वाचन प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों का द्विवार्षिक निर्वाचन, बिहार विधान परिषद् के सात पदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, 2022, राज्यसभा के छः रिक्त पद एवं बिहार विधान सभा बोचहाँ (अ०जा०), गोपालगंज, मोकामा, कुढ़नी का उप निर्वाचन, 2022 सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में बिहार विधान परिषद् तथा संसद के उच्च सदन राज्यसभा के छः सांसदों का चुनाव संभावित है, जिसके निमित्त विभागीय बजट में आवश्यक राशि प्रावधानित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 231.88 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

संसदीय कार्य विभाग

- इस विभाग का मुख्य कार्य विधान मण्डल के संयुक्त बैठक एवं अन्य बैठकों का आयोजन करवाना/दोनों सदनों की बैठक हेतु कार्यक्रम तैयार करना/विधान मण्डल के प्रश्नों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/निवेदनों/आश्वासनों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु विभागीय परामर्श समितियों का गठन करना तथा उनकी बैठकों का आयोजन करना/विधान मण्डलीय सदस्यों/मंत्रियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना/विधायी कार्यों के सन्दर्भ में अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना इत्यादि है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 6.38 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 2.25 करोड़ रुपये कुल 8.63 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

सामान्य प्रशासन विभाग

- **''सुशासन के कार्यक्रम'' में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम** को लागू करने को शीर्ष प्राथमिकता दी गयी है। वर्त्तमान में इसके अधीन 14 विभागों की 153 सेवाएँ अधिसूचित हैं। इस अधिनियम के क्रियान्वयन में उदासीन पाये गये पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर 2.36 करोड़ रुपये का दंड अधिरोपित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं को पूरे तौर पर ऑनलाईन किया गया है।

- दिल्ली एन०सी०आर० एवं आसपास रहने वाले बिहारवासियों की सुविधा हेतु नई दिल्ली के द्वारिका में अवस्थित बिहार सदन में लोक सेवा केन्द्र का शुभारंभ एवं मुम्बई में रह रहे बिहारवासियों की सुविधा हेतु बिहार फाउंडेशन कार्यालय, मुम्बई में भी लोक सेवा केन्द्र का शुभारंभ किया गया है।

- आम जनता की शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण की ठोस, समयबद्ध, पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से **बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम** को लागू किया गया। इससे नागरिकों को उनकी शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण के अवसर का वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसा अधिकार प्रदान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। परिवाद निवारण में रूचि नहीं लेने वाले 1,106 लोक प्राधिकारों पर 23.75 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गयी है जबकि 768 लोक सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है।

- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की तर्ज पर ही **बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली** का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए **''सेवा समाधान''** नाम का समर्पित वेब पोर्टल तैयार कराया गया है ताकि शिकायतों पर की जा रही कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता रहे और इन पर समयबद्ध निर्णय लिया जा सके।

- राज्य कर्मियों की कार्मिक संरचना, सेवा शर्त, देय लाभ, सेवा पुस्तिका एवं उसमें संधारित अभिलेखों के डिजीटलीकरण एवं सेवा संबंधी सुविधाएँ सरलता से प्रदान करने के उद्देश्य से **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली** विकसित की गयी है। इस प्रणाली के लागू हो जाने से सरकारी सेवकों को उनके पूरे सेवावृत की जानकारी डिजीटल माध्यम से उपलब्ध होगी तथा सेवा के सभी प्रकरणों में पारदर्शिता के साथ कम से कम समय में निर्णय लेने में सहूलियत होगी। इससे सरकारी कर्मियों की सेवा संबंधी शिकायतों में भी कमी आएगी।

- बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022 का गठन किया गया। बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2022 का गठन किया गया।

- राज्याधीन विभिन्न पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को 48,735, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 2,872 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को 12,381 कुल 63,988 पदों की अधियाचना भेजी गयी।

- राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–02.06.2022 में राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से

जाति आधारित गणना (Caste based survey) कराने का निर्णय लिया गया तथा गणना को ससमय पूर्ण कराने को दृष्टिगत रखकर सरकार द्वारा 500.00 करोड़ रुपये बजटीय उपबंध करते हुए विस्तृत मार्गदर्शिका सभी विभाग/कार्यालय को निर्गत किया गया है। बिहार जाति आधारित गणना, 2022 के प्रथम चरण के कार्यो का शुभारंभ दिनांक–07.01.2023 से किया गया है, जिसके अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य सम्पन्न हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 157.97 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 723.06 करोड़ रुपये कुल 881.03 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

- **''बिहार खेल विश्वविद्यालय''** की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के 31 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है।
- 29 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित खेल सम्मान समारोह में 2,200 खिलाड़ियों को कुल 6.50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया।
- राजगीर में राज्य स्पोर्ट्स एकेडमी–सह–अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु 90 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर 740.00 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत 353 स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 199 स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना अंतर्गत मल्टी जिम, ओपेन जिम उपकरण एवं खेल उपकरणों का अधिष्ठापन कुल 36 जिलों में किया जा चुका है।
- मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत 23 जिलों में 41 एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द स्वीकृत है, जिसमें वर्तमान में 39 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है।
- पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत अवस्थित केसरिया स्तूप के प्रकाश एवं रौशनी की व्यवस्था हेतु 52.12 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- नालन्दा जिलान्तर्गत अवस्थित उत्खनित पुरास्थल, तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों के प्रदर्शन हेतु पुरास्थल संग्रहालय, तेल्हाड़ा (नालन्दा) का निर्माण कराया जा रहा है।

- महात्मा गांधी के चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर महात्मा गांधी से जुड़े तीन जिलों यथा, बेतिया, मोतिहारी तथा मुजफ्फरपुर में 2,000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह का निर्माण कराया गया है।
- राज्य में चाक्षुष एवं प्रदर्श कला के संवर्द्धन एवं विकास हेतु राज्य के प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों में 600 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी के निर्माण योजना है।
- पटना संग्रहालय का उन्नयन एवं विस्तारीकरण कार्य हेतु 158.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।
- वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप निर्माण कार्य जारी है।
- राज्य के आउटडोर स्टेडियम में स्थानीय महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों के लिए ''कम एण्ड प्ले'' योजना का संचालन बड़े पैमाने पर करने का लक्ष्य है।
- मोईनुलहक स्टेडियम, पटना को विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित करने एवं पुनर्निर्माण कराने हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा चयनित परामर्शी के द्वारा तैयार ड्राईंग/डिजाईन एवं प्राक्कलन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 189.30 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 141.75 करोड़ रुपये कुल 331.05 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

विधि विभाग

- विभिन्न व्यवहार न्यायालय अन्तर्गत कुल 35 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 96 न्यायालय कक्ष निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति दी गई है। साथ ही, व्यवहार न्यायालय अन्तर्गत 92 न्यायिक पदाधिकारी आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा एवं सीतामढ़ी में परिवार न्यायालय भवन, कहलगाँव में एमिनिटी भवन एवं पटना में बार एसोसिएशन भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय के तहत 244 न्यायिक पदाधिकारी आवास (पी०ओ०/ए०डी०जे०/सी०जे०एम०/पी०जे०) के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- पटना उच्च न्यायालय के पुराने भवन को शताब्दी भवन से जोड़ने के निमित्त कनेक्टिंग ब्रिज के निर्माण कार्य हेतु 2.18 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- पटना हार्डिंग रोड में न्यायाधीश आवास निर्माण कार्य प्रगति में है। पटना उच्च न्यायालय परिसर में वाहन पार्किंग, बैंक, सूचना केन्द्र, क्रेच, रेल टिकट आरक्षण केन्द्र की व्यवस्था के निमित्त बहुद्देशीय भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति में है।

- वर्ष 2022–23 में बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014 के तहत पीड़ितों के भुगतान हेतु अनुग्रह अनुदान मद में 15.00 करोड़ रुपये की राशि सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को उपलब्ध करायी गयी है।

- आठ अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालय (मद्य निषेध) हेतु 72 अराजपत्रित पदों का सृजन, राज्य के सभी न्यायमंडलों में Vulnerable Witness Diposition Center की स्थापना हेतु 74 अराजपत्रित पदों का सृजन किया गया एवं 54 अनन्य विशेष न्यायालय (बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट के तहत दायर वादों हेतु) के लिए 432 अराजपत्रित पदों का सृजन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 27.67 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,139.89 करोड़ रुपये कुल 1,167.56 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

- सात निश्चय के अंतर्गत "राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाई–फाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना अन्तर्गत कुल–320 संस्थानों में वाई–फाई स्थापित किया जा चुका है। वर्ष 2023–24 में 164.93 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

- राज्य के बेरोजगार युवकों को बिहार कौशल विकास मिशन के तहत आई०टी० प्रक्षेत्र में रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब तक कुल 19,778 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है एवं वर्त्तमान में 171 कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम में कुल 6,468 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 में 12.00 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

- BSWAN के माध्यम से राज्य मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर के कार्यालयों को एक नेटवर्क से जोड़ते हुए Voice, डाटा एवं वीडियो कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है। BSWAN 3.0

परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। वर्ष 2023–24 में 116.03 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

- बिहार स्टेट डाटा सेंटर 2.0 के निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि 351.16 करोड़ रुपये के आलोक में 186.40 करोड़ रुपये कार्यकारी एजेंसी को उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 71.00 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
- ई–गवर्नेन्स योजनान्तर्गत सचिवालय के सभी भवनों को सचिवालय लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्धता प्रदान करने हेतु SecLAN 2.0 परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 में 5.00 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
- ज्ञान सिटी परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में 16.20 करोड रुपये का व्यय संभावित है।
- स्टेट डाटा सेन्टर योजना अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में 24.00 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, पटना एवं डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर में केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत Centre of Excellence on Smart Agri की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से Matching Grant की राशि 12.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रस्तावित है।
- राज्य के SC, ST एवं OBC युवाओं को आई०टी० प्रक्षेत्र में C-DAC के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 237.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 40.07 करोड़ रुपये कुल 277.07 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

निगरानी विभाग

- अवैध अर्जित सम्पत्ति के अधिहरण (Confiscation) हेतु विशेष न्यायालयों में वर्ष 2022 में 03 वाद दायर किये गये हैं, जिसमें लगभग कुल 3.42 करोड़ रुपये की राशि निहित है।
- निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2022 में 49 ट्रैप काण्डों में 55 लोक सेवक एवं 02 गैर–लोक सेवक को रिश्वत की राशि 30.26 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित 15 कांड दर्ज किये गये हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा त्वरित अनुसंधान

करते हुए लोक सेवकों/गैर लोक सेवकों के विरूद्ध कुल 81 मामलों में अंतिम प्रपत्र समर्पित किया गया है।

- तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा वर्ष 2022 में 37 मामलों में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। साथ ही 17 मामलों में भवन मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। 4 मामलों में औचक जाँच कर प्रतिवेदन दिया गया।
- विशेष निगरानी इकाई द्वारा वर्ष 2022 में 17 मामले दर्ज किये गये, जिनमें ट्रैप से संबंधित मामलों की संख्या–3 है एवं प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित मामलों की संख्या–14 है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 45.95 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

वित्त विभाग

- वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना–समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) को दिनांक–01.04.2019 से लागू किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाईन एवं पेपरलेस हो गया है । CFMS 2.0 को वित्तीय वर्ष 2023–24 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है।
- सरकार का समस्त कर राजस्व e-Receipt के माध्यम से प्राप्त करने के लिए Online Government Revenue Accounting System (O-GRAS) कार्यरत है। CFMS 2.0 अन्तर्गत Revenue Management System (RMS) लागू करने की योजना है।
- CSS के नए दिशा–निर्देश के तहत सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए SNA (Single Nodal Agency) नामित किया गया है एवं Single Nodal Account खोला गया है तथा इसे PFMS Portal से Mapping किया गया है।
- **कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल :** राज्य स्तर पर प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाले सरकारी लाभ की सूचना प्राप्त करने हेतु सभी विभागों के सभी योजनाओं के लाभुकों के निबंधन हेतु एक ''कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल'' विकसित करने के निर्णय के अनुपालन में बेल्ट्रॉन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
- 30 सितम्बर, 2022 को बैंकों का कुल जमा 4,28,816 करोड़ रुपये और कुल ऋण 2,17,609

करोड़ रुपये था। इस प्रकार बैंकों का साख–जमा अनुपात (CD Ratio) 50.75 प्रतिशत रहा है जो कि गत वर्ष की इसी अवधि के CD Ratio से अधिक है।

- वर्ष 2022–23 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 22 तक) वार्षिक साख योजना (ACP) के लक्ष्य 2,04,145 करोड़ रूपये के विरूद्ध उपलब्धि 1,12,037 करोड़ रूपये हुई है। यह वार्षिक लक्ष्य का 54.88 प्रतिशत है।

- वर्ष 2022–23 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 22 तक) कृषि क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य 70,000 करोड़ रुपये के विरूद्ध 31,362 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं, जो लक्ष्य का 44.80 प्रतिशत है।

- Micro, Small & Medium Enterprise (MSME) के अंतर्गत वर्ष 2022–23 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 22 तक) में 70,000 करोड़ रुपये लक्ष्य के विरूद्ध 34,787 करोड़ रुपये वितरित किए गए है जो कि वार्षिक लक्ष्य का 49.69 प्रतिशत है।

- वर्ष 2022–23 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 22 तक) प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत खोले गये 22.05 लाख खातों में 741 करोड़ रुपये जमा हैं। दिनांक–30.09.22 तक राज्य में समेकित रूप से 544.64 लाख जन धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 18,020 करोड़ रुपये की राशि जमा है।

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022–23 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 22 तक) 19.71 लाख नये पंजीकरण किये गये हैं। सितम्बर, 22 तक राज्य में समेकित रूप से 152.50 लाख पंजीकरण किये जा चुके हैं। इस बीमा योजना में सितम्बर, 22 तक 1,804 दावे प्राप्त हुए एवं 1290 दावों का निष्पादन किया गया है।

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 22 तक) 11.49 लाख नये पंजीकरण हुए हैं। सितम्बर, 22 तक इस योजना में राज्य में समेकित रूप से 83.30 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है। इस अवधि तक 9,255 दावे प्राप्त हुए एवं 7,540 दावों को निष्पादन किया गया है।

- वर्ष 2022–23 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 22 तक) अटल पेंशन योजनान्तर्गत 5.33 लाख लोगों का पंजीकरण हुआ है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में सितम्बर, 22 तक समेकित रूप से 35.72 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है।

- 30.09.2022 को राज्य में 7,749 बैंक शाखाएँ, 40,822 BC Agents, 6,937 ATMs तथा 75,615 PoS Machine कार्यरत हैं। इस तारीख तक कुल 7.01 करोड़ ATM Cards निर्गत हुए हैं।
- डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देने के लिए जहानाबाद के 100 प्रतिशत बैंक में जमा खातों के डिजिटलाईजेशन के बाद अब अरवल तथा शेखपुरा जिलों को इसके लिए चुना गया है। यहाँ बैंक शाखाओं द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अरवल में बचत खाताओं के लगभग 85.02 प्रतिशत ग्राहकों और शेखपुरा में 89.72 प्रतिशत ग्राहकों को लेन–देन के लिए डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है और वे उसका उपयोग कर रहे हैं।
- राज्य के सभी 38 जिलों में बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता केन्द्र चलाए जा रहे हैं जो लोगों के बीच कैंप लगाकर वित्तीय जागरूकता पैदा कर रहे हैं। दिनांक–30.09.22 तक इन साक्षरता केन्द्रों द्वारा 583 विशेष कैम्प एवं 659 Target Group Specific Camp लगाये गये हैं। राज्य में बैंकों के ग्रामीण शाखाओं द्वारा भी वित्तीय साक्षरता में महत्वपूर्ण योगदान है। सितम्बर, 22 तक इन शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता हेतु 17,548 आयोजन किए जा चुके हैं।
- राज्य के सभी 38 जिलों में बैंकों द्वारा चलाए जा रहे ''ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों'' द्वारा 392 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिनमें 11,912 इच्छुक स्वरोजगारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- राजकीय प्रेस गुलजारबाग एवं गया के आधुनिकीकरण एवं क्षमता संवर्धन हेतु आधुनिक प्रिटिंग मशीन एवं उपस्कर की आपूर्ति एवं स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।
- वर्त्तमान परिवेश एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्त्तमान संहिता/हस्तक/नियमावलियों को अद्यतन करने हेतु नया बिहार कोषागार संहिता, बिहार बजट हस्तक, बिहार वित्त नियमावली, बिहार सेवा संहिता एवं बिहार क्रय अधिमानता नियमावली बनाया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में 788.20 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,759.45 करोड़ रुपये कुल 2,547.65 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्यों एवं आम जनता की जानकारी हेतु **वर्ष 2023–24 बजट का सारांश** सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- बिहार राज्य का बजट आकार वर्ष 2022–23 में 2,37,691.19 करोड़ (दो लाख सैंतीस हजार छः सौ इक्यानवे करोड़ उन्नीस लाख) रुपये था तथा वर्ष 2023–24 में बढ़कर 2,61,885.40 करोड़ (दो लाख इकसठ हजार आठ सौ पचासी करोड़ चालीस लाख) रुपये हो गया है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,00,000.00 करोड़ (एक लाख करोड़) रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के बराबर है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,61,855.67 करोड़ (एक लाख इकसठ हजार आठ सौ पचपन करोड़ संड़सठ लाख) रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान 1,37,460.94 करोड़ (एक लाख सैंतीस हजार चार सौ साठ करोड़ चौरानवे लाख) रुपये से 24,394.72 करोड़ (चौबीस हजार तीन सौ चौरानवे करोड़ बहत्तर लाख) रुपये अधिक है।

- वर्ष 2023–24 में कुल व्यय में स्कीम व्यय 38.20 प्रतिशत तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 61.80 प्रतिशत है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल पूंजीगत व्यय 54,037.40 करोड़ (चौवन हजार सैंतीस करोड़ चालीस लाख) रुपये अनुमानित किया गया है जो कि कुल व्यय का 20.63 प्रतिशत है जो वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान 45,734.52 करोड़ (पैंतालीस हजार सात सौ चौंतीस करोड़ बावन लाख) रुपये से 8,302.88 करोड़ (आठ हजार तीन सौ दो करोड़ अठासी लाख) रुपये अधिक है, जिसमें :–

  पूंजीगत परिव्यय – वर्ष 2023–24 में 29,257.31 करोड़ (उनतीस हजार दो सौ संतावन करोड़ एकतीस लाख) रुपये का पूंजीगत परिव्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें सामान्य सेवाओं में 4,282.83 करोड़ (चार हजार दो सौ बेरासी करोड़ तेरासी लाख) रुपये, सामाजिक सेवाओं में 5,946.94 करोड़ (पांच हजार नौ सौ छियालिस करोड़ चौरानवे लाख) रुपये एवं आर्थिक सेवाओं में 19,027.54 करोड़ (उन्नीस हजार सताईस करोड़ चौवन लाख) रुपये की राशि प्रस्तावित है।

ऋण अदायगियाँ – वर्ष 2023–24 में 23,558.69 करोड़ (तेईस हजार पांच सौ अंठावन करोड़ उनहत्तर लाख) रुपये की राशि ऋण के विरूद्ध वापस की जानी है, जिसमें 2,071.04 करोड़ (दो हजार इक्हतर करोड़ चार लाख) रुपये की राशि केन्द्र सरकार के ऋणों की है एवं 21,487.65 करोड़ (एक्कीस हजार चार सौ सतासी करोड़ पैसठ लाख) रुपये की राशि पूर्व में लिये गये आंतरिक ऋणों से संबधित है।

ऋण एवं पेशगियाँ – वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार द्वारा 1,221.40 करोड़ (एक हजार दो सौ इक्कीस करोड़ चालीस लाख) रुपये का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यतः बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु 690.00 करोड़ रुपये, ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 390.10 करोड़ रुपये बिजली परियोजना के कम्पनियों को कर्ज के लिए 97.29 करोड़ रुपये एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए 44.00 करोड़ रुपये दिया जाना है। पूर्व में दिये गये ऋणों की वापसी से राज्य सरकार को 431.91 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होना अनुमानित है। इस प्रकार कुल शुद्ध ऋण 789.49 करोड़ रुपये दिया जाना प्रस्तावित है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल राजस्व व्यय 2,07,848.00 करोड़ (दो लाख सात हजार आठ सौ अड़तालीस करोड़) रुपये अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 79.37 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान 1,91,956.67 करोड़ (एक लाख इक्यानवे हजार नौ सौ छप्पन करोड़ सड़सठ लाख) रुपये से 15,891.33 (पन्द्रह हजार आठ सौ इक्यानबे करोड़ तैंतीस लाख) करोड़ रुपये अधिक है।

- वर्ष 2023–24 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर कुल 1,30,997.58 करोड़ (एक लाख तीस हजार नौ सौ सन्तानवे करोड़ अन्ठावन लाख) रुपये व्यय होंगे जिसमें वेतन हेतु 32,952.86 करोड़ (बत्तीस हजार नौ सौ बावन करोड़ छियासी लाख) रुपये, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों के लिए वेतन अनुदान हेतु 22,156.03 करोड़ (बाइस हजार एक सौ छप्पन करोड़ तीन लाख) रुपये, संविदा कमिर्यों के वेतन हेतु 4,538.64 करोड़ (चार हजार पांच सौ अड़तीस करोड़ चौसठ लाख) रुपये, पेंशन हेतु 29,436.92 करोड़ (उन्नतीस हजार चार सौ छत्तीस करोड़ बानवे लाख) रुपये ब्याज भुगतान हेतु 18,354.44 करोड़ (अठारह हजार तीन सौ चौवन करोड़ चौवालीस लाख) रुपये एवं ऋण वापसी पर 23,558.69 करोड़ (तेईस हजार पांच सौ अन्ठावन करोड़ उनहत्तर लाख) रुपये व्यय अनुमानित है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2,12,326.97 करोड़ (दो लाख बारह हजार तीन सौ छब्बीस करोड़ सन्तानवे लाख) रुपये अनुमानित है जो कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान 1,96,704.51 करोड़ (एक लाख छियानवे हजार सात सौ चार करोड़ इक्यावन लाख) रुपये से 15,622.46 करोड़ (पन्द्रह हजार छः सौ बाईस करोड़ छियालीस लाख) रुपये अधिक है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के अपने स्त्रोतों से कर राजस्व के रूप में 49,700.05 करोड़ (उनचास हजार सात सौ करोड़ पांच लाख) रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। जिसमें 39,550.00 करोड़ (उन्चालीस हजार पांच सौ पचास करोड़) रुपये वाणिज्य कर 6,300.00 करोड (छः हजार तीन सौ करोड़) रुपये स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, 3,300.00 करोड़ (तीन हजार तीन सौ करोड़) रुपये परिवहन कर एवं 550.00 करोड़ रुपये भू–राजस्व से प्राप्त होगा।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के अपने स्त्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 6,511.74 करोड़ (छः हजार पांच सौ ग्यारह करोड़ चौहत्तर लाख) रुपये प्राप्त होने का अनुमान है जो कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान 6,135.62 करोड़ (छः हजार एक सौ पैंतीस करोड़ बासठ लाख) रुपये की तुलना में 376.12 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें खनन से 3,300.00 करोड़ (तीन हजार तीन सौ करोड़) रुपये, ब्याज प्राप्तियों से 1,704.73 करोड़ (एक हजार सात सौ चार करोड़ तिहत्तर लाख) रुपये शामिल है।

- **ऋण उगाही** – वर्ष 2023–24 में 49,326.53 करोड़ (उनचास हजार तीन सौ छब्बीस करोड़ तिरेपन लाख) रुपये का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के आंतरिक ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण 44,390.48 करोड़ (चौवालीस हजार तीन सौ नब्बे करोड़ अड़तालीस लाख) रुपये, नाबार्ड से 3,000.00 करोड़ (तीन हजार करोड़) रुपये का ऋण तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 61.05 करोड़ रुपये एवं बाह्य संपोषित परियोजनाओं के लिए 1,875.00 करोड़ (एक हजार आठ सौ पचहत्तर करोड़) रुपये का ऋण कुल 49,326.53 करोड़ (उनचास हजार तीन सौ छब्बीस करोड़ तिरेपन लाख) रुपये लिया जाना प्रस्तावित है।

- **XVवें वित्त आयोग** की अनुशंसा के तहत वर्ष 2023–24 में 8,635.59 करोड़ (आठ हजार छः सौ पैतीस करोड़ उनसठ लाख) रुपये की राशि में राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) के केन्द्रांश मद में 1,561.00 करोड़ पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 3,884.00 करोड़ (तीन हजार आठ सौ चौरासी करोड़) रुपये, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2,001.00 करोड

(दो हजार एक करोड़) रुपये तथा स्वास्थ्य प्रक्षेत्रों के लिए 1,189.59 करोड़ (एक हजार एक सौ नवासी करोड़ उनसठ लाख) रुपये की राशि अनुमानित है।

- **षष्ठम् राज्य वित्त आयोग** की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्थानीय निकायों को 6,220.00 करोड़ (छः हजार दो सौ बीस करोड़) रुपये का अनुदान प्रस्तावित है जिसमें 3,156.00 करोड़ (तीन हजार एक सौ छप्पन करोड़) रुपये Devolution के रूप में तथा 3,064.00 करोड़ (तीन हजार चौसठ करोड़) रुपये अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 6,220.00 करोड़ (छः हजार दो सौ बीस करोड़) रुपये में पंचायती राज संस्थाओं को 3,588.00 करोड़ (तीन हजार पांच सौ अठासी करोड़) रुपये तथा शहरी स्थानीय निकायों को 2,632.00 करोड़ (दो हजार छः सौ बत्तीस करोड़) रुपये प्रस्तावित है। प्रस्तावित राशि का प्रावधान पंचायती राज विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंधित बजट शीर्षों में किया गया है।

- वर्ष 2023–24 में राजस्व अधिशेष 4,478.97 करोड़ (चार हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ सन्तानवे लाख) रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 25,567.83 करोड़ (पच्चीस हजार पांच सौ सड़सठ करोड़ तेरासी लाख) रुपये राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,58,928.00 करोड़ (आठ लाख अन्ठावन हजार नौ सौ अठाईस करोड़) रुपये का 2.98 प्रतिशत है।

केन्द्र सरकार से प्राप्ति

- केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी साल 2022–23 में 91,180.60 करोड़ (इक्यानबे हजार एक सौ अस्सी करोड़ साठ लाख) रुपये थी। वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित अनुमान में 95,509.85 करोड़ (पंचानबे हजार पांच सौ नौ करोड़ पचासी लाख) रुपये एवं वर्ष 2023–24 में 1,02,737.26 करोड़ (एक लाख दो हजार सात सौ सैंतीस करोड़ छब्बीस लाख) रुपये अनुमानित की गयी है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य को केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 53,377.92 करोड़ (तिरेपन हजार तीन सौ सतहत्तर करोड़ बानवे लाख) रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान 58,001.29 करोड़ (अन्ठावन हजार एक करोड़ उनतीस लाख) रुपये से 4,623.37 करोड़ (चार हजार छः सौ तेईस करोड़ सैंतीस लाख) रुपये कम है। वर्ष 2023–24 में अनुमानित 53,377.92 करोड़ (तिरेपन हजार तीन सौ सतहत्तर करोड़ बानवे लाख) रुपये की अनुदान की मदवार राशि निम्नवत् है–

क्रमांक	मदें	राशि (करोड़ रुपये में)
1	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम**	**44712.64**
2	**15वें वित्त आयोग जिसमें**	**8635.59**
	(क) राज्य आपदा राहत कोष	1561.00
	(ख) ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान	3884.00
	(ग) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	2001.00
	(घ) स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को अनुदान	1189.59
3	**केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम**	**29.69**
	कुल	**53377.92**

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के लिए 29.73 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है।

ऋण प्रबंधन

- राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण पूर्व में GSDP का 56.36 प्रतिशत था। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण वर्ष 2021–22 के अन्त में कुल बकाया ऋण 2,57,510.22 करोड़ (दो लाख सन्तावन हजार पांच सौ दस करोड़ बाईस लाख) रुपये है जो राज्य के GSDP का 38.12 प्रतिशत है।

- अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए कर्णांकित राशि : अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर व्यय होने वाली राशि को अलग से लघुशीर्ष में प्रदर्शित किया जाता है ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जातियों के समुदाय हेतु सीधे लाभ के लिए ही किया जा सके अन्यत्र नहीं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुसूचित जातियों के लिए 16,939.53 करोड़ (सोलह हजार नौ सौ उनचालीस करोड़ तिरेपन लाख) रुपये एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए 1,574.49 करोड़ (एक हजार पांच सौ चौहत्तर करोड़ उनचास लाख) रुपये प्रावधानित की गई है।

सर्वाधिक खर्च

- राज्य सरकार वर्ष 2023–24 में शिक्षा पर 40,450.91 करोड़ (चालीस हजार चार सौ पचास करोड़ इक्यानबे लाख) रुपये व्यय करेगी। राज्य की शहरी एवं ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण

कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग का 17,487.78 करोड़ (सत्रह हजार चार सौ सतासी करोड़ अठहत्तर लाख) रुपये, स्वास्थ्य पर 16,966.42 करोड़ (सोलह हजार नौ सौ छियासठ करोड़ बयालीस लाख) रुपये, ग्रामीण विकास पर 15,452.18 करोड़ (पन्द्रह हजार चार सौ बावन करोड़ अठारह लाख) रुपये एवं गृह विभाग को 14,266.52 करोड़ (चौदह हजार दो सौ छियासठ करोड़ बावन लाख) रुपये का व्यय अनुमानित है। ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 11,536.84 करोड़ (ग्यारह हजार पांच सौ छत्तीस करोड़ चौरासी लाख) रुपये तथा समाज कल्याण विभाग एवं कमजोर वर्गों के पेंशन, आँगनबाड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित विभागों में 12,439.41 करोड़ (बारह हजार चार सौ उनचालीस करोड़ इक्तालीस लाख) रुपये का बजटीय प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

- मैंनें पूर्व में सरकार की उपलब्धियों तथा आने वाले वर्ष के विभागवार कार्यक्रमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं वित्तीय वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आय–व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :–

क्र.	विवरण	2022–23 का बजट पुनरीक्षित प्राक्कलन (करोड़ रुपये)	2023–24 का बजट प्राक्कलन (करोड़ रुपये)
1	कुल राजस्व प्राप्ति	201033.76	212326.97
2	राज्य सरकार का राजस्व	47522.62	56211.79
3	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	95509.85	102737.26
4	केन्द्र से प्राप्त सहायक अनुदान	58001.29	53377.92
5	राजस्व व्यय	229382.42	207848.00
6	राजस्व बचत(–) / घाटा(+)	28348.66	-4478.97
7	पूंजीगत प्राप्ति	56585.87	49758.44
8	पूंजीगत व्यय	56136.64	54037.40
9	कुल प्राप्ति	257619.63	262085.40
10	कुल व्यय	285519.06	261885.40
11	राजकोषीय घाटा	69383.73	25567.84

- **समेकित निधि में राशि**– वित्तीय वर्ष 2023–24 में सकल (Gross) व्यय 2,66,363.96 करोड़ (दो लाख छियासठ हजार तीन सौ तिरसठ करोड़ छियानवें लाख) रुपये प्रस्तावित है जिसमें निवल (Net) व्यय 2,61,855.40 करोड़ (दो लाख इकसठ हजार आठ सौ पचपन करोड़ चालीस लाख) रुपये है। विदित है कि विनियोग विधेयक में सकल (Gross) व्यय प्रस्तावित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में सकल व्यय 2,66,363.96 करोड़ (दो लाख छियासठ हजार तीन सौ तिरेसठ करोड़ छियानबे लाख) रुपये में मतदेय राशि 2,22,634.54 करोड़ (दो लाख बाईस हजार छः सौ चौतीस करोड़ चौवन लाख) रुपये एवं भारित राशि 43,729.42 करोड़ (तैंतालीस हजार सात सौ उनतीस करोड़ बयालीस लाख) रुपये है।

- **समेकित निधि में भारित राशि**– वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में 43,729.42 करोड़ (तैंतालीस हजार सात सौ उनतीस करोड़ बयालीस लाख) रुपये भारित मद में व्यय होनी प्रस्तावित है जिसमें सूद मद में 18,354.44 करोड़ (अठारह हजार तीन सौ चौवन करोड़ चौवालीस लाख) रुपये, लोक ऋण की मूलधन वापसी में 23,558.69 करोड़ (तेईस हजार पांच सौ अन्ठावन करोड़ उनहत्तर लाख) रुपये, निक्षेप निधि में 1,469.06 करोड़ (एक हजार चार सौ उनहत्तर करोड़ छः लाख) रुपये, उच्च न्यायालय के व्यय हेतु 230.59 करोड़ रुपये, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 52.78 करोड़ रुपये, राज्यपाल सचिवालय हेतु 37.89 करोड़ रुपये, लोकायुक्त के लिए 6.26 करोड़ रूपये, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा बिहार विधान परिषद् के सभापति/उप सभापति के वेतन एवं भत्ते मद हेतु 1.46 करोड़ रूपये एवं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों के सेवा निवृति लाभ मद में 18.25 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

- **राजकोषीय घाटा** – राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं। वर्ष 2023–24 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2023–24 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,58,928.00 करोड़ (आठ लाख अन्ठावन हजार नौ सौ अठाईस करोड़) रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजकोषीय घाटा 25,567.84 करोड़ (पच्चीस हजार पांच सौ सड़सठ करोड़ चौरासी लाख) रुपये अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्यों ने मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता से सुना है। इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं वर्ष 2023–24 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष उपस्थापित कर रहा हूँ।

****

सात सामाजिक पापकर्म

- सिद्धांत के बिना राजनीति
- परिश्रम के बिना धन
- विवेक के बिना सुख
- चरित्र के बिना ज्ञान
- नैतिकता के बिना व्यापार
- मानवता के बिना विज्ञान
- त्याग के बिना पूजा

– महात्मा गाँधी